



निविदा आमंत्रण सूचना

भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन पर स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेट फ्लो (VRF / VRV) टेक्नोलॉजी पर आधारित एयर-कंडीशनिंग सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी) के लिए एमएसटीसी के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित करता है। विस्तृत निविदा सूचना के साथ ई-निविदा एमएसटीसी लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>) पर उपलब्ध है।

2. सभी इच्छुक और पात्र कंपनियों/फर्म को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी के साथ अपना पंजीकरण करना होगा।

3. ई-टेंडर की अनुसूची इस प्रकार है:

ई-निविदा संख्या	आरबीआई/हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/30/25-26/ईटी/832
कार्य का वर्णन	भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन पर स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेट फ्लो (VRF / VRV) टेक्नोलॉजी पर आधारित एयर-कंडीशनिंग सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)
निविदा का तरीका	ई-निविदा ऑनलाइन भाग। - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग ॥ - मूल्य बोली https://www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से
अनुमानित लागत	₹22 लाख (रुपये बाईस लाख केवल)
एनआईटी की तिथि (निविदा आमंत्रण सूचना) पार्टियों के लिए डाउनलोड हेतु उपलब्ध	14 जनवरी 2026 को 18:00 बजे से
बोली-पूर्व बैठक (ऑफलाइन)	21 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (स्थान: भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग, पहली मंजिल, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004)। नोट: प्रतिभागियों को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए एक दिन पहले ईमेल आईडी estatehyderabad@rbi.org.in , vtirupathirao@rbi.org.in और akkakani@rbi.org.in पर अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी।
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	₹44,000/- (रुपये चौवालीस हजार केवल) 28 जनवरी 2026 को अपराह्न 13:00 बजे से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के पक्ष में एनईएफटी / डिमांड ड्राफ्ट / अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में अनुलग्नक-ई में दिये गए बैंक के प्रारूप में।
	एनईएफटी के लिए विवरण IFSC कोड - RBISONNEFTHY (पांचवां अंक शून्य है) खाता क्रमांक - 8614038 लाभार्थी का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद टिप्पणियाँ: एस्टेट, वीआरएफ / वीआरवी, आपकी फर्म का नाम

	प्रतिभागियों को उनके द्वारा दी गई ईएमडी का विवरण ई-मेल के माध्यम से estatehyderabad@rbi.org.in , vtirupathirao@rbi.org.in और akkakani@rbi.org.in पर देना होगा।
	बैंक गारंटी/डीडी को 28 जनवरी 2026 को अपराह्न 13:00 बजे से पहले व्यक्तिगत रूप से संपदा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य कार्यालय भवन, हैदराबाद में जमा करना होगा।
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	28 जनवरी 2026 को 13:00 बजे तक
ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	14 जनवरी 2026 को 18:00 बजे से
तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि	28 जनवरी 2026 को 13:00 बजे
भाग-1 (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि	28 जनवरी 2026 को 14:00 बजे
भाग-2 (मूल्य बोली) खोलने की तिथि	भाग-1 की जांच पर निर्णय लिया जाएगा और पात्र बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।

4. पात्रता मानदंडः

- निविदाकर्ता मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) या वैध प्राधिकरण प्रमाण पत्र के साथ उसका अधिकृत डीलर होना चाहिए।
- निविदाकर्ता के पास वैरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ/वीआरवी) प्रौद्योगिकी आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम (31 दिसंबर, 2020 को पहले पूरा किया गया कार्य) के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी) जैसे समान कार्य करने के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- निविदाकर्ता ने 31 जनवरी, 2020 को या उसके बाद बड़े कार्यालय भवनों / वाणिज्यिक परिसरों / औद्योगिक घरानों के लिए वैरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ / वीआरवी) प्रौद्योगिकी आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम के समान कार्य (डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)) को सफलतापूर्वक निष्पादित किया हो, जिसकी लागत अलग-अलग निम्नानुसार हो।
 - तीन कार्य, प्रत्येक की लागत, अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए या
 - दो कार्य, जिनमें प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए
 - एक कार्य, जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए।
- निविदाकर्ताओं के पास पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम वार्षिक कारोबार ₹22.00 लाख होना चाहिए, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित हो।

v. निविदाकर्ताओं के पास बिक्री के बाद सर्विस देने के लिए हैदराबाद/सिंकंदराबाद में पूरा सर्विस सेट अप होना चाहिए।

5. निविदाकर्ताओं को अपनी पात्रता के बारे में संतुष्ट करने के लिए और बैंक द्वारा जांच के लिए एमएसटीसी साइट पर निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

(ए)	फर्म की संरचना	ठेकेदारों की फर्म की संरचना का पूरा विवरण (चाहे ठेकेदार एक व्यक्ति है, या साझेदारी फर्म है, या कंपनी आदि है) विस्तार से साझेदार के नाम और पते, एसोसिएशन के लेख/पावर ऑफ अटॉर्नी/अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रति के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
(बी)	कार्य अनुभव और निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों को पूरा करना	योग्य कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेशों की प्रतियां जिसमें पुरस्कार की तिथि, पुरस्कार प्राप्त कार्य का मूल्य, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि दर्शाया गया हो तथा वास्तविक कार्य पूरा होने की तिथि तथा निष्पादित समान कार्यों के वास्तविक मूल्य को दर्शाने वाले संगत पूर्णता प्रमाण पत्र कार्य अनुभव के प्रमाण के रूप में संलग्न किए जाने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए किसी भी केंद्र पर कार्य करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी अपलोड किया जाना चाहिए।
(सी)	ठेकेदार की ऋण पात्रता और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका कारोबार	आयकर निकासी प्रमाण पत्र/आयकर निर्धारण आदेश की प्रतियां, साथ ही ठेकेदार के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित करके पिछले तीन वर्षों के लिए उनकी ऋण पात्रता और टर्नओवर के प्रमाण के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
(डी)	बैंकर्स और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते	अपने बैंकर्स के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी तथा संपर्क अधिकारियों (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा अपने बैंकर्स के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, यदि ऐसा आवश्यक हो) के पूर्ण विवरण जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि अपलोड किए जाने चाहिए।
(ई)	बैंक खातों का विवरण	नके बैंक खातों का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए, जैसे खाता संख्या, प्रकार, कब खोला गया आदि।
(एफ)	ग्राहकों और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते	अपने ग्राहकों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी के साथ-साथ संपर्क अधिकारियों (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अपने ग्राहकों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के पूर्ण विवरण, जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि अपलोड किए जाने चाहिए।
(जी)	पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण	कार्य(ओं) के ग्राहकवार नाम, कार्य(ओं) के निष्पादन का वर्ष, निष्पादित कार्य(ओं) की प्रदान की गई और वास्तविक लागत, अनुबंध में निर्धारित समापन समय और कार्य(ओं) को पूरा करने में लगा वास्तविक समय, अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क विवरण जिनके अधीन कार्य निष्पादित किया गया था, अपलोड किया जाना चाहिए।

ए) उत्पाद एवं रखरखाव सहायता हेतु वचनबद्धता (अनुलग्नक-ए)।

बी) ग्राहक प्रमाणपत्र और ठेकेदार का प्रदर्शन (अनुलग्नक बी)।

सी) बैंकर्स प्रमाणपत्र (अनुलग्नक सी)।

डी) प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी (अनुलग्नक डी)।

ई) ओईएम से प्राधिकरण पत्र और रखरखाव वचनबद्धता (अनुलग्नक जी)।

एफ) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र (अनुलग्नक एच)।

नोट (ग्राहक प्रमाणपत्र के संबंध में):

क्लाइंट का सर्टिफिकेट तभी स्वीकार किया जाएगा जब उस पर किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन या PSU के एजीक्यूटिव इंजीनियर/सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या समकक्ष रैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर हों और तभी जब ठेकेदार द्वारा किए गए काम के लिए उसे मिले पेमेंट का पर्याप्त सबूत हो। प्राइवेट संगठनों द्वारा जारी किए गए क्लाइंट सर्टिफिकेट के साथ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। ऊपर बताए गए सर्टिफिकेट के बिना मिले आवेदन/टेंडर खारिज किए जा सकते हैं। बैंक को इन सर्टिफिकेट को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई करने का अधिकार होगा।

6. बैंक ई-टेंडर की प्राइस बिड के मूल्यांकन से पहले उक्त रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी समय किसी टेंडरर को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके क्लाइंट और/या उसके बैंकरों से प्राप्त प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती हैं, तो बैंक को ई-टेंडर के पार्ट-। खोलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक ऐसा करने का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

7. टेंडर दस्तावेज MSTC वेबसाइट यानी www.mstcecommerce.com पर 14 जनवरी, 2026 को 18:00 बजे से उपलब्ध होंगे। सभी इच्छुक टेंडरर को टेंडर दस्तावेज सहित सभी सहायक दस्तावेजों पर विधिवत मुहर लगाकर हस्ताक्षर करने होंगे और उन्हें MSTC पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ई-टेंडर दस्तावेज के पार्ट-। और सहायक दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि कोई भी फर्म आवश्यक पात्रता पूरी नहीं करती है, तो बैंक उनके ई-टेंडर को आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार नहीं करेगा। पार्ट-। दस्तावेजों की जांच के बाद सभी पात्र टेंडरर को पार्ट-॥ (प्राइस बिड) खोलने की तारीख सूचित की जाएगी। 1. यदि इच्छुक टेंडरर बैंक को संतुष्ट करने में विफल रहता है; तो बैंक को उनके द्वारा प्रस्तुत बिड को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

8. इच्छुक टेंडरर की एक प्री-बिड मीटिंग (ऑफ-लाइन मोड) 21 जनवरी, 2026 को सुबह 11:00 बजे एस्टेट डिपार्टमेंट, पहली मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। सभी संभावित टेंडरर को इस टेंडर के संबंध में दायरे को समझने/कोई स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्री-बिड मीटिंग में शामिल होना आवश्यक है। टेंडर में बताई गई बैंक की शर्तों और नियमों में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से भरे हुए टेंडर डॉक्यूमेंट 28 जनवरी, 2026 को 13:00 बजे तक MSTC साइट पर अपलोड किए जाने चाहिए।

9. बैंक सबसे कम टेंडर स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे किसी भी टेंडर को पूरा या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी टेंडर को खारिज करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

हैदराबाद

दिनांक: 14 जनवरी 2026

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
हैदराबाद



भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
हैदराबाद

भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ/वीआरवी) तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/30/25-26/ईटी/832

भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

यह दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। भारतीय रिजर्व बैंक को उत्तर देने के उद्देश्य को छोड़कर, आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर इसकी प्रतिलिपि, वितरण या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इस दस्तावेज की सामग्री का उपयोग, यहां तक कि अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा यहां निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी, सख्त वर्जित है और कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, हैदराबाद ने इस दस्तावेज़ को इच्छुक पक्षों को परियोजना के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां मौजूद जानकारी तैयार करने में आवश्यक सावधानी बरती है और उसके अनुसार यह सूचना सही है तथापि इस दस्तावेज में दी गई जानकारी की पूर्णता या सटीकता या इसके साथ दी गई किसी सूचना के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक या उनके अधिकारियों या एजेंसियों या उनसे कोई भी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों द्वारा कोई भी वारंटी या उसका दावा, चाहे वह व्यक्त या अंतर्निहित हो, नहीं किया जाता है।

व्यक्त जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पार्टियों को स्वयं पूछताछ करने और प्रतिवादियों को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे केवल निविदा प्रस्तुत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर दी जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके किसी भी प्राधिकरी या एजेंसियों या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक परियोजना को आगे बढ़ाने या परियोजना के स्वरूप को बदलने के लिए, इस दस्तावेज में दर्शाई गई समय सारणी को बदलने या लागू होनेवाली प्रक्रिया या प्रणाली को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह इस परियोजना में रुचि दिखाने वाले किसी भी पक्ष से इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी रखता है। इस परियोजना में रुचि दिखाने वाले किसी भी पक्ष या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

DISCLAIMER

Reserve Bank of India, Estate Department, Hyderabad, has prepared this document to give background information on the Project to the interested parties. While Reserve Bank of India has taken due care in the preparation of the information contained herein and believe it to be in order, neither Reserve Bank of India nor any of its authorities or agencies nor any of their respective officers, employees, agents or advisors give any warranty or make any representations, express or implied as to the completeness or accuracy of the information contained in this document or any information which may be provided in association with it.

The information is not intended to be exhaustive. Interested parties are required to make their own inquiries and respondents will be required to confirm in writing that they have done so, and they do not rely only on the information provided by RBI in submitting the Tender. The information is provided on the basis that it is non-binding on Reserve Bank of India or any of its authorities or agencies or any of their respective officers, employees, agents or advisor.

Reserve Bank of India reserves the right not to proceed with the Project or to change the configuration of the Project, to alter the timetable reflected in this document or to change the process or procedure to be applied. It also reserves the right to decline to discuss the matter further with any party expressing interest. No reimbursement of cost of any type will be paid to persons or entities expressing interest.



भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
हैदराबाद

भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ/वीआरवी) तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)

भारतीय रिजर्व बैंक हैदराबाद स्थित अपने मुख्य कार्यालय भवन के सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (VRF/VRV) तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (DSITC) हेतु दो भागों में ई-निविदा आमंत्रित करता है। इच्छुक और पात्र कंपनियां/फर्म भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx और एमएसटीसी की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा की अनुमानित लागत ₹22 लाख है। निविदा जमा करने की समयसीमा इस प्रकार है:

निविदा आमंत्रण की सूचना की तिथि: 14 जनवरी, 2026

निविदा जमा करने की प्रारंभ तिथि: 14 जनवरी, 2026, शाम 6:00 बजे से।

बोली-पूर्व बैठक की तिथि: 21 जनवरी, 2026 को 11:00 बजे।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 28 जनवरी, 2026 दोपहर 1 बजे तक

निविदा के भाग I के खुलने की तिथि एवं समय: 28 जनवरी, 2026 को दोपहर 2 बजे

निविदा के भाग II को खोलने की तिथि और समय: भाग I की जांच के बाद तय किया जाएगा।

सभी इच्छुक कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों को एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट का उपयोग करें। कृपया यह भी ध्यान दें कि आगे कोई भी परिशिष्ट/संशोधन केवल आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

बैंक कोई कारण बताए बिना किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक
हैदराबाद, तेलंगाना

निविदा अनुसूची (एसओटी)

1. ई-निविदा संख्या	ई-निविदा संख्या: आरबीआई/हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/ 30/25-26/ईटी/832
2. कार्य का नाम:	"हैदराबाद स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट पलो (वीआरएफ/वीआरवी) तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)"
3. निविदा का तरीका:	एमएसटीसी वेबसाइट के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - वित्तीय बोली) https://www.mstcecommerce.com/eprocn
4. निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की तिथि, जब से यह डाउनलोड हेतु जो पार्टियों को उपलब्ध है।	14 जनवरी, 2026
5. बोली-पूर्व बैठक की तिथि और समय (ऑफलाइन)	21 जनवरी 2026 को 11:00 बजे (स्थान: भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग, पहली मंजिल, सचिवालय रोड, सैफबाद, हैदराबाद - 500004)। नोट: प्रतिभागियों को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए ईमेल estatehyderabad@rbi.org.in , vtirupathirao@rbi.org.in और akkakani@rbi.org.in पर एक दिन पहले अपनी सहभागिता की पुष्टि करनी होगी।
6. कार्य की अनुमानित लागत:	₹ 22 लाख (केवल बाईस लाख रुपये)
7. बयाना जमा राशि (ईएमडी)	सभी बोलीदाताओं से ₹44,000/- (केवल चौवालीस हजार रुपये) एनईएफटी/ डिमांड ड्राफ्ट/अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में, जो अनुलग्नक-ई में दिए गए बैंक के प्रारूप के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के पक्ष में 28 जनवरी 2026 को दोपहर 13:00 बजे से पहले देनी होगी। एनईएफटी के लिए विवरण IFSC कोड – RBISONEFTHY (पांचवां अंक शून्य है) खाता संख्या – 8614038 लाभार्थी का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद टिप्पणी: एस्टेट <space> वीआरएफ / वीआरवी का डीएसआईटीसी <space> आपकी फर्म का नाम प्रतिभागियों को अपने द्वारा किए गए ईएमडी का विवरण estatehyderabad@rbi.org.in , vtirupathirao@rbi.org.in और akkakani@rbi.org.in

ni@rbi.org.in पर ईमेल के माध्यम से जमा करना होगा।

बैंक गारंटी/डीडी को 28 जनवरी, 2026 को दोपहर 1 बजे से पहले हैदराबाद स्थित मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिजर्व बैंक के संपदा विभाग में व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा।

8. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	28 जनवरी 2026 को दोपहर 13:00 बजे
9. कार्य निष्पादन हेतु प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी)	स्वीकृत अनुबंध राशि का 5%। (निविदा के अनुच्छेद 3.34 का संदर्भ लें)
10. प्रत्येक आरए बिल/अंतिम बिल से कटौती की जाने वाली प्रतिधारण राशि (रु.)	प्रत्येक आरए बिल/अंतिम बिल से वास्तविक निष्पादित कार्य मूल्य का 5%।
11. कार्य शुरू करने के लिखित आदेश की तिथि से कार्य पूरा करने के लिए दी गई समयावधि।	कार्य आदेश की तिथि से 3 सप्ताह
12. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली की बोली प्रारंभ तिथि https://www.mstcecommerce.com/eproc पर उपलब्ध है।	14 जनवरी 2026 को शाम 6:00 बजे
13. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	28 जनवरी 2026 को दोपहर 13:00 बजे
14. भाग-। (अर्थात तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि एवं समय	28 जनवरी 2026 को दोपहर 2:00 बजे
15. भाग-॥ (अर्थात वित्तीय बोली) खोलने की तिथि एवं समय	पात्र बोलीदाताओं को सूचित कर दिया जाएगा।
16. लेनदेन शुल्क	लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी पेमेंट गेटवे के माध्यम से एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा चालान के माध्यम से या नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान द्वारा एमएसटीसी लिमिटेड के नाम पर किया जा सकता है। भुगतान प्राप्त होने पर, सिस्टम स्वचालित रूप से भुगतान को अधिकृत कर देगा। ई-प्रोक्योरमेंट में भाग लेने के लिए शुल्क का भुगतान एमएसटीसी लिमिटेड को एमएसटीसी गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में या एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा निर्देशित अनुसार किया जाएगा।

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	अनुलग्नक 1. ई-प्रापण के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	7
2	अनुलग्नक 2. ई-निविदा आमंत्रण सूचना	11
3	खंड-I. निविदा का प्रारूप	16
4	खंड-II. करार की शर्तें	19
5	खंड-III. निविदाकार के लिए सामान्य निर्देश एवं विशेष शर्तें	24
6	खंड-IV. सुरक्षा संहिता, अग्रि सुरक्षा	38
7	खंड-V. इसमें पहले उल्लिखित शर्त	40
8	खंड-VI: इसमें संदर्भित वाणिज्यिक शर्तें	55
9	खंड-सात. वाणिज्यिक जांच सूची	56
10	खंड VIII: वाणिज्यिक विचलनों की अनुसूची	57
11	खंड-IX. तकनीकी विनिर्देश	58
12	खंड X: तकनीकी जानकारी की अनुसूची	67
13	खंड XI: तकनीकी विचलनों की अनुसूची	68
14	मात्रा का मूल्यरहित बिल का मसौदा (कोटेशन हेतु प्रस्तुत न किया जाए, केवल मूल्य बोली प्रारूप के संदर्भ के लिए)	69
15	अनुलग्नक ए - उत्पाद एवं रखरखाव सहायता प्रदान करने का प्रारूप	74
16	अनुलग्नक बी - ग्राहक प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा	75
17	अनुलग्नक सी - बैंकर प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा	77
18	अनुलग्नक डी - प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप	78
19	अनुलग्नक-ई - बयाना जमा राशि के बदले बैंक गारंटी हेतु प्रपत्र	79
20	अनुलग्नक एफ - सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र	81
21	अनुलग्नक जी - ओईएम से प्राधिकरण पत्र और रखरखाव वचन पत्र के लिए प्रोफार्मा	84
22	अनुलग्नक एच - भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाण पत्र का प्रपत्र	85
24	भाग II (मूल्य बोली)	87

अनुबंध 1

एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ई-प्रापण के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिजर्व बैंक का एक ई-प्रापण कार्यक्रम है। ई-प्रापण सेवा प्रदाता/ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना और यदि कोई बाद में संशोधन हो तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। जो बोलीदाता शर्तों का पालन नहीं करते हैं और दस्तावेजी प्रमाण (जहां आवश्यक हो) प्रस्तुत नहीं करते हैं, वे निविदा में मूल्य बोली खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे।

ई-निविदा प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में विक्रेता का एमएसटीसी ई-प्रापण पोर्टल पर पंजीकरण शामिल है, जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोलियां जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से की जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी ॥ हस्ताक्षर और एक्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली दोनों एक ही होनी चाहिए।

केवल www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन जमा करें (वर्जन 3)

1) विक्रेताओं को ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है

www.mstcecommerce.com/eprocn

विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें -- विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं। सबमिट करें। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड / वीडियो / पंजीकरण पर जाएं।

विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरते समय दिए गए ईमेल पते पर सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया ईमेल प्राप्त होगा, जिसमें उनके पंजीकरण की पुष्टि होगी। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें।

सम्पर्क करने का विवरण:

क) विक्रेताओं के लिए संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

मुख्यालय केंद्रीय सहायता डेस्क: (विक्रेताओं के लिए)

फ़ोन नंबर: 07969066600

helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय कृपया विषय में "HO हेल्पडेस्क" लिखें)

उपलब्धता

सभी कार्यादिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक सभी तकनीकी समस्याओं, ई-टेंडरों, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए संपर्क किया जा सकता है।

ख) संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी)

(तेलंगाना क्षेत्रीय कार्यालय) फ़ोन नंबर: (040) 23301039

ईमेल आईडी: mstchyd@mstcindia.in

ग) संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):

1. श्री सुनील कुमार, समप्र (इलेक्ट्रिकल) संपदा, 040-23267143
2. श्री. तिरुपति राव वेलामाला, प्रबंधक, संपदा विभाग, 040-23267155
3. श्री केपी चैतन्य राम, जेर्सी (इलेक्ट्रिकल), संपदा विभाग, 040-232671171
4. श्री अजय कुमार काकानी, सहायक, संपदा विभाग, 040-23267109.

बी) सिस्टम आवश्यकताएँ:

अधिक जानकारी के लिए, विक्रेता <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड देख सकते हैं।

लेनदेन शुल्क के संबंध में विशेष नोट:

विक्रेता अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के सामने "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके या "इवेंट कैटलॉग" में "लेनदेन शुल्क भुगतान करें" विकल्प के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के पास NEFT या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। NEFT का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेंगे। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता चालान पर छपे विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क की राशि का भुगतान करेंगे और उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। भुगतान MSTC के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा होते ही, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा।

लेनदेन शुल्क अप्रतिदेय है। लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता ऑनलाइन ई-निविदा में भाग नहीं ले सकेगा।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से काफी पहले लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

निविदाओं/संशोधनों से संबंधित जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा ही भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय उनके द्वारा प्रदान की गई कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन हो। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने क्लास ॥ हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की वैधता सुनिश्चित करें। एनआईटी में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा तक पहुंच प्राप्त नहीं की जा सकती है।

ई-निविदा में बोली लगाना:

नोट: विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए 'मेरा' मेनू में 'दस्तावेज़ अपलोड करें' लिंक का उपयोग करें। एक साथ कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड किए जाने

वाले एक दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता संबंधित ई-निविदा के लिए 'दस्तावेज़ संलग्न करें' लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि किसी ई-निविदा के साथ दस्तावेज़ संलग्न नहीं किए जाते हैं, तो आरबीआई उन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएगा और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए, कृपया विक्रेता मार्गदर्शिका के निर्देशों का पालन करें।

ए) बोलीदाताओं को आवश्यक ईएमडी, ई-निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग-अलग जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) अप्रतिदेय है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी आरबीआई द्वारा वापस कर दी जाएगी।

बी) इस प्रक्रिया में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया शामिल है। जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क -> सामान्य शर्तें -> दस्तावेज़ संलग्न करें -> मूल्य बोली के माध्यम से इंटरनेट पर अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें: लेन-देन शुल्क और ईएमडी विवरण सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, विक्रेता के लॉगिन में दस्तावेज़ संलग्न करने और सामान्य शर्तों का टैब सक्रिय हो जाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, विक्रेता लॉट-विशिष्ट शर्तों को सहेज सकेंगे और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा कर सकेंगे या मूल्य बोली जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड और अपलोड कर सकेंगे। यदि दस्तावेज़ संलग्न करने और/या सामान्य शर्तों को सहेजने का चरण असफल रहता है, तो लॉट-विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के टैब निष्क्रिय हो जाएंगे। सफल/लंबित होने की स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित होगी।

सी) सबसे पहले विक्रेता को यदि कोई वाणिज्यिक विनिर्देश हो तो उसे भरकर सेव करना होगा। इसके बाद विक्रेता को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी होगी। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाएगा और उसे भरकर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली दर्ज करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना होगा। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम प्रस्तुति" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएं" विकल्प दिखाई देगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली हटाना चाहता है और दोबारा बोली जमा करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करके बोली दोबारा जमा करनी होगी और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना होगा।

डी) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय अपने स्वयं के आईडी और पासवर्ड के साथ-साथ डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करना चाहिए।

ई) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले एक-दूसरे से और साथ ही बाकी सभी से पूरी तरह गुमनाम रहेंगे। एफ) ई-निविदा प्रक्रिया पूर्व-घोषित तिथि और समय से तथा ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुली रहेंगी।

जी) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली माना जाएगा और क्रेता द्वारा उसकी स्वीकृति क्रेता और बोलीदाता के बीच आपूर्ति/कार्य निष्पादन के लिए एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी। ऐसे सफल निविदाकार को आगे आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।

एच) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां क्लास ॥। हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आई) क्रेता बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

जे) ई-निविदा दस्तावेज़ की शर्तों और नियमों का कोई भी उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा में बोली जमा करना, ई-निविदा की शर्तों और नियमों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

के) माप की इकाई (UOM) ई-निविदा फ्लोर में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा फ्लोर/टेंडर दस्तावेज़ में दर्शाई गई UOM के अनुसार भारतीय रूपये में होनी चाहिए।

एल) निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोलियां प्राप्त करने की नियत तिथि बढ़ाने का अधिकार है।

निविदा दस्तावेज की शर्तों और नियमों का कोई भी उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा मंच पर बोली जमा करना निविदा की शर्तों और नियमों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

इस निविदा के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाला कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोलियां प्राप्त करने की नियत तिथि बढ़ाने का अधिकार है।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए <https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi> पेज पर विक्रेता गाइड पढ़ें और वीडियो देखें।

विक्रेताओं द्वारा कोट की गई दरों में जीएसटी शामिल होना चाहिए।

महत्वपूर्ण नोट

दरें ऑनलाइन कोट की जानी हैं। ऑनलाइन मूल्य बोली में, 1000 अक्षरों की शब्द सीमा के कारण, पूर्ण विवरण शामिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए दिया गया विवरण संक्षिप्त है। ऑनलाइन दरें कोट करने से पहले, सभी ठेकेदारों को निविदा दस्तावेज के भाग-॥ में दिए गए प्रत्येक मद का संपूर्ण विवरण अवश्य पढ़ना चाहिए।

क्रियान्वयन और दर निर्धारण के उद्देश्य से, निविदा दस्तावेज के भाग-॥ में दिए गए विवरणों को लागू किया जाएगा।



भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
हैदराबाद

अनुबंध- 2

ई-निविदा आमंत्रण सूचना
(केवल एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से)

भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद, अपने मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (VRF/VRV) तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम के डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (DSITC) हेतु MSTC के माध्यम से ई-टेंडर आमंत्रित करता है। विस्तृत निविदा सूचना सहित ई-टेंडर MSTC लिमिटेड के ई-टेंडरिंग पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>) पर "निविदाए" पेज के अंतर्गत उपलब्ध है।

2. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी इच्छुक और पात्र कंपनियों/फर्मों को उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी के साथ अपना पंजीकरण कराना होगा।

3. ई-टेंडर का कार्यक्रम निम्नलिखित है:

ई-निविदा संख्या	ई-निविदा संख्या: आरबीआई/हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/30/25-26/ईटी/832
कार्य का वर्णन	भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन के सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (VRF/VRV) तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (DSITC) कार्य।
निविदा का तरीका	ई-टेंडर ऑनलाइन भाग। - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली https://www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से जमा करें।
अनुमानित लागत	₹22 लाख (केवल बाईस लाख रुपये)
निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) पार्टियों को डाउनलोड हेतु उपलब्ध होने की तिथि	14 जनवरी, 2026
बोली-पूर्व बैठक (ऑफलाइन)	21 जनवरी 2026 को 11:00 बजे (स्थान: भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग, पहली मंजिल, सचिवालय रोड, सैफबाद, हैदराबाद - 500004)। नोट: प्रतिभागियों को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए ईमेल आईडी estatehyderabad@rbi.org.in , vtirupathirao@rbi.org.in और akkakani@rbi.org.in पर एक दिन पहले अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी।
बयाना जमा राशि (ईएमडी)	₹44,000/- (केवल चौवालीस हजार रुपये) सभी बोलीदाताओं से एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान लिया जाएगा।

	<p>भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के पक्ष में अनुलग्नक-ई में दिए गए बैंक प्रारूप में एक अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी (बीजी) 28 जनवरी, 2026 को दोपहर 13:00 बजे से पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए।</p> <p>एनईएफटी के लिए विवरण IFSC कोड – RBISONEFTHY (पांचवां अंक शून्य है) खाता संख्या – 8614038 लाभार्थी का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद</p> <p>टिप्पणी: एस्टेट <space> वीआरएफ / वीआरवी का डीएसआईटीसी <space> आपकी फर्म का नाम</p> <p>प्रतिभागियों को अपने द्वारा किए गए ईएमडी का विवरण estatehyderabad@rbi.org.in, vtirupathirao@rbi.org.in और akk.akani@rbi.org.in पर ईमेल के माध्यम से जमा करना होगा।</p> <p>बैंक गारंटी/डीडी को 28 जनवरी, 2026 को दोपहर 1 बजे से पहले हैदराबाद स्थित मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिजर्व बैंक के संपदा विभाग में व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा।</p>
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	28 जनवरी 2026 को दोपहर 13:00 बजे
ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	14 जनवरी 2026 को शाम 6:00 बजे
तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	28 जनवरी 2026 को दोपहर 13:00 बजे
भाग-। (तकनीकी-व्यावसायिक बोली) खोलने की तिथि	28 जनवरी 2026 को दोपहर 2:00 बजे
भाग-॥ (मूल्य बोली) खोलने की तिथि	भाग । की जांच के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और पात्र बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।

4. पात्रता मानदंड:

- निविदाकार मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) या उसका वैध प्राधिकरण प्रमाण पत्र वाला अधिकृत डीलर होना चाहिए।
- निविदाकार के पास वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (VRF / VRV) तकनीक आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (DSITC) जैसे समान कार्यों को करने के क्षेत्र में चूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए (कार्य 31 दिसंबर, 2020 से पहले पूर्ण किए गए हों)।
- निविदाकार ने 31 दिसंबर, 2020 को या उसके बाद बड़े कार्यालय भवनों / वाणिज्यिक परिसरों / औद्योगिक भवनों के लिए परिवर्तनीय रेफ्रिजरेंट फ्लो (VRF / VRV) प्रौद्योगिकी आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (DSITC) जैसे समान कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया होना चाहिए, जिनकी व्यक्तिगत लागत निम्नलिखित है।

(क) तीन कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए या

(ख) दो कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए या

(ग) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम न हो।

iv. निविदाकारों का पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम वार्षिक कारोबार ₹22.00 लाख होना चाहिए, जिसका समर्थन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा किया जाना चाहिए।

v. निविदाकारों के पास बिक्री पश्चात सेवा प्रदान करने के लिए हैदराबाद/सिकंदराबाद में पूर्ण सेवा व्यवस्था होनी चाहिए।

5. ठेकेदार निविदाकार की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा जांच हेतु निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज एमएसटीसी साइट पर अपलोड करेंगे:

ए)	फर्म की संरचना	ठेकेदार फर्म की संरचना का विस्तृत विवरण (चाहे ठेकेदार एक व्यक्ति हो, साझेदारी फर्म हो या कंपनी आदि) साझेदार के नाम और पते के साथ-साथ एसोसिएशन के नियमों/वकील के अधिकार पत्र/अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति अपलोड की जानी चाहिए।
बी)	कार्य अनुभव और निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों का सफल निष्पादन।	योग्य कार्यों के विस्तृत कार्य आदेशों की प्रतियां, जिनमें कार्य सौंपने की तिथि, कार्य का मूल्य, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि अंकित हो, और साथ ही निष्पादित समान कार्यों के वास्तविक समापन तिथि और वास्तविक मूल्य को दर्शनी वाले संबंधित समापन प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव के प्रमाण के रूप में संलग्न किए जाने चाहिए। पूर्व अनुभव के दस्तावेजी साक्ष्य सहित विवरण, यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए किसी भी केंद्र पर किए गए कार्यों से संबंधित जानकारी भी अपलोड की जानी चाहिए।
सी)	ठेकेदार की साख और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका कारोबार	आयकर मंजूरी प्रमाणपत्रों/आयकर प्रमाणपत्रों की प्रतियां ठेकेदार के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों के साथ कर निर्धारण आदेश, जो विधिवत प्रमाणित हों। चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा पिछले तीन वर्षों के क्रेडिट योग्यता और टर्नओवर के प्रमाण के रूप में दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए।
डी)	बैंकरों के नाम और पते तथा उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते	उनके बैंकर्स के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी, जिसमें नाम, डाक पता आदि जैसी पूरी जानकारी शामिल हो। संपर्क अधिकारियों के ईमेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि (अर्थात वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा उनके बैंक के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, यदि कोई आवश्यकता हो)। इसकी बहुत जरूरत है, इसलिए इसे अपलोड किया जाना चाहिए।
और)	बैंक खाते का विवरण	उनके बैंक खातों का पूरा विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, खाता खोलने की तिथि आदि, प्रदान किया जाना चाहिए।
एफ)	ग्राहकों के नाम और पते और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारी	ग्राहकों के नाम और पते के साथ-साथ संपर्क अधिकारियों (अर्थात वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा ग्राहकों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के पूर्ण विवरण, जैसे नाम, डाक पता, ईमेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि, लिखित जानकारी।

		जिसकी इतनी आवश्यकता है) उसे अपलोड किया जाना चाहिए।
जी)	पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण	कार्य(र्यों) के ग्राहक-वार नाम, कार्य(र्यों) के निष्पादन का वर्ष, कार्य(र्यों) की स्वीकृत और वास्तविक लागत, अनुबंध(नों) में निर्धारित पूर्णता समय और कार्य(र्यों) को पूरा करने में लगा वास्तविक समय, तथा उन अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क विवरण जिनके अधीन कार्य(र्यों) का निष्पादन किया गया था, अपलोड किए जाने चाहिए।

क) उत्पाद एवं रखरखाव सहायता के लिए वचनबद्धता (परिशिष्ट क)

ख) ग्राहक का प्रमाण पत्र और ठेकेदार का प्रदर्शन (परिशिष्ट ख)

ग) बैंकर्स का प्रमाण पत्र (अनुलग्नक सी)

घ) प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए अभिरक्षा पत्र (अनुलग्नक घ)

ई) ओईएम से प्राधिकरण पत्र और रखरखाव वचन पत्र (अनुलग्नक जी)

च) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाण पत्र (अनुलग्नक एच)

नोट (ग्राहक प्रमाणपत्र के संबंध में):

सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ग्राहक का प्रमाण पत्र तभी स्वीकार किया जाएगा जब उस पर कार्यकारी अभियंता/अधीक्षक अभियंता या समकक्ष रैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर हों और ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए भुगतान प्राप्त होने का पर्याप्त प्रमाण संलग्न हो। निजी संगठनों द्वारा जारी ग्राहक प्रमाण पत्र के साथ स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र भी संलग्न होना चाहिए। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के बिना प्राप्त आवेदन/निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती हैं। बैंक को इन प्रमाण पत्रों का स्वतंत्र सत्यापन करने का अधिकार होगा।

6. बैंक ई-टेंडर की मूल्य बोली का मूल्यांकन करने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी समय किसी निविदाकार में ई-टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकर्स से प्राप्त प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती हैं, तो बैंक ई-टेंडर के भाग-। के खुलने के बाद भी उसकी पेशकश को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

7. निविदा दस्तावेज एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर 14 जनवरी, 2026 को शाम 6:00 बजे से उपलब्ध होंगे। निविदा दस्तावेज और सभी सहायक दस्तावेजों पर इच्छुक निविदाकार द्वारा विधिवत मुहर लगाकर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और उन्हें एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। ई-निविदा दस्तावेज के भाग। और सहायक दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि कोई फर्म अपेक्षित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है, तो बैंक द्वारा उनकी ई-निविदा को आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाग-॥ (मूल्य बोली) खोलने की तिथि भाग-। दस्तावेजों की जांच के बाद सभी पात्र निविदाकारों को सूचित की जाएगी। 1. यदि इच्छुक निविदाकार बैंक को संतुष्ट करने में विफल रहता है, तो बैंक को उनके द्वारा प्रस्तुत बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

8. इच्छुक निविदाकारों की पूर्व-बोली बैठक (ऑफलाइन माध्यम से) 21 जनवरी, 2026 को सुबह 11:00 बजे संपदा विभाग, प्रथम मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। सभी संभावित निविदाकारों को निविदा के दायरे को समझने/यदि कोई स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो उसे प्राप्त करने के लिए पूर्व-बोली बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है। निविदा में उल्लिखित बैंक के नियमों और शर्तों में किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। विधिवत भरे हुए निविदा दस्तावेज 28 जनवरी, 2026 को दोपहर 1:00 बजे तक एमएसटीसी वेबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए।

9. बैंक सबसे कम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी बोली को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

हैदराबाद

14 जनवरी, 2026

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
हैदराबाद

खंड I: निविदा का प्रारूप

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
हैदराबाद

दिनांक: _____
स्थान: _____

प्रिय महोदय/महोदया,

हमने नीचे दिए गए ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थापना स्थल का दौरा और निरीक्षण करने के बाद तथा निविदा को प्रभावित करने वाली आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, हम उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर, संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और अनुबंध के अनुच्छेदों, निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों, पहले उल्लिखित शर्तों, विनिर्देशों, डेटा शीट और मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित विनिर्देशों और लिखित निर्देशों के अनुसार, तथा उन शर्तों के अनुसार, जहां तक वे लागू हों, सभी मामलों में निष्पादित करने का प्रस्ताव करते हैं।

ज्ञापन

(ए)	कार्यों का विवरण	भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ/वीआरवी) तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)।
(बी)	अनुमानित लागत	रुपये 22.0 लाख
(सी)	भुगतान की शर्तें	खंड 3.13 के अनुसार सामान्य निर्देश ठेकेदार और विशेष शर्तें।
(डी)	बयाना जमा राशि	रुपये 44,000 (केवल चौवालीस हजार रुपये)
(और)	कार्य के आभासी रूप से पूर्ण होने के बाद प्रदर्शन बैंक गारंटी (बीजी)	सिस्टम सौंपे जाने की तिथि से न्यूनतम 5 वर्ष की वैधता के साथ अनुबंध मूल्य (केवल पूंजीगत लागत) का 10% बैंक गारंटी। इस बैंक गारंटी की समाप्ति से एक माह पहले, अनुबंध मूल्य (पूंजीगत लागत) के 5% मूल्य की न्यूनतम 4 वर्ष की वैधता वाली एक और बैंक गारंटी प्रस्तुत की जानी चाहिए।
(एफ)	प्रतिधारण राशि (रु.)	एक वर्ष के लिए निष्पादित मूल्य का 5%

(जी)	कार्य सौंपे जाने की तिथि से कार्य पूरा करने के लिए दी गई समयावधि	कार्य आदेश के दिन से 3 सप्ताह
और)	मूल्य बोली का मूल्यांकन	<p>निविदा खंड 3.24 के अनुसार,</p> <p>कुल देय लागत = (पूंजी लागत A (आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना) - पुराने 2 8.5TR पैकेज AC यूनिटों को वापस लेने के लिए प्रस्तावित बायबैक (B)) + (पहले वर्ष की वार्षिक एमसी लागत X 7.03)</p>

2. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा के भाग I के खुलने की तिथि से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और इस वैधता अवधि को बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक सहमति से बढ़ाया जा सकता है। हम निविदा की वैधता अवधि के दौरान अग्रिम राशि के रूप में बैंक गारंटी को भी वैध रखने के लिए सहमत हैं, जैसा कि संलग्न प्रपत्र ([अनुलग्नक E](#)) में दिया गया है।
3. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम एतद्वारा निविदा की सभी शर्तों और नियमों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत होते हैं, और ऐसा न करने की स्थिति में, निविदा में निहित शर्तों के साथ अनुबंध की लिखित स्वीकृति में उल्लिखित धनराशि आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या नियुक्तियों या नामित व्यक्तियों को देय होगी।
4. मैं/हम समझते हैं कि आपके पास बिना कोई कारण बताए ई-टेंडर को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। हमने भारतीय रिजर्व बैंक में ₹44,000/- की अग्रिम राशि जमा कर दी है, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि हम अनुबंध को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, तो हम एतद्वारा सहमत हैं कि यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दी जाएगी।
5. निविदा केवल एमएसटीसी पोर्टल के ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाएगी।

दिनांक _____ माह _____ 2026

मेसर्स _____ की ओर से और उनके लिए

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम

स्थान _____

तिथि

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता के पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।

गवाह

(1) हस्ताक्षर के साथ

नाम, पता और तिथि

(2) हस्ताक्षर सहित

नाम, पता और तिथि

खंड II

करार की शर्तें

यह करार एक पक्ष के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई- 400 001 में है (जिसे इसके बाद "नियोक्ता" कहा गया है) और दूसरे पक्ष के रूप में (जिसे इसके बाद ठेकेदार कहा गया है) के बीच के दिन निष्पादित किया गया।

ARTICLES OF AGREEMENT made the _____ day of _____ between the Reserve Bank of India having its Central Office at Mumbai 400 001 (hereinafter called "the Employer") of the one part and _____ (hereinafter called "the Contractor") of the other part.

जबकि नियोक्ता भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन पर स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (VRF / VRV) टेक्नोलॉजी पर आधारित एयर-कंडीशनिंग सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआर्टीसी) कार्य की व्यवस्था एवं स्थापना करवाने के कार्य के लिए इच्छुक है तथा किए जाने वाले कार्य की विशिष्टाओं को दर्शाया है। तथा कार्य को दर्शाने और कार्य का वर्णन करने वाले विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची पर पक्षकारों द्वारा या उनकी तरफ से हस्ताक्षर किए गए हैं।

WHEREAS the Employer is desirous of **Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning (DSITC) of Variable Refrigerant Flow (VRF / VRV) technology based air-conditioning system for Auditorium at Main Office Building, Reserve Bank of India, Hyderabad.** and has caused drawings and specifications describing the work to be done. AND WHEREAS the said specifications, and the schedule of quantities have been signed by or on behalf of the parties hereto. या जबकि ठेकेदार शर्तों के अधीन आगे इसमें निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों में निर्धारित शर्तों और काम की मात्रा की अनुसूची और संविदा की शर्तों, यथासंशोधित एवं अंतिम रूप से दोनों पक्षों का मान्य, (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "उक्त शर्तें" कहा जाएगा) के अनुसार कार्य को, जो उक्त ड्राइंग तथा/अथवा उक्त विनिर्देश में वर्णित है और काम की मात्रा की अनुसूची में शामिल है, उसमें निर्धारित दर पर गणना की गई कुल राशि पर या उसके अंतर्गत ऐसी अन्य देय राशि पर (इसके बाद इसे "उक्त संविदा राशि" कहा जाएगा) कार्य करने के लिए सहमत है।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon the subject work to the conditions set forth herein and to the conditions set forth in the special conditions and in the schedule of quantities and conditions of Contract as modified and finally accepted by both the parties (all of which are collectively hereinafter referred to as "the said Conditions") the works shown upon the said drawings and/or described in the said Specifications and included in the Schedule of quantities at the respective rates therein set forth, amounting to the sum as therein arrived at or such other sum as shall become payable there under (hereinafter referred to as, the said Contract Amount").

एतद् द्वारा अब निम्नानुसार सहमति हुई है:-

एतद् द्वारा अब निम्नानुसार सहमति हुई है:-

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS

1. ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन विनिर्देशनों के अनुसार नियत ड्राइंग और काम की मात्रा की अनुसूची में दर्शाया गया काम पूरा करेगा।

In consideration of the said Contract Amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said Conditions, the Contractor shall upon and subject to the said Conditions, execute and complete the work described in the said Specifications and the Schedule of Quantities.

2. नियोक्ता, ठेकेदार को उक्त संविदा राशि अथवा समयसमय पर देय होने- वाली अन्य राशि उक्त शर्तों में विनिर्दिष्ट तरीके से अदा करेगा।

The Employer shall pay the Contractor the said Contract Amount, or such other sum as shall become payable, at the times and in the manner specified in the said Conditions.
3. उक्त शर्तों के अनुसार संपदा विभाग ,भारतीय रिज़र्व बैंक , हैदराबाद के उप महाप्रबंधक नियोक्त की तरफ से काम करेंगे।

In the said conditions hereinbefore mentioned, the DGM (Estate) shall act on behalf of the Employer.
4. उक्त शर्ते और साथ में दी गई परिशिष्ट इसके साथ पढ़े जाएँगे और इस करार का हिस्सा माने जाएँगे और संबंधित पक्ष इस करार की उक्त शर्तों तथा संबंधित पत्राचार का पालन करेंगे और उक्त शर्तों के अनुसार क्रमशः अपनी ओर से करार का पालन करेंगे।

The said Conditions, and Appendix thereto shall be read and construed as forming part of this Agreement, and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and perform the agreements on their part respectively in the said Conditions contained.
5. इसमें उल्लिखित ड्राइंग, करार एवं दस्तावेज इस संविदा के आधारभूत घटक होंगे।

The agreement and documents mentioned herein shall form the basis of this contract.
6. यह संविदा न तो एक निर्धारित एकमुश्त संविदा है और न ही कोई आंशिक कार्य संविदा है, बल्कि यह संपूर्ण कार्य के लिए संविदा है जिसका भुगतान वास्तविक रूप से किए गए कार्य की मात्रा तथा संभावित मात्रा के लिए कार्य की अनुसूची में उद्धृत दरों से या उक्त शर्तों में वर्णित किए गए अनुसार किया जाएगा।

This contract is neither a fixed Lump Sum Contract nor a Piece Work Contract but it is a Contract to carry out the work, to be paid for according to actual measured quantities at the rates contained in the Schedule of rates and probable quantities or as provided in the said Conditions.
7. ठेकेदार, नियोक्ता द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों को सभी कार्य करने के लिए प्रत्येक उचित सुविधा प्रदान करेगा और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श इत्यादि को हुई क्षति की भरपाई करेगा।

The Contractor shall make good any damages done to walls, floors etc. after the completion of such works.
8. नियोक्ता के पास इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना काम की प्रकृति बदलने, कोई मद जोड़ने या किए गए काम की मद को निकालने या उसके कुछ हिस्सों को बनाए रखने का अधिकार सुरक्षित होगा। तथापि, निविदा में उल्लिखित मात्रा से अधिक कार्य करने के लिए बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखित में अनुमोदित किए बिना किसी भुगतान का पात्र नहीं होगा।

The Employer reserves to itself the right of altering the nature of the work by adding to or omitting any items of work or having portions of the same carried out without prejudice to this contract.
9. समय इस अनुबंध के सार के रूप में माना जाएगा और ठेकेदार इसके द्वारा उसे कार्यस्थल सौंपे जाने के तुरंत बाद कार्य प्रारंभ करने एवं समय विस्तार का प्रावधान होने के बावजूद कार्य आदेश जारी होने के इनमें से जो भी बाद में , हो, तथा 03 weeks के निर्धारित अवधि के भीतर संपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए सहमत हुआ है जैसा कि उक्त शर्तों में उल्लिखित है।

Time shall be considered as the essence of the contract and the Contractor hereby agrees to commence the work from the date of issue of formal works order as provided for in the said conditions and to complete the entire work within 03 weeks from the date of work order subject nevertheless to the provisions for extensions of time.

7. इस संविदा के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद में किए जाएंगे।

All payments by the Employer under this contract will be made only at Hyderabad.

8. इस करार के तहत या इससे जुड़े किसी भी कारण से उत्पन्न विवाद को हैदराबाद में उत्पन्न विवाद समझा जाएगा और उसके निपटान का क्षेत्राधिकार हैदराबाद में ही स्थित न्यायालयों का निर्धारित क्षेत्राधिकार होगा।

All disputes arising out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Hyderabad and only Courts in Hyderabad shall have jurisdiction to determine the same.

9. इस संविदा के अलग अलग भागों को ठेकेदार ने-पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है। That the several parts of this Contract have been read by the Contractor and fully understood by the Contractor.

नियोक्ता और ठेकेदार ने इस बारे में साक्ष्य स्वरूप अपने-अपने हस्ताक्षर किए और इसकी दो प्रतियाँ उक्त दिन और वर्ष को तैयार की गईं।

IN WITNESS WHEREOF the Employer and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and year first hereinabove written.

(यदि ठेकेदार एक साझेदारी फर्म या एक व्यक्ति हो) If the Contractor is a partnership or an individual नियोक्ता ने साक्ष्य स्वरूप अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से हस्ताक्षर किए और ठेकेदार ने इसकी दोनों प्रतियों पर अपनी सामान्य मुहर लगाई तथा इसकी दो प्रतियों पर उसकी ओर से इन्हें उक्त दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया।

IN WITNESS WHEREOF the Employer has set its hands to these present through its duly authorized official and the Contractor has caused its common seal to be affixed hereunto and the said two duplicates/ has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and year first hereinabove written.

हस्ताक्षर खंड (यदि ठेकेदार एक कंपनी हो)	Signatures (If the contractor is Company.)
भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद की ओर से हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द श्री -----	SIGNED AND DELIVERED BY THE Reserve Bank of India by the hand of Shri _____
(नाम एवं पदनाम)	(name and designation)

इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए (गवाह)	in the presence of Witnesses
1) ----- पता -----	(1) Address
1) ----- पता -----	(2) Address
यदि पक्ष एक साझेदारी फर्म या एक व्यक्ति हो	If the party is a partnership firm or an individual should be signed by all or on behalf of all the partners.
----- की ओर से हस्ताक्षित एवं सुपुट्ट इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए	SIGNED AND DELIVERED BY THE Reserve Bank of India by the hand of Shri _____ (name and designation)
इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए (गवाह)	in the presence of Witnesses
1----- पता -----	(1) Address
2) ----- पता -----	(2) Address

निम्नलिखित की उपस्थिति में दिनांक ----- को संपन्न निदेशक बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण में इस पर ----- की कॉमन मुहर लगाई गई है।

(गवाह)

(1) -----

(2) -----

यदि निविदाकार कॉमन मुहर के अंतर्गत हस्ताक्षर करता है तो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं तो हस्ताक्षर खंड संस्था के अन्तर्नियमों में दिए गए मुहर खंड से मेल खाने चाहिए।

निदेशक, जिन्होंने निम्नलिखित के साक्ष्य में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं।

THE COMMON SEAL OF _____

was hereunto affixed pursuant to the resolutions passed by its Board of Directors at the meeting held on _____ in the presence of

(1) -----

(2) -----

विधिवत गठित अटर्नी एवं यदि ठेकेदार चाहे कंपनी के रूप में

श्री ----- या वैयक्तिक रूप में मुख्तारनामा के द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुरुद अंतर्गत हस्ताक्षर करता हो।

If the Contractor signs under its common seal, the signature clause should tally with sealing clause in the Articles of Association.

(1)

(2)

The Contractor by the hand of

Shri

And duly constituted attorney.

खंड III

निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें

3.1 वाणिज्यिक शर्तें :

3.1.1 भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो/वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम (VRF/VRV) तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (DSITC) हेतु ई-टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। अनुमानित लागत ₹22 लाख है और ऐसे योग्य, संसाधन संपन्न और कुशल ठेकेदार/विक्रेताओं/एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जो उपकरण के जीवनकाल तक अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें।

3.1.2. पात्रता मानदंड:

ई-टेंडर केवल उन ओईएम या उनके अधिकृत डीलरों से आमंत्रित किया जाता है जिनके पास वैध प्राधिकरण प्रमाण पत्र हो और जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करते हों:

- केवल वे फर्म ही आवेदन कर सकती हैं जिन्होंने बड़े कार्यालय भवनों/संस्थागत भवनों/वाणिज्यिक परिसरों के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो/वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम (VRF/VRV) तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (DSITC) का कार्य पूरा किया हो और जिनके पास बड़े कार्यालय भवनों/वाणिज्यिक परिसरों के लिए इसी तरह के कार्यों को करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो (कार्य 31 दिसंबर, 2020 से पहले पूरे किए गए हों) और जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया हो।
- पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का न्यूनतम वार्षिक कारोबार 100% होना चाहिए, जिसका लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा विधिवत समर्थन किया गया हो।
- वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (VRF / VRV) तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (DSITC) के कार्य निम्नलिखित रूप में पूर्ण किए गए (कार्य 31 दिसंबर, 2020 को या उसके बाद पूर्ण किए गए):
 - (क) तीन कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए या
 - (ख) दो कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए या
 - (ग) एक ऐसा कार्य जिसकी लागत पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम न हो।
- बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए हैदराबाद/सिंकंदराबाद में पूर्ण सेवा व्यवस्था होनी चाहिए।

निविदाकारों को अपनी पात्रता के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने चाहिए :

- कार्यों के दायरे और मूल्य को दर्शाने वाले विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां ।
- योग्य कार्यों के लिए संबंधित कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र।
- पूर्ण किए गए कार्यों की सूची , जिसमें सभी विवरण शामिल हों।
- पिछले 3 वर्षों के कारोबार का वित्तीय विवरण, एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत ऑडिट किया गया हो।

जो फर्म उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करती है, उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.1.3 निविदा जमा करना:

निविदा दो भागों में तैयार की जाएगी और ऑनलाइन जमा की जाएगी, अर्थात् भाग I में प्रस्ताव के तकनीकी और वाणिज्यिक विवरण होंगे और इन शर्तों के लिए ऑनलाइन सहमति देनी होगी, और भाग II में केवल मूल्य शामिल होंगे। टेलीग्राम, फैक्स और ईमेल द्वारा भेजी गई निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। निविदाकारों के हस्ताक्षर द्वारा पुष्टि किए बिना कोई भी संशोधन, परिशिष्ट, जोड़ या परिवर्तन मान्य नहीं होंगे। निविदाओं की सभी प्रतियां सभी संलग्नकों/अनुलग्नकों/परिशिष्टों सहित पूर्ण होनी चाहिए।

3.2 निविदाकारों को एमएसटीसी वेबसाइट (www.mstcecommerce.com) पर निविदा जमा करने की सलाह दी जाती है। यदि आवेदक अतिरिक्त जानकारी जमा करना चाहते हैं, तो वे इसे अपने लेटरहेड/पेपर पर एमएसटीसी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके जमा करना अनिवार्य है।

3.3 भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ/वीआरवी) तकनीक आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी) हेतु निविदाएं (भाग I और भाग II) केवल ऑनलाइन माध्यम से **28 जनवरी, 2026 को दोपहर 13:00 बजे तक जमा की जानी चाहिए।**

- | |
|---|
| 3.4 क) ई -टेंडर निर्धारित समय / तिथि यानी 28 जनवरी, 2026 को 13:00 बजे तक ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए। |
| ख) बैंक से अपने ई-टेंडर की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकार अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और इसके दो दिन के भीतर ऐसा करना होगा। सफल निविदाकार मसौदा अनुबंध और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदाकार के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध होगी, चाहे ऐसा औपचारिक समझौता बाद में निष्पादित हो या न हो। |
| ग) इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशि उसकी बयाना राशि और सुरक्षा जमा राशि से काटी जा सकती है, यदि राशि इसकी अनुमति देती है, और ठेकेदार, जब तक कि ऐसी जमा राशि अन्यथा देय न हो जाए, ऐसी कटौती के दस दिनों के भीतर नकद में काटी गई राशि की भरपाई करेगा। |

3.5 भाग I – तकनीकी एवं वाणिज्यिक

3.5.1 भाग I में निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र, दस्तावेज़ और वाणिज्यिक नियम एवं शर्तों से युक्त अमूल्यांकित निविदा शामिल होगी। हालाँकि, बयाना राशि एनईएफटी या डिमांड ड्राफ्ट (व्यक्तिगत रूप से) या बैंक गारंटी (व्यक्तिगत रूप से) के माध्यम से एस्टेट विभाग, प्रथम मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद, 500004 में **28 जनवरी, 2026 को दोपहर 13:00 बजे या उससे पहले जमा करनी होगी।**

3.5.2 प्रस्तुत निविदा के भाग । में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क) निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर सहित पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकरण पत्र।

ख) ओईएम से एक पत्र, जिसमें बोलीदाता को निविदा में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया हो, साथ ही ओईएम के साथ हुए समझौते की एक प्रति।

ग) पूर्ण तकनीकी मूल्यांकन के लिए प्रस्तावित सभी तकनीकी विवरण और विशेष सुविधाओं का विवरण देना अनिवार्य है। दावा की गई सुविधाओं/विशेषताओं से संबंधित सहायक दस्तावेज़ भी तकनीकी निविदा प्रस्तुत करते समय संलग्न किए जाने चाहिए।

घ) निविदाकार के पास हैदराबाद/सिंकंदराबाद में रखरखाव/सेवा के लिए पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।

ई) तकनीकी चेकलिस्ट में पूरी जानकारी भरनी होगी।

च) संलग्न दस्तावेजों में दिए गए अन्य प्रमाण पत्र/घोषणाएं प्रस्तुत की जानी हैं।

जी) ग्राहक की रिपोर्टों की विधिवत भरी और हस्ताक्षरित प्रतियां (संलग्न प्रारूप में दो ग्राहकों से, जिनके लिए समान कार्य निष्पादित किए गए हैं) और बैंकर का प्रमाण पत्र।

3.5.3 निविदाकारों को निविदा जमा करने से पहले स्थापना स्थल का दौरा करने और स्थल की स्थितियों से परिचित होने की सलाह दी जाती है।

3.5.4 निविदाकारों को सूचित किया जाता है कि वे ई-निविदा दस्तावेजों में दी गई अनुबंध की सामान्य शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर ही निविदा प्रस्तुत करें और किसी भी प्रकार का विचलन न करें। यदि निविदा दस्तावेजों में दी गई शर्तों और नियमों को स्वीकार करने से मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो उसे उद्धृत मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। शर्तों और नियमों से विचलन वाली कोई भी निविदा अस्वीकृत की जा सकती है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए निविदाकारों को निर्धारित पूर्व-निविदा बैठक में उपस्थित होने की सलाह दी जाती है।

3.5.5 सभी सूचना, पत्राचार पत्र क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग, हैदराबाद को संबोधित किए जाएंगे।

3.6 भाग II - कीमत

भाग II में मूल्य बोली शामिल है, जिसे ऑनलाइन भरना होगा।

(क) इस भाग में केवल भारतीय रूपये में मूल्य दिए जाएंगे और मूल्य का विवरण प्रारूप (भाग II) के अनुसार दिया जाएगा। निविदा में पाए जाने वाले नियमों और शर्तों में परिवर्तन और तकनीकी खामियों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और निविदा को अमान्य माना जाएगा।

(ख) निविदा के भाग 2 के खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ग) उद्धृत दरें पूर्ण कार्य के लिए मानी जाएंगी और प्रणाली बैंक को सौंपे जाने तक बिना किसी वृद्धि के स्थिर और बाध्यकारी रहेंगी।

(घ) किसी मद के लिए, यदि दर और राशि मात्रा के संबंध में मेल नहीं खाती है, तो उद्धृत दरों के आधार पर प्राप्त राशि ही स्वीकार्य होगी और यदि दरों में अंकों और शब्दों में भिन्नता हो, तो उस मद के लिए कुल राशि की गणना करने हेतु केवल शब्दों में उद्धृत दर को ही माना जाएगा।

3.8 ई-टेंडर का खुलना

घ) निविदाओं का भाग I, 28 जनवरी 2026 को दोपहर 2:00 बजे इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा, जैसा कि एनआईटी में निर्दिष्ट है। निविदाओं के भाग I की जांच के बाद पात्र पाए गए निविदाकारों की ही मूल्य बोली (भाग II) अगले कार्य दिवस पर खोली जाएगी, जिसकी सूचना सभी पात्र निविदाकारों को दी जाएगी। निविदाकारों को निविदाओं के भाग I और भाग II के खुलने के दौरान उपस्थित रहने की सलाह दी जाती है।

3.9 कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण

3.9.1 कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

- ओईएम द्वारा "अनुभाग IX: तकनीकी विनिर्देश" में दिए गए विवरण के आधार पर वीआरएफ/वीआरवी प्रणाली को डिजाइन करना और बैंक के इंजीनियर से इसे अनुमोदित करवाना।
- उपर्युक्त कार्य के लिए सभी उपकरण और सामग्री की आपूर्ति और वितरण, जिसमें हैदराबाद स्थित बैंक के परिसर (अर्थात् मुख्य कार्यालय भवन, पहली मंजिल) तक करना शामिल है, साथ ही बीमा, पैकिंग, हैंडलिंग, परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग आदि भी शामिल हैं। परिसर में सामान उठाने वाली लिफ्ट की अनुपलब्धता की स्थिति में, ठेकेदार को सामग्री को परिसर की आवश्यकता के अनुसार रखने में लगने वाले अतिरिक्त खर्चों को ध्यान में रखना होगा।
- वीआरएफ/वीआरवी सिस्टम की स्थापना, परीक्षण, चालू करना और सिस्टम को बैंक को सौंपना।
- सिस्टम का नियमित निरीक्षण और रखरखाव करना, जिसमें आवधिक सर्विसिंग आदि शामिल है।

3.9.2 निविदाकार को तकनीकी विनिर्देशों में मांगे गए ब्रोशर/साहित्य आदि के अतिरिक्त, सिस्टम/उप-प्रणालियों के कामकाज और उनकी बिजली आवश्यकताओं का पूरा विवरण, सभी प्रासंगिक ब्रोशर/साहित्य आदि सहित, प्रस्तुत करना चाहिए:

3.9.3 निविदाकार विनिर्देशों की सावधानीपूर्वक जाँच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित उपकरण बैंक के तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार उपयुक्त है।

3.9.4 निविदाकार को सिस्टम की स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए आवश्यक सभी उपकरण, संयंत्र, मचान, श्रम और उपभोग्य वस्तुएं आदि की आपूर्ति करनी होगी।

3.10 निविदा की वैधता

निविदा और उसमें दी गई कीमतें निविदा के भाग I के खुलने की तिथि से प्रारंभ में 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेंगी, जिसे निविदाकार द्वारा लिखित रूप में आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है और निविदाकार इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं ले सकता है।

3.11 न्यूनतम बोली को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है

3.11.1 बैंक सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकृति का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

3.11.2 निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के कारण या उसके संबंध में होने वाली किसी भी लागत, शुल्क, क्षति और व्यय का दावा करने के हकदार नहीं होंगे, भले ही बैंक निविदा को संशोधित/वापस लेने का विकल्प चुने।

3.12 बयाना राशि, सुरक्षा जमा और दोष दायित्व अवधि के दौरान सुरक्षा

3.12.1 सभी निविदाकार 44,000/- रुपये की बयाना राशि एनईएफटी के माध्यम से जमा करेंगे (एनईएफटी के लिए बैंक विवरण इस प्रकार हैं):

IFSC कोड – RBISONEFTHY (पांचवां अंक शून्य है)

खाता संख्या – 8614038

लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद

टिप्पणी: ESTATE<space>DSITC of VRF / VRV <space>आपकी फर्म का नाम

प्रतिभागियों को अपने द्वारा किए गए ईमेल का विवरण estatehyderabad@rbi.org.in, vtirupathirao@rbi.org.in और akkakani@rbi.org.in पर ईमेल के माध्यम से जमा करना होगा।

बैंक गारंटी/डीडी के माध्यम से जमा करने की स्थिति में, इसे 28 जनवरी, 2026 को दोपहर 13:00 बजे से पहले एस्टेट विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य कार्यालय भवन, हैदराबाद में व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा।

ई-निविदाकार द्वारा भुगतान की गई अग्रिम राशि (ईमडी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुबंध के निष्पादन और उचित अनुपालन के लिए सुरक्षा हेतु रखी जाएगी। इस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, सावधि जमा रसीद, बीमा गारंटी या चेक के रूप में अग्रिम राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। खंड संख्या 3.34 में उल्लिखित कार्य निष्पादन के दौरान स्वीकृत अनुबंध मूल्य के 5% की बैंक गारंटी सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत करने पर ही अग्रिम राशि जारी की जाएगी।

3.12.2 इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को देय सभी मुआवजा या अन्य धनराशि सुरक्षा जमा से काटी जा सकती है, यदि राशि इसकी अनुमति देती है, जब तक कि ठेकेदार बैंक द्वारा मांग नोटिस जारी करने के दस दिनों के भीतर ऐसी राशि नकद में जमा न कर दे।

3.12.3 निविदाकार अनुबंध मूल्य के 10% के बराबर एक अलग बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत करेगा, जो कि नियमों और दोषों के लिए दायित्व अवधि तथा व्यापक वार्षिक प्रबंधन (एएमसी) के अनुपालन की सुरक्षा के रूप में निविदा में निर्दिष्ट कार्यों के चालू होने और सौंपे जाने की तिथि से मान्य होगी। यह बैंक गारंटी पांच वर्षों के लिए वैध होगी और इसके बाद अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर एक अन्य बैंक गारंटी, जिसकी न्यूनतम वैधता 4 वर्ष होगी, पिछली बैंक गारंटी की समाप्ति से 30 दिन पहले प्रस्तुत करनी होगी; ऐसा न करने पर बैंक को वैध बैंक गारंटी को लागू करने का अधिकार होगा।

3.13 भुगतान की शर्तें

इस अनुबंध के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का भुगतान वैधानिक कटौतियों के अधीन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा। भुगतान के तरीके में कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।

1) साइट पर सामग्री प्राप्त होने और निम्नलिखित दस्तावेजों के जमा करने के बाद उद्धृत राशि का 60%:
क) निर्माता के निरीक्षण एवं परीक्षण प्रमाण पत्र

ख) ठेकेदार का प्रमाण पत्र कि सिस्टम की सफल स्थापना, चालू करने और परीक्षण सहित रखरखाव के लिए सभी घटक, पुर्जे, उप-प्रणालियाँ, उपभोग्य वस्तुएँ आदि साइट पर अच्छी स्थिति में प्राप्त हो गई हैं और यदि स्थापना, चालू करने और परीक्षण के दौरान कोई कमी पाई जाती है तो उन्हें बैंक को निःशुल्क आपूर्ति की जाएगी।

ग) निविदा की शर्तों के अनुसार बीमा पॉलिसियाँ।

- 2) स्थापना, परीक्षण, चालू करने और सौंपने के लिए उद्धृत राशि का 35% शेष भुगतान, और अनुबंध राशि के 10% के वैध बीजी (BG) का प्रस्तुतीकरण। (खंड 3.12.3)
- 3) उद्धृत राशि का शेष 5% आभासी पूर्णता की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिधारण राशि जमा (आरएमडी) के रूप में रखा जाएगा, और सिस्टम के चालू होने के बाद 1 वर्ष की दोष दायित्व अवधि की समाप्ति पर, इस अवधि के दौरान संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने की शर्त पर जारी किया जाएगा। हालांकि, दोष दायित्व अवधि के दौरान संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने के बदले में, समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर, आरएमडी को डीएलपी की पूरी अवधि के दौरान मान्य होने पर पहले भी जारी किया जा सकता है।

3.14 कर

- 3.14.1 उद्धृत मूल्य में जीएसटी कर शामिल माना जाएगा। यदि निविदाकार निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, सोत पर आयकर काटा जाएगा और ठेकेदार को इसका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

3.15 बीमा

ठेकेदार को कार्य आवंटन की तिथि से तीन दिनों के भीतर बीमा प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदार अपने खर्च पर कार्यों का बीमा कराएगा और पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने तक उसे अग्रि से होने वाली हानि या क्षति के विरुद्ध बीमाकृत रखेगा। यह बीमा नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर (पॉलिसी में नियोक्ता का नाम पहले यानी आरबीआई का नाम पहले होगा) अनुबंध की पूरी राशि के लिए होना चाहिए। यह पॉलिसी केवल नियोक्ता की संपत्ति को कवर करेगी। ठेकेदार को कार्य आवंटन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर पॉलिसी और प्रीमियम की रसीदें नियोक्ता के पास जमा करनी होंगी। यदि ठेकेदार उपरोक्त प्रावधान के अनुसार बीमा कराने में विफल रहता है, तो नियोक्ता कार्यों का बीमा करा सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को ठेकेदार को देय किसी भी राशि, जुमानि आदि से काट सकता है, बशर्ते कि इस चूक के संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकार यथावत रहें। यदि कार्य को रोकना आवश्यक हो जाता है, तो ठेकेदार बीमा पॉलिसी के तहत दावा निपटाए जाने के तुरंत बाद, या बीमा कार्यालय द्वारा कार्य को पुनः शुरू किए जाने पर (यदि वे ऐसा करने का निर्णय लेते हैं), पूरी तत्परता से कार्य को उसी प्रकार पूरा करेगा जैसे कि आग न लगी हो और अनुबंध की सभी शर्तों का पालन करते हुए। आग लगने के बाद पुनर्निर्माण या पुनः शुरू करने की स्थिति में, ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए उचित समय विस्तार प्राप्त करने का अधिकार होगा।

ठेकेदार को उपकरण/सामग्री के निर्माता के कारखाने से निकलने से लेकर सौंपे जाने तक सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए अपने खर्च पर सभी बीमा करवाना होगा।

उक्त प्रणाली बैंक को बैंक (प्रथम पक्ष) और ठेकेदार के संयुक्त नाम से हस्तांतरित की जाएगी और यह निम्नलिखित जोखिमों को कवर करेगी।

- भंडारण, स्थापना, परीक्षण और चालू करने की नीति सहित सभी जोखिमों के लिए बीमा पॉलिसी।
- साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए श्रमिक क्षतिपूर्ति नीति।
- कुल 10.00 लाख रुपये की तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी, जिसमें प्रति दुर्घटना 2 लाख रुपये की सीमा है।

नोट: ये बीमा पॉलिसियाँ कार्य पूर्ण होने तक वैध रहेंगी और आरबीआई के संयुक्त नाम पर होंगी, जिसमें आरबीआई का नाम पहले होगा। यदि ठेकेदार ये पॉलिसियाँ उपलब्ध नहीं कराता है, तो बैंक को स्वयं उपरोक्त बीमा पॉलिसियाँ लेने और ठेकेदार के बिल से लागत वसूलने या कोई अन्य कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.16 समापन अवधि

3.16.1 कार्य करने के लिए दी गई समयावधि, जैसा कि ज्ञापन में उल्लेख किया गया है (कार्य आदेश के दिन से 03 सप्ताह), ठेकेदार द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा और इसकी गणना कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश जारी होने की तिथि से की जाएगी।

3.16.2 परियोजना के पूरा न होने पर क्षतिपूर्ति (तरलता क्षतिपूर्ति)

अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य पूरी लगन से किया जाना चाहिए और यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह अनुबंध के "पूर्वोक्त परिशिष्ट" में परिभाषित क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अनुबंध मूल्य के 0.25 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से विलंबित अवधि के लिए होगी, जिस दौरान उक्त कार्य अधूरा रहेगा, और यह क्षतिपूर्ति अनुबंध राशि के अधिकतम 10% तक सीमित होगी। नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि से ऐसी क्षतिपूर्ति काट सकता है।

3.16.3 बैंक भवन परिसर के भीतर भंडारण स्थान उपलब्ध कराएगा। हालांकि, संग्रहित सामग्रियों की जिम्मेदारी और सुरक्षा ठेकेदार की होगी। बैंक द्वारा किसी भी श्रमिक के लिए आवास की व्यवस्था नहीं की जाएगी।

3.17.1 वारंटी/ दोष दायित्व अवधि।

(क) संपूर्ण प्रणाली पर निर्माण/डिज़ाइन/स्थापना संबंधी किसी भी दोष के विरुद्ध न्यूनतम एक वर्ष की वारंटी होगी। इस अवधि के दौरान, प्रणाली में पाए जाने वाले किसी भी दोष को दोष के पाए जाने और फर्म को इसकी सूचना दिए जाने के 2 दिनों के भीतर निःशुल्क ठीक किया जाएगा और बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त पुर्जों का प्रतिस्थापन किया जाएगा।

(ख) इस अवधि के दौरान सिस्टम के सुचारू संचालन और सेवायोग्यता के लिए आवश्यक सभी स्पेयर पार्ट्स, उपभोग्य सामग्रियों और पुर्जों (गैस चार्जिंग सहित) की आपूर्ति और प्रतिस्थापन निःशुल्क ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में ठेकेदार को दैनिक नियमित रखरखाव/ब्रेकडाउन रखरखाव के दौरान दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त पुर्जों के तत्काल प्रतिस्थापन के लिए पर्याप्त स्पेयर पार्ट्स/उपभोग्य सामग्रियां रखनी होंगी। इन स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव के दौरान आवश्यक किसी भी अन्य स्पेयर पार्ट्स की लागत ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों में शामिल मानी जाएगी। सेवा की आवधिकता परिवेश और स्थल की स्थितियों के आधार पर त्रैमासिक या उससे अधिक होगी।

(ग) डीएलपी के दौरान त्रुटि निवारण में देरी के लिए जुर्माना : बैंक के इंजीनियर/केयरटेकर/उपयोगकर्ता द्वारा टेलीफोन कॉल/ई-मेल/टेक्स्ट मैसेज आदि के माध्यम से भेजी गई शिकायतों का निवारण निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए; ऐसा न करने पर निम्नलिखित तालिका में निर्धारित जुर्माना (सहमत एएमसी शुल्क के 10% के अधीन) लगाया जाएगा। डीएलपी के दौरान लगाया गया कोई भी जुर्माना ठेकेदार को देय किसी भी बकाया राशि से वसूल किया जाएगा या बैंक गारंटी से लिया जाएगा।

दोष की प्रकृति	विश्लेषण विवरण	निर्धारित सुधार समय	निर्धारित सुधार समय से अधिक समय लगने पर जुर्माना (प्रति दिन)
मामूली खामियां	इनडोर यूनिट, सर्किट, फिल्टर, पंखे आदि।	12 घंटे	प्रति दोष ₹250/-
प्रमुख दोष	कंप्रेसर, ओडीयू फैन मोटर/ब्लॉड आदि।	24 घंटे	प्रति दोष ₹1,000/-

3.18. दोष दायित्व अवधि के बाद अतिरिक्त पुर्जों के प्रतिस्थापन सहित व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध (CAMSC)

कार्य का दायरा :

1. वीआरवी/वीआरएफ सिस्टम की नियमित निवारक सर्विसिंग और निरीक्षण सेवा प्रदाता द्वारा कम से कम त्रैमासिक आधार पर या ओईएम द्वारा अनुशंसित सर्वोत्तम रखरखाव प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाना चाहिए। दस वर्षों के व्यापक रखरखाव के दौरान, कंपनी को सिस्टम को चालू और सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य सामग्रियों को बदलना होगा।
2. प्राप्त शिकायतों का निवारण प्राप्ति तिथि के 12 घंटों के भीतर किया जाना चाहिए, जबकि कंप्रेसर की मरम्मत/बदलाव, गैस चार्जिंग, फैन/ब्लॉअर मोटर के प्रतिस्थापन जैसी बड़ी मरम्मत 24 घंटों के भीतर की जानी चाहिए, अन्यथा छोटी शिकायतों के लिए प्रति दोष प्रति दिन 250 रुपये और प्रति दोष प्रति दिन 1,000 रुपये (वार्षिक एएमसी मूल्य के 10% के अधीन) का जुर्माना लगाया जा सकता है।
3. सीएएमसी के दौरान ब्रेकडाउन रखरखाव के अतिरिक्त, एजेंसी वीआरएफ प्रणाली का त्रैमासिक निवारक रखरखाव करेगी और तदनुसार विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
4. आवश्यकतानुसार, नियमों के अनुसार लागू करां की कटौती की जाएगी।
5. ठेकेदार कार्य के लिए आवश्यक सभी सामग्री, श्रम आदि की व्यवस्था अपने खर्च पर करेगा।
6. कार्य प्रारंभ करने से पहले सामग्री को बैंक के अभियंता से अनुमोदित कराया जाना चाहिए।
7. लाई गई सामग्री/किए गए कार्य की निगरानी और देखरेख की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता और बैंक को सौंप नहीं दिया जाता।
8. व्यापक रखरखाव अनुबंध में ओडीयू आईडीयू इनलाइन फैन सहित सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम घटकों और सहायक उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थापन, सभी दोषपूर्ण पुर्जों/स्पेयर पार्ट्स की मरम्मत/प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत और माइक्रोप्रोसेसर-आधारित नियंत्रण और डिस्ले, रिमोट कंट्रोल, केबल और तार, कंप्रेसर आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
9. व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध में यांत्रिक प्रणाली के घटक और सहायक उपकरण, कंप्रेसर, रेफ्रिजरेंट सर्किट, ड्रेन लाइन, इन्सुलेशन सहित तांबे की ट्यूबिंग, पंखे आदि जैसे सभी दोषपूर्ण पुर्जों/पुर्जों की मरम्मत/प्रतिस्थापन शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
10. केवल निर्माता द्वारा निर्मित या अनुशंसित निर्माताओं के स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य सामग्रियों का ही उपयोग किया जाना चाहिए और उपयोग से पहले बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
11. यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी और ध्यान रखा जाए कि उपकरण को निम्नलिखित संदर्भों में कोई क्षति न

पहुंचे:-

- क) नियमित जांच और रोकथाम के माध्यम से प्रशीतन गैस के वायुमंडल में रिसाव को रोकना।
- ख) कंपनी की प्रक्रियाओं के अनुसार प्रयुक्त तेल/अपशिष्ट का उचित निपटान।
- ग) कॉइल की सफाई आदि के लिए पर्यावरण के अनुकूल रसायनों/सफाई एजेंटों का उपयोग।
- घ) प्रत्येक खराबी/निवारक रखरखाव सेवा के बाद आवश्यक सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिसमें उपयोग किए गए उपभोग्य सामग्रियों/पुर्जों का विवरण अलग-अलग दर्शाया जाएगा।
- ड) पैकेज (ओडीयू/आईडीयू) इकाइयों के लिए कंप्रेसर को आवश्यकता पड़ने पर उसी कंपनी के कारखाने में पुनर्निर्मित या नए कंप्रेसर से बदला जाएगा।
- च) यदि खराबी/निवारक रखरखाव कार्यों के दौरान इन्सुलेशन/क्लैडिंग हटा दी जाती है, तो उसे तुरंत पुनः स्थापित/मरम्मत/प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

औजार, उपकरण और मापन यंत्र : निवारक रखरखाव कार्य/ब्रेकडाउन रखरखाव कार्य/ओवरहॉलिंग कार्य/परीक्षण करते समय आवश्यक सभी औजार, उपकरण और मापन यंत्र ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध कराए जाएंगे।

व्यापक रखरखाव के दायरे में निम्नलिखित मर्दें शामिल हैं:

- क) विभिन्न प्रकार/आकार के इनडोर यूनिट, जिनमें संबंधित डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, कॉर्डलेस/कॉर्डेड रिमोट कंट्रोलर और संबंधित आंतरिक नियंत्रण/पावर वायरिंग/फिल्टर, फैन मोटर की नियमित सफाई और इनडोर यूनिट के उचित और निर्दिष्ट कार्य के लिए आवश्यक अन्य सभी संबंधित कार्य शामिल हैं।
- ख) विभिन्न क्षमता वाली बाहरी इकाइयाँ, उनसे संबंधित कंप्रेसर, कंप्रेसर तेल की आपूर्ति/भराई आदि, सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, आईजीबीटी, नियंत्रण/बिजली वायरिंग, तेल पुनर्प्राप्ति प्रणाली, हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर मोटर फैन, आंतरिक प्रशीतन परिपथ और बाहरी इकाइयों के उचित और निर्दिष्ट कार्य के लिए कोई अन्य संबंधित कार्य।
- ग) रेफ्रिजरेंट पाइपिंग और उसके सभी जोड़ आदि की मरम्मत, जिसमें रिसाव का पता लगाना/मरम्मत करना, नाइट्रोजन गैस से दबाव परीक्षण, वैक्यूम पर्जिंग, गैस रिचार्जिंग/टॉपिंग और रेफ्रिजरेंट की आपूर्ति शामिल है। मरम्मत का कार्य पेशेवर तरीके से किया जाएगा। इसमें मरम्मत के बाद इंसुलेशन को बहाल करना भी शामिल होगा। एयर कंडीशनिंग सिस्टम के उचित और निर्धारित संचालन के लिए कोई अन्य संबंधित कार्य भी इसमें शामिल होगा। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेफ्रिजरेंट की आपूर्ति और चार्जिंग भी इसके दायरे में आती है।
- घ) कंडेनसेट नालियों के पानी के पाइपों की सफाई, रिसाव का पता लगाना/मरम्मत करना आदि। नाली के पानी के निपटान प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए कोई अन्य संबंधित कार्य।
- ड) इनडोर और आउटडोर यूनिटों के बीच सभी नियंत्रण और बिजली की वायरिंग। एयर कंडीशनिंग सिस्टम के उचित और निर्धारित संचालन के लिए कोई अन्य संबंधित कार्य।

च) व्यापक प्रणाली के उचित संचालन से संबंधित कोई अन्य वस्तु/गतिविधियाँ

स्पेयर पार्ट्स की अदला-बदली, श्रम, परिवहन आदि सहित संपूर्ण एयर कंडीशनिंग सिस्टम का रखरखाव, सीएमसी कार्य के दायरे में शामिल माना जाता है।

रखरखाव कर्मचारियों की तैनाती

ठेकेदार वातानुकूलन प्रणाली के व्यापक रखरखाव के लिए तकनीकी रूप से योग्य, सक्षम और अनुभवी कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सामान्यतः निर्धारित रखरखाव कार्य शनिवार और रविवार या किसी भी राजपत्रित अवकाश के दिन किया जाएगा, जिसके लिए ठेकेदार बैंक के इंजीनियर को कम से कम 24 घंटे पहले सूचित करेगा ताकि प्रवेश पास की व्यवस्था की जा सके और ठेकेदार के कर्मचारियों को साइट पर पहुँच प्रदान की जा सके।

शिकायतों पर ध्यान देना

क) शिकायत दर्ज होने के बाद सभी दोषों और कमियों को तुरंत दूर किया जाना चाहिए। शिकायत बैंक के इंजीनियर/ केयरटेकर/ संबंधित उपयोगकर्ता द्वारा ई-मेल/ टेलीफोन संदेश/ टेक्स्ट संदेश के माध्यम से दर्ज की जा सकती है।

शिकायत के शीघ्र निपटान के लिए, ठेकेदार यूनिट एक्सचेंज स्पेयर पार्ट्स की पर्याप्त मात्रा आरक्षित रखेगा और यूनिट स्पेयर के रूप में रखे जाने वाले आइटम बैंक के इंजीनियर के साथ संयुक्त रूप से तय किए जाएंगे।

ख) ठेकेदार टेलीफोन नंबर और अपने संपर्क व्यक्ति का विवरण देगा जिससे संपर्क किया जा सके।

शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य है। ठेकेदार द्वारा एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण मैट्रिक्स प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें उन संबंधित अधिकारियों के नाम, पदनाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएंगे जिन्हें शिकायतें भेजी जाएंगी।

रखरखाव अनुसूची : शिकायतों के निवारण के अतिरिक्त, ठेकेदार को निर्धारित रखरखाव अनुसूची/निवारक रखरखाव कार्य करना होगा। रखरखाव और निवारक रखरखाव अनुसूची तथा प्रत्येक अनुसूची में किए जाने वाले कार्य बैंक के अभियंता के परामर्श से संयुक्त रूप से तय किए जाएंगे।

पहचान पत्र ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिकों को उचित पुलिस सत्यापन के बाद पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, जिसके लिए ठेकेदार को कार्यस्थल पर तैनात किए जाने वाले श्रमिकों की सूची प्रस्तुत करनी होगी। उन्हें भवन के अंदर काम करते समय अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

सीएमसी अवधि के दौरान शिकायत समाधान में देरी के लिए दंड प्रावधान

दोष की प्रकृति	विश्लेषण विवरण	निर्धारित सुधार समय	जुर्माना (प्रति दिन)
मामूली खामियां	इनडोर यूनिट, सर्किट, लीकेज, फिल्टर, पंखे आदि।	12 घंटे	प्रति दोष ₹250/-
प्रमुख दोष	कंप्रेसर, ओडीयू फैन मोटर आदि।	24 घंटे	प्रति दोष ₹1,000/-

वार्षिक व्यापक रखरखाव सेवा (CAMS) के दौरान सेवा शुल्क का भुगतान:

सीएमसी अवधि के दौरान भुगतान तिमाही आधार पर, फर्म द्वारा जारी किए गए इनवॉइस के अनुसार संतोषजनक

सेवा प्रदान करने पर किया जाएगा। इनवॉइस के साथ प्रदान की गई सेवाओं की स्वीकृति के रूप में विधिवत हस्ताक्षरित सेवा रिपोर्ट संलग्न होनी चाहिए।

व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) का नवीनीकरण

एक वर्ष की वारंटी अवधि (डीएलपी) समाप्त होने के बाद सेवा अनुबंध को कम से कम 9 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। अनुबंध का नवीनीकरण करते समय, नई अनुबंध राशि निम्नलिखित सूत्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी:

$A_C = A_P [(15 + 60 \times (EPI_C/EPI_P) + 25 \times (CPI_C/CPI_P)) / 100]$	
A_C	चालू वर्ष के लिए अनुबंध राशि।
A_P	पिछले वर्ष की अनुबंध राशि।
EPI_C	विद्युत उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक, 6 महीने पहले चालू वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि।
EPI_P	विद्युत उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक, 6 महीने पहले पिछले वर्ष के अनुबंध की प्रारंभ तिथि।
CPI_C	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय) चालू वर्ष के अनुबंध की प्रारंभ तिथि से औसतन 6 महीने पहले
CPI_P	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय) पिछले वर्ष के अनुबंध की प्रारंभ तिथि से औसतन 6 महीने पहले।

सफल निविदाकार बैंक के साथ सिस्टम के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए एक करार करेगा।

3.19 पैकिंग और प्रेषण

उपकरणों को बक्सों में ठीक से और सुरक्षित रूप से पैक किया जाएगा और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समुद्र/हवा/रेल/सड़क मार्ग से कई बार परिवहन किया जाएगा। सभी उपकरण/घटक बैंक के कार्यालय परिसर, आरबीआई, हैदराबाद में पहुंचाए जाएंगे।

3.20 अनुबंध करार पर हस्ताक्षर

3.20.1 निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें, अनुबंध की शर्तें और निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न तकनीकी विनिर्देश और चित्र, बैंक और निविदाकार के बीच हुए पत्राचार और दिए गए कार्य आदेश, सफल निविदाकार के साथ किए जाने वाले अंतिम अनुबंध का आधार होंगे।

3.20.2 निविदाकार को अनुबंध की सामान्य शर्तों में दिए गए नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उसका प्रस्ताव इन शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। निर्दिष्ट नियमों और शर्तों से किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके यह प्रमाणित करना होगा कि निविदाकार ने अनुबंध की सामान्य शर्तों, तकनीकी विशिष्टताओं आदि को पढ़ लिया है।

3.20.3 किसी फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म के सभी साझेदारों या फर्म की ओर से प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक अधिकार रखने वाले साझेदार के हस्ताक्षर होने चाहिए। अन्यथा निविदा अस्वीकृत की जा सकती है।

3.20.4 बैंक से निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकार अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और इसके दो दिनों के भीतर, सफल निविदाकार मसौदा अनुबंध के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति स्वतः ही भारतीय रिजर्व बैंक और निविदाकार के बीच एक बाध्यकारी समझौता होगी, चाहे ऐसा अनुबंध बाद में निष्पादित हो या न हो।

3.20.5 ठेकेदार अनुबंध का हस्तांतरण नहीं करेगा। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना अनुबंध के किसी भी भाग को उप-किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता ठेकेदार को अनुबंध को रद्द करने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता को सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।

3.21 मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता

3.21.1 ठेकेदार को निविदा प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कार्यों के लिए उसकी निविदा और मात्रा अनुसूची तथा/या दरों और कीमतों की अनुसूची में उल्लिखित कीमतें सही और पर्याप्त हैं, और ये दरें और कीमतें अनुबंध के तहत उसके सभी दायित्वों तथा कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करती हैं।

3.21.2 मात्रा अनुसूची में दी गई मात्राएँ लगभग कुल कार्य की सीमा को दर्शाती हैं, हालाँकि, यह किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और यहाँ तक कि इसे छोड़ा भी जा सकता है जिससे अनुबंध का कुल मूल्य बदल जाएगा।

3.22 भाषा

निविदा में सभी लेबल, रेखाचित्रों, दस्तावेजों, कैटलॉग आदि सहित, अंग्रेजी में होने चाहिए।

3.23 आंशिक निविदा स्वीकार करने का अधिकार

बैंक निविदाकार द्वारा उद्धृत कीमतों पर निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.24 निविदा मूल्य बोली का मूल्यांकन।

निविदाओं का मूल्यांकन सिस्टम की पूंजी लागत और पुराने पैकेज एसी यूनिटों की खरीद के आधार पर किया जाएगा, जिसमें एक वर्ष के डीएलपी के अतिरिक्त 9 वर्षों के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा शुल्क (सीएएमएससी) का प्रभाव भी शामिल होगा। अतः निविदाओं का मूल्यांकन 10 वर्षों के लिए कुल स्वामित्व लागत के आधार पर किया जाएगा, जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी :

कुल देय लागत = (पूंजी लागत A (आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना) - पुराने 2 8.5TR पैकेज AC यूनिटों को वापस लेने के लिए प्रस्तावित बायबैंक (B)) + (पहले वर्ष की वार्षिक एएमसी लागत X 7.03)

3.25 प्रेषण-पूर्व निरीक्षण

साइट पर उपकरण भेजने से पहले, बैंक के विवेकानुसार निर्माता के कारखाने में बैंक के इंजीनियरों द्वारा उपकरण का निरीक्षण और विभिन्न मापदंडों पर परीक्षण किया जाएगा और फिर शिपमेंट के लिए मंजूरी दी जाएगी। हालांकि, इससे ठेकेदार को निर्दिष्ट साइट पर स्थापना और चालू होने के बाद दोष दायित्व की अवधि के दौरान सिस्टम/घटकों के निरंतर प्रदर्शन के लिए अपनी जिम्मेदारी से किसी भी तरह से मुक्ति नहीं मिलेगी।

3.26 अन्य मुद्दे

ठेकेदार सभी कार्य बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार ही करेगा। यदि बैंक के इंजीनियर/सलाहकार की राय में, स्थल की स्थिति के अनुरूप मामूली बदलाव आवश्यक हों और नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त हो, तो ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ये बदलाव करेगा।

3.27 प्रत्येक कार्य के लिए संभावित मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देश इन विशेष शर्तों के साथ संलग्न हैं। नियोक्ता के विवेकानुसार संभावित मात्राओं की अनुसूची में कमी, कटौती या वृद्धि की जा सकती है। प्रत्येक निविदा में न केवल दरें बल्कि प्रत्येक कार्य मद का मूल्य भी अलग-अलग कॉलम में दर्ज होना चाहिए और सभी मदों का योग करके पूरी निविदा का कुल मूल्य दर्शाया जाना चाहिए।

3.28 ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने या उसे पूरा करने में हुई किसी भी देरी के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, चाहे देरी का कारण कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे संबंधित किसी उप-अनुबंध में संशोधन, परियोजना के अन्य कार्यों के लिए अनुबंध देने में देरी, या ऐसे कार्यों के प्रारंभ या समापन में देरी शामिल है। नियोक्ता निविदा राशि के अतिरिक्त किसी भी राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, बशर्ते कि इसमें कुछ बदलाव किए गए हों।

3.29 सफल निविदाकार कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी मदों को पूरा करने के लिए बाध्य है, भले ही ऐसे मद मात्रा और दरों में शामिल न हों। ऐसे अतिरिक्त मदों और उनकी मात्राओं के संबंध में निर्देश पुस्तिका बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी की जाएगी।

3.30 कामगारों को न्यूनतम मजदूरी: ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कामगारों को वैधानिक आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए।

3.31 श्रम लाइसेंस: ठेकेदार अनुबंध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के विभिन्न प्रावधानों का पालन करेगा, यदि उक्त अनुबंध के तहत लागू हो, और सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

3.32 सफल निविदाकार को बैंक द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना होगा ताकि काम कम से कम देरी के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।

3.33 पूर्व-बोली बैठक: निविदा के संबंध में इच्छुक निविदाकारों द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/शंका को स्पष्ट करने के लिए निविदा संबंधी जानकारी देने वाली बैठक 21 जनवरी, 2026 को सुबह 11:00 बजे बैठक कक्ष, प्रथम मंजिल, एस्टेट विभाग, मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। सभी इच्छुक निविदाकारों को बैठक में उपस्थित होने और निविदा दस्तावेजों का अध्ययन

करने की सलाह दी जाती है। कृपया ध्यान दें कि यदि आवश्यक हो, तो स्थल का दौरा इस पूर्व-बोली बैठक का हिस्सा होगा। किसी भी बोलीदाता को पूर्व-बोली बैठक की तिथि से पहले या बाद में अलग से स्थल का दौरा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, सभी संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस बैठक में उपस्थित हों और निविदा के दायरे के अनुसार संपूर्ण कार्य को पूरा करने की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए स्थल का दौरा करें, इससे पहले कि वे अपनी दरें उद्धृत करें। वे बैठक के दौरान स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले किसी भी बिंदु/शर्त/विनिर्देश को भी इंगित कर सकते हैं। इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सभी निविदाकारों को उचित सलाह दी जाएगी। निविदाकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बैठक के दौरान सभी मुद्दों को स्पष्ट करवा लें और इसलिए उन्हें अपने तकनीकी (भाग I) और मूल्य बोलियों (भाग II) में बैंक की निविदा शर्तों/विनिर्देशों से विचलित होने से बचना चाहिए।

3.34 पूंजीगत कार्यों के निष्पादन के दौरान प्रदर्शन बैंक गारंटी

ठेकेदार अनुबंध के निष्पादन के दौरान स्वीकृत अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करेगा, जो अनुबंध के वास्तविक समापन तक वैध रहेगी और संविदात्मक दायित्वों के उचित अनुपालन को सुनिश्चित करेगी। इस पीबीजी के प्रस्तुत होने के बाद, ईएमडी जारी कर दी जाएगी।

दिनांक:

फर्म के हस्ताक्षर

स्थान:

(अधिकार/ पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक व्यक्ति द्वारा)

खंड (IV): सुरक्षा संहिता

1. प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण, जिनमें पर्याप्त मात्रा में कीटाणुरहित पट्टियाँ और रुई शामिल हैं, आसानी से सुलभ स्थान पर रखे जाने चाहिए।
2. यदि चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा।
3. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों को उपयुक्त और मजबूत मचान उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिन्हें जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किया जा सकता है।
4. किसी भी पोर्टेबल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीढ़ी का उपयोग करते समय, सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त दरवाजा लगाया जाना चाहिए।
5. खोदी गई सामग्री को खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की गहराई के आधे भाग (जो भी अधिक हो) के भीतर नहीं रखा जाएगा। सभी खाइयों और गड्ढों की न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर होनी चाहिए।
6. किसी भवन या कार्य मंच के फर्श में बने प्रत्येक खुले स्थान पर उपयुक्त बाड़ या रेलिंग लगाकर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, जिसकी न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर होगी।
7. संरचना के किसी भी तल, छत या अन्य भाग पर मलबा या सामग्री का इतना अधिक भार नहीं डाला जाएगा जिससे वह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट, मोर्टर या कंक्रीट और चूने के मोर्टर जैसी सामग्री को मिलाने और संभालने में लगे श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
9. वेल्डिंग के काम में लगे लोगों को वेल्डर के सुरक्षात्मक नेत्र-ढाल और दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे।
10. सीसा या सीसा युक्त उत्पादों वाले किसी भी प्रकार के पेंट का उपयोग पेस्ट या तैयार पेंट के रूप में ही किया जाएगा।
11. पेंट को स्प्रे के रूप में लगाते समय या सीसा पेंट लगी सतह को रगड़कर खुरचते समय श्रमिकों के उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
12. कार्य में प्रयुक्त उत्थापन मशीनें और उपकरण, जिनमें उनके अनुलग्नक, लंगर और समर्थन शामिल हैं, उत्तम स्थिति में होने चाहिए।
13. सामग्री को उठाने या नीचे उतारने में या लटकाने के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त मजबूती वाली और दोषरहित होनी चाहिए।

आग्नि सुरक्षा

- i. साइट पर उपयोग की जाने वाली कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत चालित उपकरणों को सही रेटिंग वाले विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए।
- ii. केवल आईएसआई चिह्न वाले 3 पिन प्लग और अन्य उपकरण एवं सामग्री का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
- iii. उपयोग किए जाने वाले विद्युत शक्ति केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और वे उचित रेटिंग के होने चाहिए।
- iv. सभी विद्युत उपकरण, जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि, संचालन के दौरान रिसाव धारा को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थिंग किए जाने चाहिए।
- v. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का काम शुरू करने से पहले, अग्निशमन विभाग को सूचित किया जाएगा और अग्निशमन अधिकारियों/कर्मियों द्वारा स्थल का निरीक्षण करने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।
- vi. साइट पर आसानी से सुलभ क्षेत्र में पानी और रेत की दो बाल्टियाँ रखी जाएंगी।
- vii. अग्निशमन अधिकारियों द्वारा अनुशंसित और जारी किए गए अग्निशमक यंत्र साइट पर रखे जाएंगे।
- viii. प्रयुक्तपेंटके ड्रमोंको ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट भंडार में रखा जाएगा।
- ix. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को काम की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा जूते, दस्ताने, वेल्डर का मास्क, ईयर प्लग आदि जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोका जा सके।
- x. ठेकेदार द्वारा सुरक्षा बेल्ट उपलब्ध कराई जाएगी और श्रमिकों द्वारा जमीन से 10 फीट से अधिक ऊंचाई पर काम करते समय इसका उपयोग किया जाएगा।
- xi. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरा जमा करने/फेंकने के लिए नहीं किया जाएगा।
- xii. सीढ़ी के दोनों दरवाजे सामान्यतः बंद रखे जाने चाहिए।
- xiii. किसी भी अग्निशमक यंत्र को उसके निर्धारित स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- xiv. उपकरण के उपयोग में न होने पर बिजली की आपूर्ति मुख्य बिजली आपूर्ति से बंद कर दी जानी चाहिए।
- xv. काम से उत्पन्न लकड़ी के बुरादे और चूरा को प्रतिदिन एकत्र किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहित किया जाएगा।
- xvi. कार्य से उत्पन्न होने वाले किसी भी मलबे को प्रतिदिन एकत्र किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहित किया जाएगा।
- xvii. कार्यालय समय के बाद काम करते समय ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को बैटरी से चलने वाली आपातकालीन लाइट/टॉर्च उपलब्ध कराई जाएगी।

स्थान:

दिनांक:

निविदाकार की मुहर एवं हस्ताक्षर

इसमें पहले उल्लिखित शर्तें

1. इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध समझौते के निर्माण में, निम्नलिखित शब्दों का वही अर्थ होगा जो यहाँ उन्हें दिया गया है, सिवाय इसके कि जहाँ विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो।

क) "नियोक्ता"

इसका तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक से होगा और इसमें इसके नियुक्त व्यक्ति और उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे।

ख) कंपनी के मामले में

"ठेकेदार का अर्थ एक ऐसी कंपनी से है जो निगमित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय में स्थित है और इसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट शामिल होंगे।"

ग) "साइट"

इसका अर्थ अनुबंध कार्यों का स्थल होगा जिसमें उस पर निर्मित कोई भी भवन और संरचना तथा नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के उपयोग के लिए आवंटित कोई अन्य भूमि (सम्मिलित रूप से) शामिल होगी।

घ) "यह अनुबंध"

इससे तात्पर्य अनुबंध के अनुच्छेद, विशेष शर्तें, परिशिष्ट, मात्राओं की अनुसूची और इसके साथ संलग्न तथा विधिवत हस्ताक्षरित विशिष्टाओं से है।

ड) "लिखित सूचना"

इसका अर्थ है लिखित, टाइप किया हुआ या मुद्रित नोटिस या लिखित नोटिस जो पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय को भेजा गया हो (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित न किया गया हो या अन्यथा प्राप्ति सिद्ध न हुई हो) और इसे उस समय प्राप्त माना जाएगा जब डाक की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार यह वितरित हो जाता।

च) "दिवालियापन का अधिनियम"

इसका तात्पर्य प्रेसिडेंसी टाउन इनसॉल्वेंसी एक्ट, या प्रांतीय इनसॉल्वेंसी एक्ट, या ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम द्वारा परिभाषित दिवालियापन के किसी भी कार्य से होगा।

छ) "निवल कीमतें"

यदि ठेकेदार निविदा में उल्लिखित मदों की कुल राशि में कोई राशि, चाहे प्रतिशत के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, जोड़ या घटा सकता है, तो निविदा में उल्लिखित किसी भी मद का शुद्ध मूल्य निविदा में अंकित वास्तविक मूल्य में समान प्रतिशत या आनुपातिक राशि जोड़कर या घटाकर प्राप्त की गई राशि होगी। यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि ठेकेदार द्वारा जोड़ी या घटाई गई राशि का प्रतिशत या अनुपात निर्धारित करते समय, सभी मूल लागत मदों और अनंतिम धनराशियों की कुल

राशि निविदा की कुल राशि से घटा दी जाएगी। अनुबंध या खाते के संदर्भ में प्रयुक्त "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्य" शब्द का अर्थ इस प्रकार प्राप्त दरें या मूल्य होगा।

h) " कार्य" से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (VRF / VRV) प्रौद्योगिकी आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (DSITC) से है।

2. **अनुबंध का दायरा :** ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसार और बैंक के अभियंता के निर्देशों के अनुरूप तथा उनकी संतुष्टि के अनुसार उक्त कार्य को हर तरह से निष्पादित और पूर्ण करेगा। बैंक का अभियंता अपने पूर्ण विवेकाधिकार से और समय-समय पर अतिरिक्त चित्र और/या लिखित निर्देश, विवरण, दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "बैंक के अभियंता के निर्देश" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

क) डिजाइन, गुणवत्ता या कार्यों में भिन्नता या संशोधन, या किसी कार्य का जोड़, हटाना या प्रतिस्थापन।

ख) आरेख में या मात्रा अनुसूची और/या आरेख और/या विनिर्देशों के बीच कोई भी विसंगति।

ग) ठेकेदार द्वारा साइट पर लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना और उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री को प्रतिस्थापित करना।

घ) ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।

ङ) वहां कार्यरत किसी भी व्यक्ति को कार्यस्थल से बर्खास्त करना।

च) किसी भी ढके हुए कार्य का निरीक्षण के लिए खोलना।

छ) इस अनुबंध के खंड 20 के अंतर्गत किसी भी दोष का संशोधन एवं निवारण करना।

ठेकेदार बैंक के अभियंता के निर्देशों में उल्लिखित किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और उसे विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि बैंक के अभियंता द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को कार्यों के संबंध में दिए गए मौखिक निर्देश, दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई परिवर्तन शामिल हो, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि किए जाने चाहिए; ऐसे निर्देशों को अनुबंध के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माना जाएगा।

ठेकेदार को मात्रा और दरों का विवरण देते हुए, दरों के विश्लेषण, वाउचर आदि के साथ संशोधनों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। नियोक्ता द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति के बाद प्राप्त दरें एक पूरक निविदा का रूप लेंगी। नियोक्ता इन विवरणों को स्वीकृत किए जाने तक ऐसे संशोधनों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अनुबंध की तीन प्रतियां तैयार की जाएंगी और बैंक के इंजीनियर, नियोक्ता और ठेकेदार को अपने उपयोग के लिए एक-एक हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठेकेदार को अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, उसे बैंक के इंजीनियर को सभी कैटलॉग और विनिर्देश डेटा शीट प्रस्तुत करनी होंगी।

4. ठेकेदार अपने खर्च पर रेखाचित्रों, मात्रा सूची और विनिर्देशों के उद्देश्य और अर्थ के अनुसार कार्यों के

उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध कराएगा, चाहे वे रेखाचित्रों, मात्रा सूची और विनिर्देशों में विशेष रूप से दर्शाई या वर्णित हों या न हों, बशर्ते कि उन्हें उनसे उचित रूप से समझा जा सके। यदि ठेकेदार को रेखाचित्रों में या रेखाचित्रों, मात्रा सूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह तुरंत लिखित रूप में इसकी सूचना बैंक के अभियंता को देगा, जो यह तय करेगा कि किसका पालन किया जाना है।

- 5. प्राधिकरण, सूचनाएँ और पेटेंट :** ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों, किसी भी प्राधिकरण के नियमों और उपनियमों, तथा किसी भी जल, विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकरणों के नियमों और उपनियमों का पालन करना होगा, जिनके सिस्टम से संरचना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। ठेकेदार को, यदि इस प्रकार के अनुपालन के कारण ड्राइंग या विनिर्देशों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है, तो बैंक को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और उसका कारण स्पष्ट रूप से बताया गया हो और उस पर निर्देश प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसे संबंधित प्रावधानों, नियमों या उपनियमों के अनुरूप कार्य करना होगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी परिवर्तन पर इस अनुबंध के खंड 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ठेकेदार उक्त अधिनियमों, विनियमों या उपनियमों के तहत किसी भी प्राधिकरण को दी जाने वाली सभी सूचनाओं को नियोक्ता के ध्यान में लाएगा और ऐसे प्राधिकरण या किसी भी सार्वजनिक कार्यालय को कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य सभी शुल्क का भुगतान करेगा और रसीदें नियोक्ता के पास जमा करेगा।

ठेकेदार पेटेंट अधिकारों से संबंधित सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा तथा स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, क्षतिपूर्ति लागत और हर प्रकार के शुल्क का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से इस संबंध में वहन किए जा सकते हैं।

- 6. कार्य की रूपरेखा तैयार करना :** ठेकेदार कार्य का खाका तैयार करेगा और उसके सही और सटीक खाके के लिए तथा उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और सरेखण की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कार्य की प्रगति के दौरान या कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष के भीतर इस संबंध में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो अपने खर्च पर बैंक के अभियंता की संतुष्टि के अनुसार ऐसी त्रुटि का निवारण करेगा।

- 7. सामग्री और कारीगरी का विवरण के अनुरूप होना :** सभी सामग्री और कारीगरी, जहां तक संभव हो, मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देशों में वर्णित संबंधित प्रकारों की होनी चाहिए और अनुबंध के अनुरूप होनी चाहिए। ठेकेदार नियोक्ता को सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य प्रमाण प्रस्तुत करेगा जो यह साबित करते हों कि सामग्री इन विवरणों के अनुरूप है। ठेकेदार अपने खर्च पर किसी भी सामग्री का परीक्षण करवाएगा और/या करवाएगा।

- 8. ठेकेदार का पर्यवेक्षण और कार्य स्थल पर प्रतिनिधि :** ठेकेदार कार्य निष्पादन के दौरान और उसके बाद भी, जब तक नियोक्ता आवश्यक समझे, इस अनुबंध के परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति तक, सभी आवश्यक व्यक्तिगत पर्यवेक्षण प्रदान करेगा। ठेकेदार कार्य प्रगति के पूरे समय के दौरान एक सक्षम प्रतिनिधि को भी नियुक्त करेगा जो श्रमिकों के कार्य करते समय निरंतर कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा। बैंक के अभियंता द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए किसी भी निर्देश, स्पष्टीकरण, अनुदेश या सूचना को ठेकेदार को दिया गया माना जाएगा।

- 9. कामगारों की बर्खास्तगी :** ठेकेदार, बैंक के अभियंता के अनुरोध पर, अपने द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को, जो बैंक के अभियंता की राय में अयोग्य हो या दुर्व्यवहार करता हो, तुरंत काम से बर्खास्त

कर देगा और ऐसे व्यक्तियों को बैंक के अभियंता की अनुमति के बिना काम पर दोबारा नियोजित नहीं किया जाएगा।

10. कार्यस्थल तक पहुंच : नियोक्ता को सभी उचित समयों पर कार्यस्थल और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक निर्बाध पहुंच प्राप्त होगी जहां सामग्री रखी है या जहां से सामग्री प्राप्त की जा रही है। ठेकेदार नियोक्ता को निरीक्षण, जांच और सामग्री एवं कारीगरी के परीक्षण के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, नियोक्ता द्वारा अधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यस्थल पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी।

11. बैंक इंजीनियर : बैंक इंजीनियर से तात्पर्य नियोक्ता द्वारा कार्यों के निरीक्षण के लिए नियुक्त और भुगतान प्राप्त व्यक्ति से है। ठेकेदार, बैंक इंजीनियर को कार्यों और सामग्रियों के निरीक्षण तथा समय और सामग्रियों की जाँच और माप के लिए सभी सुविधाएं और सहायता प्रदान करेगा।

बैंक के इंजीनियर या नियोक्ता को ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या सामग्री की अस्वीकृति की सूचना देने का अधिकार होगा, और ऐसे कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। कार्य की समय-समय पर सहायक प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा जांच की जाएगी, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से ठेकेदार को कार्य के किसी भी चरण में या उसके पूरा होने के बाद पाई जाने वाली किसी भी खामी को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। इस खंड की सीमाओं के अधीन रहते हुए, ठेकेदार केवल बैंक के इंजीनियर से ही निर्देश लेगा।

12. आवंटन एवं उप-पट्टा : अनुबंध में शामिल सभी कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जाएंगे और ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुबंध या उसके किसी भाग या उसमें किसी भी हित का हस्तांतरण, आवंटन या उप-पट्टा नहीं करेगा और कोई भी वचनबद्धता ठेकेदार को अनुबंध की पूर्ण और संपूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों की प्रगति के दौरान सक्रिय पर्यवेक्षण से मुक्त नहीं करेगी।

13. किसी भी प्रकार का परिवर्तन, कमी या बदलाव इस अनुबंध को अमान्य नहीं करेगा, लेकिन यदि बैंक के अभियंता को कार्य प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्य में कोई परिवर्तन, जोड़ या कमी करना उचित लगे, या उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना उचित लगे, और वह ठेकेदार को अपने हस्ताक्षर से लिखित में इसकी सूचना दे, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार परिवर्तन, जोड़ या कमी करेगा, जैसा भी मामला हो। लेकिन ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा, न ही कार्य में कोई परिवर्तन, जोड़ या कमी करेगा, और न ही अनुबंध, शर्तों, विनिर्देशों या अनुबंध रेखाचित्रों के किसी भी प्रावधान से विचलित होगा। ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तन, जोड़ या कमी का मूल्य, सभी मामलों में, नियोक्ता द्वारा इस अनुबंध के खंड 17 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और इसे तदनुसार अनुबंध राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा।

14. मात्राओं की अनुसूची : मात्राओं की अनुसूची, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, मानक मापन विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।

विवरण में, मात्रा में, या मात्राओं की अनुसूची से किसी वस्तु के छूट जाने में कोई त्रुटि इस अनुबंध को अमान्य नहीं करेगी, बल्कि उसे सुधारा जाएगा और खंड 17 के तहत निर्धारित मूल्य को अनुबंध राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), बशर्ते कि ठेकेदार की दरों की अनुसूची में किसी भी त्रुटि को सुधारने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15. मात्रा अनुसूची की पर्याप्तता : ठेकेदार को निविदा प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कार्यों के लिए उसकी ई-निविदा और मात्रा अनुसूची तथा/या दरों और कीमतों की अनुसूची में उल्लिखित कीमतें सही और पर्याप्त हैं, और ये दरें और कीमतें अनुबंध के तहत उसके सभी दायित्वों तथा कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करती हैं।

16. कार्यों का मापन : बैंक का अभियंता समय-समय पर ठेकेदार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों का मापन करवाना आवश्यक है, और ठेकेदार को तुरंत उपस्थित होना होगा या सहायक अभियंता की सहायता के लिए एक योग्य प्रतिनिधि भेजना होगा ताकि मापन और गणना करने में सहायता मिल सके और सभी विवरण उपलब्ध कराए जा सकें या उनमें से किसी को भी आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

यदि ठेकेदार उपस्थित न हो, लापरवाही करे या अपना प्रतिनिधि भेजने में चूक करे, तो बैंक के अभियंता या उनके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा लिया गया माप ही कार्य का सही माप माना जाएगा। ये माप विनिर्देशों में उल्लिखित मापन विधि के अनुसार लिए जाएंगे।

माप लेते समय ठेकेदार या उसका एजेंट आवश्यकतानुसार नोट्स और माप ले सकता है।

नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति से किए गए सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक और सभी बदलाव ऐसे मापों में शामिल किए जाएंगे।

17. अतिरिक्त कार्यों के लिए मूल्य : ठेकेदार, नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में अधिकृत और निर्देशित किए जाने पर, रेखाचित्रों में दर्शाए गए, विनिर्देशों में वर्णित या मात्रा और कीमतों की अनुसूची में शामिल कार्यों में जोड़, घटाव या परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसे प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई जोड़, घटाव या परिवर्तन नहीं करेगा। बैंक के अभियंता द्वारा दिया गया मौखिक प्राधिकरण या निर्देश, यदि उनके द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, तो उसे लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

अतिरिक्त भुगतान के लिए कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊपर उल्लिखित खंड के प्रावधानों के तहत और इसमें उल्लिखित नियोक्ता की सहमति से निष्पादित न किया गया हो। इस प्रकार का कोई भी अतिरिक्त भुगतान अधिकृत माना जाएगा और निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(क) (i) मूल निविदा में उल्लिखित शुद्ध दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन का निर्धारण करेंगी, जहां ऐसा अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति का हो और उसमें उल्लिखित कार्य के समान शर्तों के तहत निष्पादित किया गया हो।

(ii) सभी मदों के लिए दरें, जहाँ तक संभव हो, मात्रा और कीमतों की मूल्य सूची में दी गई दरों से प्राप्त की जानी चाहिए।

(ख) मूल निविदा की शुद्ध कीमतें छोड़े गए मदों का मूल्य निर्धारित करेंगी, बशर्ते यदि छोड़े गए मदों के कारण शेष कार्यों को पूरा करने की शर्तें बदल जाती हैं, तो उनके मूल्य का मूल्यांकन इस उपखंड (ग) के तहत किया जाएगा।

(ग) यदि अतिरिक्त कार्य उपर्युक्त समान प्रकृति के न हों और/या उपर्युक्त समान शर्तों के अंतर्गत उद्धृत न किए गए हों, या यदि चूक के कारण शेष कार्यों को पूरा करने की शर्तें बदल जाती हों, या यदि किसी चूक या अतिरिक्त कार्य की राशि, अनुबंध के संपूर्ण कार्य या उसके किसी भाग की तुलना में इतनी अधिक हो कि बैंक के अभियंता की राय में, मात्रा और कीमतों की मूल्य सूची या निविदा में उल्लिखित शुद्ध दर या मूल्य, ठेकेदार द्वारा उचित रूप से परिकल्पित हानि या व्यय से अधिक हो, या ऐसी चूक

या अतिरिक्त कार्य के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो जाए, तो बैंक का अभियंता नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति से ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा जो परिस्थितियों के अनुसार वह उचित और उपयुक्त समझे।

(घ) जहां अतिरिक्त कार्य का उचित मापन या मूल्यांकन संभव न हो, वहां ठेकेदार को निविदा या मूल्य अनुसूची या मात्रा अनुसूची में उल्लिखित शुद्ध दरों के अनुसार दैनिक कार्य मूल्य दिया जाएगा, या यदि ऐसा उल्लेख न हो, तो जिले के स्थानीय दैनिक कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि दोनों ही मामलों में दैनिक समय (श्रमिकों के नाम) और प्रयुक्त सामग्री का विवरण देने वाले वाउचर, कार्य निष्पादन के बाद वाले सप्ताह के अंत तक या उससे पहले सत्यापन हेतु बैंक के अभियंता को प्रस्तुत किए जाएं, साथ ही स्थापना शुल्क, ठेकेदार के ओवरहेड और लाभ के लिए 15% अतिरिक्त राशि भी दी जाए।

अनुबंध के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में उल्लिखित "अंतिम माप की अवधि" के भीतर या यदि उल्लिखित नहीं है तो खंड 21 में परिभाषित अनुबंध कार्यों के पूरा होने के छह महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

18. नियोक्ता की संपत्ति माने जाने वाली अस्थाई सामग्रियां

यदि किसी प्रमाण पत्र (जिसके लिए ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हो चुका है) में बैंक के इंजीनियर ने कार्य के लिए शामिल की गई और/या कार्य स्थल पर या उसके आस-पास रखी गई किसी भी अस्थाई सामग्री का मूल्य शामिल किया है, तो ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और नियोक्ता की लिखित अनुमति के बिना कार्य स्थल पर उपयोग के अलावा उसे हटाया नहीं जाएगा। ऐसी सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

19. अनुपयुक्त कार्य को हटाना : कार्य प्रगति के दौरान, नियोक्ता को समय-समय पर लिखित रूप में यह आदेश देने का अधिकार होगा कि बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों के अनुरूप न होने वाली किसी भी सामग्री को, उचित सामग्री से प्रतिस्थापित करने को, और रेखांचित्रों, विनिर्देशों या निर्देशों के अनुरूप न होने वाली सामग्री या कारीगरी से निष्पादित किसी भी कार्य को हटाकर उसका उचित पुनः निष्पादन करने को आदेश दिया जाए, और ठेकेदार को ऐसे आदेश का पालन अपने खर्च पर तुरंत करना होगा। ठेकेदार द्वारा ऐसे आदेश का पालन न करने की स्थिति में, नियोक्ता को कार्य पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने या भुगतान करने का अधिकार होगा; और इसके परिणामस्वरूप या इससे संबंधित सभी खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काटे जा सकते हैं।

20. कार्य पूर्ण होने के बाद दोष : इस अनुबंध के परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" के भीतर, या यदि कोई अवधि उल्लिखित न हो तो कार्य पूर्ण होने के बारह महीनों के भीतर, यदि कोई दोष, सिकुड़न, धंसाव या अन्य कोई खराबी दिखाई देती है, जो नियोक्ता की राय में अनुबंध के अनुरूप न होने वाली सामग्री या कारीगरी के कारण उत्पन्न होती है, तो नियोक्ता के लिखित निर्देश पर और उसमें निर्दिष्ट उचित समय के भीतर ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर उसकी मरम्मत की जाएगी। चूक की स्थिति में, नियोक्ता ऐसे दोषों, सिकुड़न, धंसाव या अन्य दोषों की मरम्मत और सुधार के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है, और इसके परिणामस्वरूप होने वाली सभी क्षति, हानि और व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे या बैंक के इंजीनियर के लिखित प्रमाण पत्र पर, नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काटी जा सकती है, या नियोक्ता ठेकेदार द्वारा ऐसी मरम्मत और सुधार के बदले में ठेकेदार को देय किसी भी राशि से नियोक्ता द्वारा निर्धारित राशि काट सकता है। ऐसे कार्य में संशोधन की लागत के समतुल्य राशि, और यदि इस अनुबंध के खंड 32 के अंतर्गत रखी गई राशि अपर्याप्त हो, तो शेष राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी, साथ ही नियोक्ता द्वारा इससे संबंधित किए गए किसी भी व्यय को भी

वसूल किया जाएगा। यदि इस अनुबंध के खंड 12 और 22 के अंतर्गत नामित किसी उप-ठेकेदार द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया हो या सामग्री की आपूर्ति की गई हो, तो ठेकेदार उसी प्रकार क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कार्य या सामग्री ठेकेदार द्वारा की गई हो और इस अनुबंध के खंड 2 के प्रावधानों के अधीन हो। नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते को पारित करने तक ठेकेदार इस खंड के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तरदायी रहेगा।

21. कार्य के लगभग पूर्ण होने का प्रमाण पत्र और दोष दायित्व अवधि: कार्य तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक बैंक के अभियंता द्वारा लिखित रूप में यह प्रमाणित न कर दिया जाए कि कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से प्रारंभ होगी।

22. नामित उप-ठेकेदार : सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर और अन्य जो किसी भी सामान की आपूर्ति और स्थापना का कार्य करते हैं, जिसके लिए मूल लागत मूल्य या अनंतिम राशि मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देशों में शामिल हैं, जिन्हें नियोक्ता द्वारा नामित या चयनित किया जा सकता है या ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जा सकता है और जिन्हें यहां नामित उप-ठेकेदार कहा गया है।

ठेकेदार के विरुद्ध कार्यों पर या उससे संबंधित किसी भी नामित उप-ठेकेदार को नियोजित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि बैंक और ठेकेदार अन्यथा सहमत न हों (जब तक कि वे उचित आपत्ति न करें)।

(क) नामित उप-ठेकेदार, ठेकेदार को उप-अनुबंध के संबंध में उसी दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा जिसके अधीन ठेकेदार इस अनुबंध के संबंध में है।

(ख) नामित उप-ठेकेदार ठेकेदार को उप-ठेकेदारों, उसके कर्मचारियों या एजेंटों की किसी भी लापरवाही या उसके द्वारा या उनके द्वारा ठेकेदार की संपत्ति, किसी मचान या अन्य उपकरण के किसी भी दुरुपयोग या किसी भी लागू कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा।

(ग) नियोक्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बौद्ध दिनों के भीतर नामित उप-ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि प्रमाण पत्र जारी करने से पहले ठेकेदार अनुरोध पर बैंक को यह प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि पिछले प्रमाण पत्रों में शामिल सभी नामित उप-ठेकेदारों के खाते विधिवत रूप से चुका दिए गए हैं; ऐसा न करने की स्थिति में नियोक्ता बैंक के प्रमाण पत्र पर भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से उस राशि की कटौती कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का अनुबंध स्थापित नहीं करेगा।

23. नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति : नियोक्ता को इस अनुबंध में शामिल न किए गए किसी भी कार्य को अन्य व्यक्तियों द्वारा संपत्र कराने के लिए परिसर और साइट के किसी भी भाग का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित है, और ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा, लेकिन नियोक्ता के साथ विशेष व्यवस्था के अलावा ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए किसी भी प्रकार की मशीनरी या सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं होगा। ऐसा कार्य इस प्रकार किया जाएगा जिससे अनुबंध में शामिल कार्यों की प्रगति में कोई बाधा न आए और ठेकेदार ऐसे कार्य के कारण होने वाली किसी भी क्षति या देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

24. व्यक्ति एवं संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा : ठेकेदार स्वयं या किसी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी कर्मचारी के संचालन या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की चोट, पशु या वस्तु को हुई चोट और संपत्ति को हुई सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या इस अनुबंध के निष्पादन से संबंधित किसी अन्य कारण से हुई हो। इस खंड में अन्य बातों के अलावा, आस-पास या दूर स्थित भवनों को हुई कोई भी क्षति, सड़क, गली, फुटपाथ, पुल या पगड़ंडियों को हुई कोई भी क्षति, साथ ही इस अनुबंध के अंतर्गत आने वाले भवनों और कार्यों को

पाला, बारिश, हवा या अन्य प्रतिकूल मौसम के कारण हुई क्षति भी शामिल होगी। ठेकेदार नियोक्ता को उपर्युक्त प्रकार की चोट या व्यक्ति या संपत्ति को हुई क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा और उसे किसी भी प्रकार की क्षति से मुक्त रखेगा, साथ ही किसी भी विधायी अधिनियम या अन्यथा के तहत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के लिए और ऐसे दावे के परिणामस्वरूप दिए गए किसी भी पुरस्कार, मुआवजे या क्षति के लिए भी नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा।

ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित सभी प्रकार की क्षति की भरपाई करेगा, ताकि अनुबंध के सभी कार्य हर तरह से पूर्ण और सही ढंग से सौंपे जा सकें और तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान के सभी दावों का समाधान या अन्यथा संतुष्टि प्रदान की जा सके।

ठेकेदार को तीसरे पक्ष की देयता को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी लेनी होगी, जो मानव जीवन की हानि/अक्षमता (ठेकेदार से संबंधित न होने वाले व्यक्तियों) को कवर करेगी। इसमें निर्माण/स्थापना/कार्यान्वयन के दौरान साइट पर अन्य लोगों की सामग्री/उपकरण/संपत्ति, जिनमें बैंक की सामग्री/उपकरण/संपत्ति भी शामिल है, को होने वाले नुकसान का जोखिम भी शामिल होगा। मानव जीवन की हानि या पूर्ण/आंशिक अक्षमता के लिए तीसरे पक्ष की देयता क्षतिपूर्ति का मूल्य पूर्ण और आंशिक अक्षमता के लिए आवश्यक वैधानिक मूल्य के बराबर होगा और इसमें न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे को भी शामिल किया जाएगा। अन्य लोगों के उपकरण/संपत्ति को होने वाले नुकसान का कवर बैंक द्वारा अनुमोदित होगा। ठेकेदार के उप-ठेकेदार पॉलिसी के धारक या लाभार्थी नहीं होंगे और न ही उनका नाम पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। बैंक ठेकेदार के साथ पॉलिसी का प्रमुख धारक होगा। बैंक को पॉलिसी को हस्तांतरित करने का अनन्य अधिकार सुरक्षित है।

ठेकेदार, नियोक्ता को उन सभी दावों से क्षतिपूर्ति करेगा जो जनता के किसी सदस्य या किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा कार्य से संबंधित या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज़ के संबंध में नियोक्ता के विरुद्ध किए जा सकते हैं, और अपने स्वयं के खर्च पर, अनुबंध के वास्तविक समापन तक, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम से एक बीमा पॉलिसी पंजीकृत करवाएगा और उसे बनाए रखेगा, और इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसीयों को बैंक में जमा करेगा। ठेकेदार इसी प्रकार नियोक्ता को उन सभी दावों से भी क्षतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता पर, चाहे वह श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत हो या इस अनुबंध की अवधि के दौरान लागू किसी अन्य कानून के तहत, या सामान्य कानून के तहत, ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार के किसी कर्मचारी के संबंध में किए जा सकते हैं, और अपने स्वयं के खर्च पर, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम से ऐसे जोखिमों के विरुद्ध एक बीमा पॉलिसी पंजीकृत करवाएगा और उसे बनाए रखेगा, और इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसीयों को बैंक में जमा करेगा।

ठेकेदार उपर्युक्त बीमा पॉलिसियों से उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी के लिए और साथ ही इस अनुबंध की परिवहन, भंडारण, स्थापना, परीक्षण और चालू करने की नीति के लापरवाहीपूर्ण या दोषपूर्ण निष्पादन के कारण किसी व्यक्ति, पशु या संपत्ति को होने वाली अन्य सभी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। वह किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के लिए और साथ ही उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मुआवजे या क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति भी करेगा।

नियोक्ता को ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि में से ऐसे किसी भी दावे या क्षति से उत्पन्न होने वाली या उससे संबंधित किसी भी क्षति, मुआवजे, लागत, शुल्क और व्यय की राशि काटने का अधिकार होगा, बशर्ते कि नियोक्ता के इस संबंध में अन्य अधिकार उसके पास सुरक्षित रहें।

25. बीमा : ठेकेदार, कार्य सौंपे जाने की तिथि से 2 दिनों के भीतर, अपने खर्च पर निर्माण कार्य का बीमा कराएगा और पुनर्निर्माण कार्य के लगभग पूर्ण होने तक उसे अग्रि से होने वाली हानि या क्षति से सुरक्षित रखेगा। यह बीमा नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर (पॉलिसी में नियोक्ता का नाम पहले

होगा) अनुबंध की पूरी राशि के लिए कराया जाएगा। यह पॉलिसी के बल नियोक्ता की संपत्ति को कवर करेगी। ठेकेदार कार्य सौंपे जाने की तिथि से 2 दिनों के भीतर पॉलिसी और प्रीमियम की रसीदें नियोक्ता के पास जमा कराएगा। यदि ठेकेदार उपरोक्त प्रावधान के अनुसार बीमा नहीं कराता है, तो नियोक्ता निर्माण कार्य का बीमा करा सकता है और भुगतान किया गया प्रीमियम ठेकेदार को देय या भविष्य में देय होने वाली किसी भी राशि से काट सकता है, बशर्ते कि इस चूक के संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकार सुरक्षित रहें। यदि कार्य को रोकना आवश्यक हो जाता है, तो ठेकेदार बीमा पॉलिसी के तहत दावा निपटाए जाने के तुरंत बाद, या बीमा कार्यालय द्वारा कार्य को पुनः शुरू किए जाने के बाद (यदि वे ऐसा करने का विकल्प चुनते हैं), पूरी तत्परता से कार्य को उसी तरह पूरा करेगा जैसे कि आग न लगी हो और अनुबंध की सभी शर्तों का पालन करते हुए कार्य जारी रखेगा। आग लगने के बाद पुनर्निर्माण या पुनः शुरू करने की स्थिति में ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए उचित समय विस्तार प्राप्त करने का अधिकार होगा।

26. प्रारंभ एवं समापन तिथि : ठेकेदार को इस अनुबंध के परिशिष्ट में उल्लिखित "प्रारंभ तिथि" पर या नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट किसी भी बाद की तिथि पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वह तुरंत कार्य प्रारंभ करेगा तथा नियमित रूप से कार्य को आगे बढ़ाएगा और उसे पूरा करेगा (बैंक द्वारा विलंबित किए जाने वाले पैटिंग या अन्य सजावटी कार्यों को छोड़कर) या परिशिष्ट में उल्लिखित "समाप्ति तिथि" से पहले, समय विस्तार के लिए नीचे दिए गए प्रावधानों के अधीन रहते हुए।

27. कार्य पूरा न होने पर क्षतिपूर्ति : यदि ठेकेदार परिशिष्ट में उल्लिखित तिथि तक या यहाँ खंड 26 और 20 के अंतर्गत विस्तारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार नियोक्ता को परिशिष्ट में उल्लिखित राशि को "निर्धारित क्षतिपूर्ति" के रूप में उस अवधि के लिए भुगतान करेगा जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरा रहेगा और नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि से ऐसी क्षतिपूर्ति काट सकता है।

28. विलंब और समय विस्तार : यदि नियोक्ता की राय में कार्य में विलंब हो (क) अप्रत्याशित घटना के कारण, या (ख) किसी असाधारण रूप से प्रतिकूल मौसम के कारण, या (ग) ठेकेदार की स्वयं की चूक के अलावा अन्य कारणों से आस-पास के मालिकों या सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा की गई या धमकी दी गई कार्यवाही या विवाद के कारण, या (घ) नियोक्ता द्वारा नियुक्त या नामित अन्य ठेकेदारों या कारीगरों के कार्यों या विलंब के कारण, जिनका उल्लेख मात्राओं की अनुसूची और/या विनिर्देशों में नहीं है, या (ङ) खंड 17 के अनुसार बैंक के अभियंता के निर्देश के कारण, (च) नागरिक अशांति, कामगारों के स्थानीय संगठन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण जो किसी भी भवन निर्माण व्यवसाय को प्रभावित करती है, या (छ) ठेकेदार को बैंक से समय पर आवश्यक निर्देश प्राप्त न होने के परिणामस्वरूप, जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित में आवेदन किया हो, या (ज) अन्य कारणों से जिन्हें बैंक ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर प्रमाणित कर सकता है, या (।) यदि परिवर्तन के कारण कार्य का मूल्य मात्राओं की मूल्य अनुसूची के मूल्य से अधिक हो जाता है, तो बैंक कार्य पूरा करने के लिए उचित और तर्कसंगत समय विस्तार की लिखित सूचना यथाशीघ्र बैंक को दी जाएगी, लेकिन ठेकेदार फिर भी विलंब को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करेगा और बैंक की संतुष्टि के लिए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक सभी कार्य करेगा।

29. ठेकेदार द्वारा नियोक्ता के निर्देशों का पालन न करना : यदि ठेकेदार, नियोक्ता से 10 दिनों के भीतर अनुपालन की लिखित सूचना प्राप्त होने के बाद भी, अतिरिक्त आरेखों और/या बैंक के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है जो इसके लिए आवश्यक हो, और इससे संबंधित सभी लागतें नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल की जा सकती हैं या ठेकेदार को देय किसी भी

राशि से काटी जा सकती हैं।

30. नियोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति : यदि ठेकेदार, चाहे वह व्यक्ति हो या फर्म, किसी प्रकार का "दिवालियापन का कार्य" करता है या दिवालिया घोषित किया जाता है या निगमित कंपनी होने के नाते उसके विरुद्ध अनिवार्य परिसमापन का आदेश जारी किया जाता है या वह स्वैच्छिक रूप से या न्यायालय की देखरेख में परिसमापन का प्रभावी प्रस्ताव पारित करता है, तो अधिकारिक असाइनी या परिसमापक, जैसा भी मामला हो, उसे नोटिस दिए जाने के सात दिनों के भीतर बैंक को यह संतुष्ट करने में असमर्थ होगा कि वह अनुबंध को पूरा करने में सक्षम है और यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो तो उसके लिए सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है।

या यदि ठेकेदार (चाहे वह व्यक्ति हो, प्रथम कंपनी हो या निगमित कंपनी) के खिलाफ संपत्ति को कुर्क करने के लिए अदालत द्वारा निष्पादन या अन्य प्रक्रिया जारी की जाती है।

या ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उनकी ओर से इस अनुबंध के तहत किए गए किसी भी भुगतान को कुर्क किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

या नियोक्ता की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना इस अनुबंध को उप-किराए पर देने का अधिकार सुरक्षित रखा जाएगा।

या इस अनुबंध या इसके अंतर्गत ठेकेदार को देय या देय होने वाले किसी भी भुगतान पर कोई शुल्क लगाएगा या उसे गिरवी रखेगा।

- (i) अनुबंध का परित्याग कर दिया है, या
- (ii) कार्य शुरू करने में विफल रहा हो, या इन शर्तों के तहत बिना किसी वैध कारण के बैंक से कार्य शुरू करने का नोटिस प्राप्त होने के चौदह दिनों तक कार्य की प्रगति को निलंबित कर दिया हो, या उचित तत्परता से कार्य को आगे बढ़ाने में विफल रहा हो और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा हो जिससे कार्य सहमत समय के भीतर पूरा हो सके, या
- (iii) कार्य को उचित तत्परता से आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्य सहमत समय के भीतर पूरा हो सके, या
- (iv) बैंक से लिखित सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर साइट से सामग्री हटाने या निर्माण कार्य को गिराकर उसकी जगह नया निर्माण कार्य करने में विफल रहा हो, जिसमें यह बताया गया हो कि उक्त सामग्री या कार्य को बैंक के इंजीनियर द्वारा इन शर्तों के तहत अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है।
- (v) ठेकेदार को लिखित सूचना दिए जाने के सात दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा अनुबंध के अनुसार पालन किए जाने वाले किसी भी कार्य, मामले या चीज़ का पालन करने या उसे पूरा करने में लापरवाही बरती है या लगातार विफल रहा है।

तब और उपरोक्त किसी भी स्थिति में, नियोक्ता, पूर्व में दी गई किसी भी छूट के बावजूद, ठेकेदार को सात दिन का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है, और अनुबंध पूर्णतः उसी प्रकार लागू रहेगा जैसे कि अनुबंध समाप्त नहीं किया गया हो, और ऐसा ही तब होगा जब बाद में किए गए कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए हों। इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंटों या कर्मचारियों के माध्यम से कार्यस्थल और परिसर या उससे सटी भूमि या सड़कों पर स्थित सभी उपकरण, औजार, मचान, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य विद्युत उपकरण और सामग्री पर कब्जा कर सकता है और उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या अपने स्वयं के कर्मचारियों और कामगारों के माध्यम से कार्य को जारी

रखने और पूरा करने में उनका उपयोग कर सकता है या किसी अन्य ठेकेदार या व्यक्तियों को कार्य पूरा करने के लिए नियुक्त कर सकता है। ठेकेदार किसी भी प्रकार से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्य पूरा करने, उसे अंतिम रूप देने या कार्य के लिए सामग्री और उपकरणों का उपयोग करने से रोकने या बाधा डालने के लिए कोई कार्य या चीज नहीं करेगा। जब कार्य पूर्ण हो जाएगा या उसके तुरंत बाद, बैंक ठेकेदार को अपने अंतिरिक्त सामान और उपकरण हटाने के लिए लिखित सूचना देगा। यदि ठेकेदार सूचना प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता सार्वजनिक नीलामी द्वारा इन्हें बेच सकता है और प्राप्त शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद नियोक्ता यह निर्धारित करेगा और अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में प्रमाणित करेगा कि उक्त उपकरण और सामग्री में से नियोक्ता ने कितना हिस्सा अपने कब्जे में लिया है, कार्य पूर्ण कराने में नियोक्ता को कितना खर्च या हानि हुई है, और यदि कोई राशि ठेकेदार को देय है, तो वह राशि नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो, भुगतान की जाएगी, और बैंक का प्रमाण पत्र दोनों पक्षों के बीच अंतिम और निर्णयिक होगा।

- 31. ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति :** यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को उपरोक्त राशि के भुगतान के लिए लिखित नोटिस दिए जाने के तीस दिनों के बाद भी बकाया रहता है और भुगतान नहीं किया जाता है, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी प्रमाण पत्र को जारी करने में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है, या यदि नियोक्ता अनुबंध को रद्द कर देता है, या यदि बैंक या नियोक्ता के आदेश पर या किसी न्यायालय के किसी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश द्वारा कार्य तीन महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो उपरोक्त सभी मामलों में ठेकेदार नियोक्ता को लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, और वह नियोक्ता से किए गए सभी कार्यों के लिए और अनुबंध के उद्देश्य के लिए आपूर्ति किए गए, खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी संयंत्र या सामग्री पर हुए किसी भी नुकसान की वसूली का हकदार होगा।

इस प्रकार के भुगतान की राशि निर्धारित करते समय ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का पालन किया जाएगा, या जहां यह लागू न हो, वहां इस अनुबंध के खंड 17 के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

- 32. प्रमाण पत्र एवं भुगतान:** ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा समय-समय पर किश्तों में भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले अंतिरिम प्रमाण पत्र के अनुसार, अनुबंध के अनुसार किए गए कार्यों के लिए किया जाएगा, जिनका अनुमानित मूल्य परिशिष्ट में 'अंतिरिम प्रमाण पत्र हेतु कार्य का मूल्य' के रूप में उल्लिखित है। हालांकि, परिशिष्ट में उल्लिखित 'कुल रोकी गई राशि' के प्रतिशत को रोक लिया जाएगा। इसके बाद, किश्तें भवन में किए गए और स्थापित किए गए कार्य के पूर्ण मूल्य तक होंगी। और जब कार्य वस्तुतः पूर्ण हो जाएगा, तो नियोक्ता द्वारा बैंक के इंजीनियरों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के अनुसार, अनुबंध में उल्लिखित 'वास्तविक पूर्णता के बाद की किश्त' के रूप में उल्लिखित राशि का भुगतान किया जाएगा, जो उक्त कुल रोकी गई राशि का एक हिस्सा होगी। ठेकेदार अंतिम प्रमाणपत्र के अनुसार अंतिम शेष राशि के भुगतान का हकदार होगा, जो इस अनुबंध के परिशिष्ट में उल्लिखित 'दोष दायित्व अवधि' की समाप्ति पर, आभासी पूर्णता की तिथि से या ऐसी अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद, जब कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो जाए और सभी दोषों को इस अनुबंध के वास्तविक आशय और अर्थ के अनुसार ठीक कर दिया जाए, जो भी बाद में हो, तब तक मान्य होगा। बशर्ते कि यह अवधि या इसके पूर्ण होने पर या उसके बाद ठेकेदार को खंड 21 और 36 के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगी, न ही उसे कार्यों या सामग्रियों से संबंधित या प्रमाणपत्र में उल्लिखित किसी भी मामले से संबंधित धोखाधड़ी, बेर्इमानी या कपटपूर्ण छिपाव के मामलों में, और कार्यों या सामग्रियों में उन सभी दोषों और कमियों के मामले में, जिनका उचित परीक्षण से पता नहीं चलता, उसकी अक्षमता से मुक्त

करेगी।

यदि कार्य या उसके किसी भाग का निष्पादन नियोक्ता की संतुष्टि के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, तो नियोक्ता को कोई भी प्रमाण पत्र रोकने का अधिकार होगा।

- 33. विलंबित भुगतान :** यदि नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि परिशिष्ट में उल्लिखित 'प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि' के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो नियोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि के भुगतान की तिथि से भुगतान होने तक परिशिष्ट में उल्लिखित "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" की दर से ब्याज लगेगा।
- 34.** खंड 2(क, ख), 4, 5, 14, 20(क, ख, ग, घ और च) के अंतर्गत आने वाले सभी या किसी भी मामले के संबंध में (भुगतान को छोड़कर) दिया गया निर्णय, राय, निर्देश प्रमाणपत्र (जिन्हें यहाँ अपवादित मामले कहा गया है) अंतिम और निर्णायक होगा तथा पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा तथा इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी। कोई भी अन्य निर्णय, राय, निर्देश खंड 35 के अंतर्गत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा, सभी मामलों में समान रूप से (संदर्भ खोलने संबंधी प्रावधानों सहित)।

- 35. मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा :** अनुबंध या कार्यों के निष्पादन से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद (चाहे कार्य प्रगति के दौरान हों या पूर्ण होने के बाद, और चाहे अनुबंध के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में हों) बैंक को संदर्भित किए जाएंगे और बैंक द्वारा उनका निपटारा किया जाएगा, जो अपना निर्णय लिखित रूप में देगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या किसी अन्य रूप में हो सकता है। खंड 33 में वर्णित अपवादित मामलों के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अपील नहीं की जा सकेगी। लेकिन यदि ठेकेदार बैंक द्वारा उपरोक्त रूप में लिए गए किसी भी निर्णय से असंतुष्ट है, अपवादित मामलों को छोड़कर, तो ठेकेदार ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त होने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित सूचना देकर विवादित मामलों पर मध्यस्थता का अनुरोध कर सकता है। ऐसी लिखित सूचना में उन मामलों का उल्लेख होगा, जो विवाद या मतभेद के विषय हैं और जिनके लिए ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पक्ष अपनी और से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पक्षों द्वारा नामित दोनों मध्यस्थ एक और व्यक्ति को तीसरे मध्यस्थ या निर्णायिक के रूप में नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, अनुरोध या नोटिस को खोलने, उसकी समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने का अधिकार होगा, सिवाय उन अपवादों के जो पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट हैं, और उन सभी विवादित मामलों का निर्धारण करने का अधिकार होगा जिन्हें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनकी सूचना उपर्युक्त अनुसार दी गई होगी।

मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर (या पक्षकारों की सहमति से उनके द्वारा निर्धारित अतिरिक्त समय सीमा के भीतर) अपना निर्णय देंगे। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद या मतभेद का निपटारा कर लेते हैं, तो उनके द्वारा निपटारे या समझौते का संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, ऐसे निपटारे या समझौते के अनुसार निर्णय देंगे।

ऐसे किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार से संबंधित लागतों पर निर्णय मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर निर्भर करेगा, जो इसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं या इसे पक्षकारों के बीच निर्धारित करने का निर्देश दे सकते हैं और यह भी निर्देश दे सकते हैं कि इसे किसके द्वारा, किसे और किस तरीके से वहन और भुगतान किया जाएगा।

यह निवेदन भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए निवेदन माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यह सहमति दी जाती है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद के मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के कारण कार्यों के निष्पादन में विलंब नहीं करेगा, बल्कि पूरी तत्परता से कार्यों को जारी रखेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय आने तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक निष्पादन के संबंध में बैंक के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार एतद्वारा यह भी सहमत हैं कि इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता अनुबंध के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कार्रवाई के अधिकार की पूर्व शर्त होगी। मध्यस्थता का स्थान आरबीआई हैदराबाद होगा।

36. अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार

नियोक्ता को अंतिम बिल के भुगतान के समय ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों और अंतिम बिल, जिसमें सभी सहायक प्रमाण पत्र, सारांश आदि शामिल हैं, की तकनीकी जांच कराने का अधिकार होगा। यदि इस जांच के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से कोई राशि अधिक भुगतान की गई हो या अधिक प्रमाणित की गई हो, तो नियोक्ता को वह राशि वसूल करने का अधिकार होगा।

37. नियोक्ता को कामगार को भुगतान किए गए मुआवजे की भरपाई करने का अधिकार है

यदि किसी कारणवश, कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन के प्रावधानों के तहत नियोक्ता, ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन में नियोजित किसी कामगार को मुआवजा देने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार से भुगतान की गई मुआवजे की राशि वसूल करने का हकदार होगा। नियोक्ता ऐसी राशि या उसके किसी भाग को सुरक्षा जमा राशि या ठेकेदार द्वारा देय किसी अन्य राशि से काटकर वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत अपने विरुद्ध किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर और ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप नियोक्ता पर आने वाले सभी खर्चों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि हेतु पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने पर।

38. कार्यों का परित्याग

निविदा स्वीकार किए जाने के बाद यदि किसी भी समय नियोक्ता किसी भी कारण से संपूर्ण या आंशिक कार्य को पूरा करने की अपेक्षा न करे, तो बैंक ठेकेदार को लिखित सूचना देगा और ठेकेदार को संपूर्ण कार्य के निष्पादन से प्राप्त किसी भी लाभ या फायदे के लिए किसी भी प्रकार के मुआवजे या अन्य भुगतान का कोई दावा नहीं होगा।

39. अतिरिक्त सामग्रियों की वापसी

इस अनुबंध के किसी या सभी खंडों में निहित विपरीत किसी भी चीज के बावजूद, जहां अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री सरकार द्वारा जारी आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत नियोक्ता की सहायता से खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्रियों को आर्थिक रूप से और केवल अनुबंध के प्रयोजन के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो, तो सामग्री की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बैंक

द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर नियोक्ता को वापस कर देगा, निर्धारित की जाने वाली कीमत बिक्री कर, चुंगी और ठेकेदार द्वारा इसके संबंध में भुगतान की गई अन्य ऐसी लेवी सहित इसकी खरीद मूल्य से अधिक नहीं होगी, उपरोक्त शर्त के उल्लंघन के मामले में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट और/या आपराधिक विश्वासघात की शर्तों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, नियोक्ता को सभी धन, लाभ या मुनाफे के लिए उत्तरदायी होगा जो ऐसे उल्लंघन के कारण उसके लिए सामान्य रूप से हुए थे या होते।

40. ठेकेदार या व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का नियोक्ता का अधिकार

इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो नियोक्ता के पास इस तरह की समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।

41. गैर-प्रकटीकरण खंड

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी, सामग्री और बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणाली/उपकरण आदि का खुलासा नहीं करेगा, जो समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के पेशे या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के विवरणों को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा।

ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

जानकारी गुप्त रखने और गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में ठेकेदार के दायित्व, किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या निरस्तीकरण के बाद भी लागू रहेंगे।

42. यौन उत्पीड़न

(क) बैंक परिसर के भीतर किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत होने पर ठेकेदार/एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी उक्त अधिनियम के तहत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

(ख) ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में ली जाएगी।

(ग) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जो घटना में ठेकेदार के कर्मचारियों के

शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

(घ) ठेकेदार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(ङ) ठेकेदार अपने उन कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर में तैनात हैं।

स्थान:

दिनांक:

निविदाकार के हस्ताक्षर और मुहर।

खंड-VI

वाणिज्यिक शर्तें जिनका उल्लेख पहले किया गया है

1.	दोष दायित्व अवधि	वर्चुअल आयोजन की तिथि से एक वर्ष बाद पूर्णता प्रमाणपत्र
2.	अंतिम माप की अवधि	3 महीने
3.	प्रारंभण की तिथि	कार्य आदेश जारी होने की अगली तिथि से।
4.	पूरा होने की तारीख	वर्चुअल पूर्णता प्रमाणपत्र की तिथि।
5.	कार्य पूरा न होने पर देय हजरने की दर।	अनुबंध मूल्य का 0.25 प्रतिशत प्रति सप्ताह अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% तक की दरी के लिए मुआवजा दिया जा सकता है।
6.	अंतरिम कार्यों का मूल्य प्रमाण पत्र	10.00 लाख रुपये
7.	प्रमाणपत्रों को मान्य करने की अवधि	अंतरिम विधेयकों के लिए 45 दिन और 3 महीने अंतिम बिल के लिए।
8.	विलंबित भुगतान पर ब्याज	3% प्रति वर्ष
9.	प्रतिधारण राशि	कार्य मूल्य का 5%
10	मूल्य बोली के लिए निविदा मूल्यांकन	कुल देय लागत = (पूँजी लागत A (आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना) - पुराने 2 8.5TR पैकेज AC यूनिटों को वापस लेने के लिए प्रस्तावित बायबैक (B)) + (पहले वर्ष की वार्षिक एमसी लागत X 7.03)

स्थान:

ठेकेदार की मुहर एवं हस्ताक्षर

दिनांक:

खंड -VII
वाणिज्यिक जांच सूची

भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ/वीआरवी) तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)

वाणिज्यिक शर्तें

क्र.सं.	विवरण	बैंक के नियम और शर्तें	बैंक के नियमों और शर्तों की स्वीकृति (हाँ नहीं)
1	वैधता	ई-टेंडर के खुलने की तिथि से 90 दिन (भाग-1)	
2	ईएमडी	44,000 रुपये (केवल चौवालीस हजार रुपये)	
3	अदायगी की शर्तें	निविदा के भाग । मैं लागू खंड के अनुसार	
5	गारंटी अवधि	वर्चुअल आयोजन की तारीख से एक वर्ष समापन।	
6	सीएएससी के दौरान बिक्री के बाद की सेवा	उद्धृत दरों में मरम्मत/रखरखाव की लागत शामिल होगी, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर किसी भी सामग्री/असेंबली/उपकरण/पुर्जे/श्रम का प्रतिस्थापन भी शामिल होगा।	
7	समापन अवधि	कार्य आवंटन पत्र की तिथि से 3 सप्ताह/दिन	
8	परिसमापन हर्जाना	अनुबंध की राशि के अधिकतम 10% के अधीन, विलंब के प्रत्येक सप्ताह के लिए अनुबंध मूल्य का 0.25 प्रतिशत	

भाग ॥ मैं कोई नियम एवं शर्तें शामिल नहीं होनी चाहिए, बल्कि केवल मात्रा के आधार पर मूल्य निर्धारण होना चाहिए।

भाग ॥ मैं शामिल कोई भी नियम एवं शर्तें मान्य नहीं होंगी और उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

स्थान

दिनांक

ठेकेदार की मुहर एवं हस्ताक्षर

खंड VIII - वाणिज्यिक विचलनों की अनुसूची

इस निविदा में किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं है। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित पूर्व-बोली बैठक में भाग लें और बोली लगाने से पहले कार्य का दायरा को समझने के लिए साइट का दौरा करें।

तकनीकी विनिर्देशन

9.0 कार्य का दायरा

A. कार्य का दायरा

इस कार्य में मुख्य रूप से निम्नलिखित मद्देश शामिल हैं:

- ए) हैदराबाद में मुख्य कार्यालय भवन की छत पर 40 एचपी टॉप डिस्चार्ज आउटडोर यूनिट (20 एचपी की 2 इकाइयाँ) और पहली मंजिल के सभागार क्षेत्र में सीलिंग स्प्रेंडेर कैसेट और हाई वॉल इंडोर यूनिट से युक्त वीआरवी/वीआरएफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना।
- बी) 40 एचपी की बाहरी इकाइयाँ दो मॉड्यूल इकाइयों के संयोजन से बनी होंगी।
- सी) **इस निविदा के लिए 40 एचपी की एकल इकाई के लिए कोट देना स्वीकार्य नहीं है।**

विक्रेता/ठेकेदार को पहली मंजिल पर काम करने और दूसरी मंजिल पर छत पर बाहरी इकाइयों की स्थापना के लिए मात्रा अनुसूची में दरों को भरते समय सभी खर्चों और जोखिमों पर विचार करना होगा।

- बी) आवश्यकता पड़ने पर वेंटिलेशन आदि के लिए शीट मेटल/प्रीफैब्रिकेटेड डक्ट वर्क का निर्माण और स्थापना।
- सी) उपकरण, बाड़ों, पाइपिंग आदि का इन्सुलेशन/धनिरोधी उपचार, जैसा कि निर्दिष्ट है।

ई) ट्रे/दीवार/डक्ट में विद्युत संचार केबलों की आपूर्ति, बिछाना और चालू करना।

- फ) आवश्यक नियंत्रण और सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना नियंत्रण तारों के साथ।

ह) एयर कंडीशनिंग से संबंधित सभी सिविल संबंधी छोटे-मोटे कार्य, जिसमें बाहरी इकाइयों के लिए प्लिंथ/नींव शामिल नहीं हैं।

ि) सभी कार्यों की पैटिंग और अंतिम फिनिशिंग।

ज) सभी उपकरण/प्रणाली का सिस्टम संतुलन और निर्धारित मौसमी प्रदर्शन परीक्षण।

क) ऊपर उल्लिखित कार्यों के अलावा कोई अन्य कार्य जो संपूर्ण प्रणाली बनाने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

इस अनुबंध का पूर्ण आशय।

।) बैंक द्वारा चयनित आवश्यक रंग से इनडोर यूनिट के सिंग पर स्प्रे पैटिंग करना, जो परिसर के आंतरिक भाग से मेल खाता हो। बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप संपूर्ण सिस्टम का डिज़ाइन तैयार करना। ऐसा करते समय, विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक की अनुमति के बिना मूल लेआउट से कोई विचलन न हो, विशेष रूप से वीआरएफ/वीआरवी सिस्टम घटकों की स्थापना और उनके विनिर्देशों में।

जे) कार्य आवंटित किए जाने के दिन से 3 दिनों के भीतर संपूर्ण डिज़ाइन लेआउट, शोड्यूल और तकनीकी साहित्य बैंक के इंजीनियर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें। कार्य तभी प्रारंभ किया जाएगा जब ओईएम द्वारा प्रस्तुत लेआउट बैंक द्वारा अनुमोदित हो जाएगा।

के) बोलीदाता द्वारा बैंक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले लेआउट और तकनीकी साहित्य की संक्षिप्त सूची निम्नलिखित है:

- पहली मंजिल और छत की मंजिलों के विस्तृत वित्र जिनमें एचवीएसी सिस्टम के सभी घटक (उनके विनिर्देशों सहित) दर्शाए गए हों। जैसे कि ओडीयू आईडीयू रेफ्रिजरेंट पाइपिंग सर्किट, ताजी हवा के डक्ट (यदि आवश्यक हो), फैन असेंबली, ड्रेन पाइपिंग, सेंट्रल कंट्रोलर (यदि आवश्यक हो), पावर डीबी आदि।

डी) विक्रेता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कार्य उसकी संतुष्टि के अनुरूप और बैंक द्वारा अनुमोदित लेआउट और विशिष्टाओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

ई) कार्य पूर्ण होने पर, विक्रेता को यह प्रमाणित करना होगा कि संपूर्ण कार्य उसकी अनुशंसित विशिष्टाओं के अनुसार पूर्ण किया गया है।

एफ) विक्रेता को निविदा चरण में ही अनुलग्नक-जी में दिए गए प्रारूप में (अपने लेटरहेड पर) एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- यदि ठेकेदार को कार्य सौंपा जाता है, तो उसे न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए सिस्टम के रखरखाव हेतु बैंक के साथ वार्षिक रखरखाव अनुबंध करने के लिए अधिकृत करना।
- यदि ठेकेदार ऐसा करने में असमर्थ हो, तो उपर्युक्त परियोजना के दायरे में निर्मित (ओईएम) उत्पादों के लिए, वीआरएफ/वीआरवी प्रणाली के रखरखाव हेतु बैंक द्वारा नियुक्त किसी भी डीलर के माध्यम से, सीधे तौर पर या बैंक की संतुष्टि के अनुरूप, स्पेयर पार्ट्स/अपडेट/तकनीकी जनशक्ति आदि की आपूर्ति के रूप में, उपर्युक्त कार्य के आभासी रूप से पूर्ण होने की तिथि से कम से कम 10 वर्षों तक सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता।

9.1 वीआरएफ / वीआरवी प्रणाली

एयर कंडीशनिंग सिस्टम में वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो सिस्टम (VRF/VRV) शामिल है, जिसमें निर्दिष्ट स्थानों पर स्थित एयर-कूल्ड आउटडोर कंडेंसिंग यूनिट (न्यूनतम 40 HP क्षमता) होती है। सिस्टम के लो साइड में कैसेट शामिल हैं, जैसा कि BOQ में निर्दिष्ट है। वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो/वॉल्यूम (VRF/VRV) सिस्टम BOQ में निर्दिष्ट अनुसार एयर-कूल्ड होना चाहिए। यह कैसेट और स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जिसमें कई इनडोर यूनिट से जुड़ी एकल/समूह कंडेंसिंग यूनिट होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में व्यक्तिगत सेट पॉइंट कंट्रोल की क्षमता होती है। सिस्टम का संचालन माइक्रोप्रोसेसर आधारित कंट्रोल सिस्टम द्वारा किया जाएगा। सिस्टम में प्रत्येक कंडेंसिंग यूनिट को एक ही रेफ्रिजरेंट सर्किट पर विभिन्न प्रकार और क्षमताओं की आवश्यक इनडोर यूनिट से जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। इनडोर यूनिट में कॉर्डलेस रिमोट कंट्रोल एक मानक एक्सेसरी के रूप में/BOQ के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए।

यदि विशिष्ट क्षमता वाला ओडीयू या आईडीयू उपलब्ध नहीं है, तो विक्रेता निकटतम उच्च/उन्नत क्षमता का उद्धरण दे सकता है।

सभी वीआरएफ/वीआरवी एयर कंडीशनर पूरी तरह से कारखाने में असेंबल, वायर्ड, आंतरिक रूप से पाइप किए हुए और परीक्षण किए हुए होंगे।

बाहरी इकाई में R410A रेफ्रिजरेंट की पहली खेप पहले से भरी होनी चाहिए। साइट पर मौजूद पाइपिंग के अनुसार अतिरिक्त रेफ्रिजरेंट डाला जाएगा। सभी इकाइयाँ $415V \pm 10\%$, $50Hz \pm 3\%$, 3-फेज सप्लाई (बाहरी इकाइयों के लिए) और $220V \pm 10\%$, $50Hz \pm 3\%$, 1-फेज सप्लाई (अंदरूनी इकाइयों के लिए) के साथ संचालन के लिए उपयुक्त होनी चाहिए।

वीआरएफ/वीआरवी सिस्टम स्पिर, समस्या-मुक्त और सुरक्षित संचालन प्रदान करेंगे, साथ ही हीट लोड के अनुसार वांछित इनडोर यूनिट्स को संचालित करने की सुविधा भी देंगे। आउटडोर यूनिट्स को चालू इनडोर यूनिट्स की संख्या और एयर कंडीशनिंग क्षेत्र में हीट लोड के अनुपात में सटीक क्षमता प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। अनुपातिक संचालन आउटडोर यूनिट्स में कंप्रेसर की गति को बदलकर प्राप्त किया जाएगा। सिस्टम बीएमएस के साथ संगत होना चाहिए।

सिस्टम के रिमोट कंट्रोल के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी मालिकाना सॉफ्टवेयर (आजीवन लाइसेंस सहित) ठेकेदार द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान किया जाएगा।

निर्दिष्ट अनुसार वीआरएफ/वीआरवी प्रणाली का संचालन स्वतंत्र वायरलेस रिमोट कंट्रोलर के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रणाली को हैदराबाद, तेलंगाना की परिवेशीय परिस्थितियों में काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि 23 ± 1 डिग्री सेल्सियस का इनडोर एयर कंडीशनिंग तापमान प्रदान किया जा सके।

ओडीयू को कनेक्टेड इनडोर यूनिट्स की कुल क्षमता के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए, जो ओडीयू की क्षमता के 40% और 100% के बीच हो सकती है।

9.2 रेफ्रिजरेंट

संपूर्ण कंडेंसिंग यूनिट और इवैपोरेटिंग यूनिट को फैक्ट्री में असेंबल और टेस्ट किया जाना चाहिए और इनका डिज़ाइन AHRI मानकों, IS मानकों आदि के अनुरूप होना चाहिए। यूनिट में R410A रेफ्रिजरेंट पहले से भरा होना चाहिए। अतिरिक्त रेफ्रिजरेंट साइट पर डाला जाना है। प्रत्येक सर्किट में डाले गए अतिरिक्त रेफ्रिजरेंट का विवरण कार्य पूरा होने के बाद OEM द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कमीशनिंग प्रमाणपत्र में दिया जाना चाहिए।

9.3 परिवेशीय स्थितियाँ

वीआरएफ/वीआरवी प्रणाली को परिवेश के तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला के भीतर काम करने में सक्षम होना चाहिए और संघनन इकाइयों को 45 डिग्री सेल्सियस तक के परिवेश में शीतलन प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

9.4 रेफ्रिजरेंट पाइपिंग दूरी सीमाएँ

यह सिस्टम कंडेंसिंग यूनिट और फैन कॉइल यूनिट के बीच 150 मीटर तक की रेफ्रिजरेंट पाइपिंग के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें 50 मीटर का लेवल डिफरेंस हो और कोई ऑयल ट्रैप या डबल राइजर न हो। ऑयल इकलाइजिंग लाइन कंडेंसिंग यूनिट के अंदर होनी चाहिए, ताकि साइट पर ऑयल ट्रैप के उलटने से बचा जा सके। एक आउटडोर यूनिट से जुड़ी विभिन्न इनडोर यूनिटों के बीच अनुमत लेवल डिफरेंस 15 मीटर तक होना चाहिए।

9.5 संघनन इकाइयाँ

ये पूरी तरह से मौसमरोधी, कारखाने में असेंबल किए हुए और सभी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक और रेफ्रिजरेंट नियंत्रणों के साथ पहले से ही वायर्ड होंगे। इनका आवरण हल्के स्टील के पैनलों से बना होगा जिन पर बेकड इनेमल की परत चढ़ी होगी। कंडेंसर कॉइल के फिन्स पर जंग रोधी परत चढ़ाई जाएगी।

डिजाइन मॉड्यूलर प्रकार का होगा जिससे कंडेंसिंग यूनिट को अगल-बगल स्थापित किया जा सकेगा।

फैन मोटर स्पीड कंट्रोल:

कंडेंसिंग यूनिट के फैन मोटर्स में कम से कम दो स्पीड ऑपरेशन होने चाहिए ताकि सभी परिवेश तापमानों और संचालन मोड में निरंतर हेड प्रेशर नियंत्रण बनाए रखा जा सके।

आउटडोर यूनिट के सभी कंप्रेसर पूरी तरह सीलबंद स्क्रॉल प्रकार के होने चाहिए। कंप्रेसर उच्च दक्षता वाले, एयर कूल्ड परिस्थितियों के लिए उपयुक्त स्क्रॉल डिज़ाइन के होने चाहिए। प्रत्येक कंप्रेसर में अंतर्निर्मित ओवरलोड, HP और LP नियंत्रक होने चाहिए और यह वाइब्रेशन आइसोलेटर पर लगा होना चाहिए।

सिंगल मॉड्यूल आउटडोर यूनिट के मामले में, आउटडोर यूनिट के किसी एक कंप्रेसर के फेल होने की स्थिति में बैकअप ऑपरेशन संभव होना चाहिए, और मल्टीपल मॉड्यूल आउटडोर यूनिट के मामले में, किसी एक मॉड्यूल के फेल होने की स्थिति में भी बैकअप ऑपरेशन संभव होना चाहिए। VRF/VRV आउटडोर यूनिट को हमेशा पूर्ण लोड क्षमता का कम से कम 33% बैकअप ऑपरेशन प्रदान करना चाहिए।

मल्टी मॉड्यूल की प्रत्येक आउटडोर यूनिट में, सभी कंप्रेसर (इन्वर्टर या ऑन/ऑफ प्रकार के) के लिए समान रनटाइम की प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

एयर कूल्ड कंडेंसर में एक्सियल फ्लो, अपवर्ड थ्रो फैन होना चाहिए, जो न्यूनतम IP55 सुरक्षा वाले फैन मोटर्स से सीधे जुड़ा हो। आउटडोर यूनिट्स का संपूर्ण संचालन इनडोर यूनिट्स के स्वतंत्र रिमोट के माध्यम से होगा। अलग से स्टार्ट/स्टॉप फंक्शन की आवश्यकता नहीं होगी।

आउटडोर यूनिट कंप्रेसर का स्टार्टर "डायरेक्ट ऑनलाइन" प्रकार का या OEM मानक के अनुसार होना चाहिए। यूनिट का इन्वर्टर कंप्रेसर सबसे पहले और न्यूनतम आवृत्ति पर चालू होना चाहिए, ताकि स्टार्टिंग के दौरान उत्पन्न होने वाले करंट को कम किया जा सके।

आउटडोर यूनिट में रेफ्रिजरेंट नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के माध्यम से होगा। संपूर्ण रेफ्रिजरेंट सर्किट, ऑयल बैलेसिंग/इकलाइजिंग सर्किट फैक्ट्री में असेंबल किए जाएंगे।

परीक्षण किया गया।

बाहरी इकाइयों में निम्नलिखित सुरक्षा उपकरण लगे होने चाहिए:

- उच्च दबाव स्विच
- फैन ड्राइवर ओवरलोड प्रोटेक्टर
- ओवरकरंट रिले
- इन्वर्टर ओवरलोड प्रोटेक्टर
- OEM मानक के अनुसार फ्यूजेबल प्लग/फ्यूज
- क्रैंक केस हीटर या OEM मानक के अनुसार

यूनिट को निम्नलिखित के साथ आपूर्ति की जाएगी

- स्थापना पुस्तिका
- चालन नियम - पुस्तक
- कनेक्शन पाइप मानक के अनुसार या BOQ के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।
- क्लैंप

I. कंप्रेसर

कंप्रेसर उच्च दक्षता वाले वायुरोधी स्कॉल इन्वर्टर प्रकार के कंप्रेसर होने चाहिए। कंप्रेसर में इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण होने चाहिए, जो नवीनतम अक्षीय अनुरूप सीलिंग तकनीक का उपयोग करके शीतलन में होने वाले बदलावों के अनुसार लोडिंग और अनलोडिंग करने में सक्षम हों। माइक्रोप्रोसेसर पैनल में सिस्टम की स्थिति की सटीक निगरानी के लिए नियंत्रण शामिल होना चाहिए।

II. हीट रेगुलेटर

हीट एक्सचेंजर का निर्माण सीमलेस कॉपर ठ्यूबों से किया जाएगा, जिन्हें एल्युमीनियम फिन्स से यांत्रिक रूप से जोड़कर एक क्रॉस फिन कॉइल बनाया जाएगा। एल्युमीनियम फिन्स पर जंग रोधी परत चढ़ाई जाएगी या OEM मानक के अनुसार उपचार किया जाएगा।

III. बाहरी इकाई का रेफ्रिजरेंट सर्किट

रेफ्रिजरेंट सर्किट में कंडेंसिंग यूनिट के साथ रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर, मोटर, पंखे, कंडेंसर कॉइल, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, सोलनॉइड वाल्व, या OEM मानक के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूशन हेडर, कैपिलरी, फिल्टर, शट डाउन वाल्व, सर्विस पोर्ट, रिसीवर और एक्यूमुलेटर और सुरक्षित और संतोषजनक संचालन के लिए आवश्यक अन्य सभी घटक शामिल होने चाहिए।

वीआरएफ/वीआरवी सिस्टम का संचालन स्वतंत्र वायर्ड संचार केबलिंग और निर्दिष्ट वायरलेस व्यक्तिगत आईडीयू रिमोट के माध्यम से किया जाएगा। संपूर्ण सिस्टम को एक सिस्टम कंट्रोलर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे ओईएम द्वारा अनुमोदित सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ एकीकृत किया जा सकेगा। सिस्टम कंट्रोलर समय सारणी के अनुसार सिस्टम को चालू/बंद करने में सक्षम होगा और सिस्टम से सामान्य खराबी की जानकारी भी प्रदान करेगा।

IV. बीएमएस से निगरानी

तृतीय-पक्ष भवन प्रबंधन प्रणाली से बाहरी इकाइयों की स्थिति की निगरानी के लिए आवश्यक रिले और संपर्क प्रदान किए जाएंगे। बाहरी इकाइयों में इसके लिए आवश्यक पोटेंशियल फ्री संपर्क होने चाहिए। स्थिति में स्टार्ट/स्टॉप/रन और ट्रिप शामिल होंगे। इकाई को कनेक्शन पाइप या OEM मानक के अनुसार, क्लैंप, और ऑन/ऑफ स्थिति और ट्रिप अलार्म प्रदान करने के लिए BMS से हार्ड वायर्ड पॉइंट्स के लिए आवश्यक रिले के साथ आपूर्ति की जाएगी।

V. रेफ्रिजरेंट पाइप कार्य

रेफ्रिजरेंट पाइपिंग कार्य के दायरे में कंडेंसिंग यूनिट और इंडोर यूनिट्स के बीच सभी इंटरकनेक्टिंग पाइपों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल होगी। पाइपिंग रेफ्रिजरेंट गुणवत्ता वाली सीमलेस कॉपर ठ्यूब की होनी चाहिए, जिसमें ब्रेज़ डकनेक्शन और उपयुक्त डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंट्स और हेडर्स लगे हों। रेफ्रिजरेंट लाइन का आकार न्यूनतम प्रेशर ड्रॉप प्राप्त करने और किसी भी प्रकार की ऑयल रिटर्न समस्या को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। पाइप का आकार ऐसा होना चाहिए कि इसके बगल में स्थित इवेपोरेटर यूनिट के संचालन के कारण इवेपोरेटर यूनिट पर बैकप्रेशर न पड़े। सभी छिपे हुए/दबे हुए/पहुँच से बाहर के पाइपों के लिए निरंतर जोड़ रहित पाइपों का उपयोग किया जाना चाहिए।

साइट पर पाइपिंग को इस प्रकार से रूट किया जाना चाहिए कि रेफ्रिजरेंट पाइपिंग में ब्रेज़ड जोड़ों को न्यूनतम रखा जा सके।

पाइपों की जोड़-जोड़ विशेष फिटिंग का उपयोग करके की जाएगी। आवश्यकतानुसार VRF/VRV निर्माता द्वारा आपूर्ति किए गए रेफरेंट जोड़ लगाए जाएंगे। पाइपिंग R410a के उच्च दबाव के लिए उपयुक्त होनी चाहिए और पाइप की मोटाई तदनुसार बढ़ाई जानी चाहिए।

रेफ्रिजरेंट पाइपिंग को OEM द्वारा अनुशंसित और बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित मोटाई के नाइट्रोइल रबर इन्सुलेशन से इन्सुलेट किया जाना चाहिए। बाहरी पाइपिंग के लिए, इन्सुलेशन के बाद, पाइपों को 125 जीएसएम बुने हुए ग्लास क्लॉथ से ढका जाना चाहिए और प्रासंगिक कोड के अनुसार स्टार्ट बॉन्ड CR 30-36 थर्मल इन्सुलेशन से लेपित किया जाना चाहिए।

ब्रेजिंग प्रक्रिया संबंधित कार्य संहिता की आवश्यकताओं के अनुसार सिल्वर सोल्डर वाली ब्रेजिंग रॉड का उपयोग करके की जाएगी और निर्माता की अनुशंसाओं का अनुपालन करेगी।

रेफ्रिजरेंट पाइप वर्क पर कम्प्रेशन फिटिंग स्वीकार नहीं की जाएगी।

VI. संयुक्त अभिविन्यास

रेफ्रिजरेंट के सही वितरण को सुनिश्चित करने के लिए वितरण प्रशीतन पाइप जोड़ों और शीर्षों को उचित दिशा में लगाया जाना चाहिए। वितरण जोड़ों को कारखाने में ही EPDM/समकक्ष सामग्री के पूर्व-निर्मित खंडों से इन्सुलेट किया जाना चाहिए।

9.6 प्रेशर परीक्षण

पाइप लगाने के तुरंत बाद और इन्सुलेशन जोड़ों को सील करने और उपकरण चालू करने से पहले पाइपों को वैक्यूम द्वारा निर्जलित किया जाएगा। फिर उन्हें कार्यशील दबाव से दोगुने दबाव पर नाइट्रोजन गैस से कम से कम 24 घंटे तक दबाव परीक्षण किया जाएगा और रिसाव की जांच की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत की जाएगी। इसके बाद, पाइप की लंबाई के आधार पर, पाइपों को एक से चार घंटे तक वैक्यूम द्वारा निर्जलित किया जाएगा।

9.7 पाइप कार्यों की मरम्मत

पाइप सपोर्ट को उपयुक्त सैडलिंग व्यवस्था के साथ अधिकतम 1 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो छत पर खुले रेफ्रिजरेंट पाइपों को खुलने योग्य जीआई केबल ट्रै से ढका जाना चाहिए।

9.8 इनडोर इकाइयों के लिए विनिर्देशन

इनडोर यूनिट को फैक्ट्री में असेंबल, वायर्ड और टेस्ट किया हुआ होना चाहिए। यूनिट के अंदर सभी फैक्ट्री वायरिंग और आंतरिक पाइपिंग, कंट्रोल सर्किट बोर्ड और फैन मोटर शामिल होने चाहिए। वायरलेस रिमोट या वायर्ड वॉल माउंटेड कंट्रोलर के साथ यूनिट में सेल्फ-डायग्लोस्टिक फंक्शन, 3 मिनट का टाइम डिले मैकेनिज्म, ऑटो रीस्टार्ट फंक्शन और टेस्ट रन स्विच होना चाहिए। फैक्ट्री से शिपमेंट से पहले इनडोर यूनिट और रेफ्रिजरेंट पाइपों को ड्राई नाइट्रोजन से प्यर्ज किया जाना चाहिए।

इन इकाइयों में एल्यूमीनियम फिन्स से जुड़ी फिन्ड कॉपर ट्यूबों वाली कूलिंग कॉइल (इवैपोरेटर), मोटर और डायरेक्ट ड्राइव/बेल्ट ड्राइव पैकेज के साथ कम शोर वाला सेंट्रीफ्यूगल फैन यूनिट शामिल होगा; फैन यूनिट में उचित रूप से

इंसुलेटेड और लीक प्रूफ कंडेनसेट बेस होगा जो उपयुक्त ट्रैप के साथ ड्रेन पाइपिंग से जुड़ा होगा और शून्य रिसाव सुनिश्चित करने के लिए निकटतम ड्रेन पॉइंट तक बिछाया जाएगा; फैन असेंबली को कम कंपन और कम शोर वाले डिजाइन के लिए डायनामिकली बैलेंस्ड किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व : प्रत्येक इनडोर यूनिट में माइक्रोप्रोसेसर थर्मोस्टेट-आधारित तापमान नियंत्रण द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व होना आवश्यक है, जो कमरे के ऊष्मा भार के अनुसार शीतलन/तापन प्रदान करता है।

रिमोट कंट्रोलर द्वारा गति नियंत्रण : - इनडोर पंखे तीन (3) गतियों (कम, मध्यम और उच्च) में संचालित होने चाहिए। यूनिट BOQ में दी गई रेटिंग और मात्रा के अनुसार रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित होने चाहिए।

कंडेनसेट ड्रेन : प्रत्येक इंडोर यूनिट का ड्रेन कनेक्शन मुख्य हेडर से 25 मिमी व्यास का या OEM मानक के अनुसार होना चाहिए। हेडर पाइप कम से कम 40 मिमी व्यास का होना चाहिए। ड्रेन पाइप 6 kg/cm² कठोर PVC का या इंजीनियर-इन-चार्ज के निर्देशानुसार होना चाहिए। ड्रेन पाइपिंग को 9 मिमी मोटी ट्यूबलर नाइट्रोइट रबर इलेक्ट्रोमेट्रिक इंसुलेशन से इंसुलेटेड किया जाना चाहिए। सटीक इंस्टॉलेशन और लीकप्रूफ सीलेंट/एडहेसिव के उपयोग से संपूर्ण ड्रेन पाइपिंग को लीकप्रूफ और वाटर टाइट बनाया जाना चाहिए।

विद्युत आपूर्ति: -इनडोर यूनिटों को दी जाने वाली विद्युत शक्ति 230 वोल्ट / सिंगल फेज / 50 हर्ट्ज होनी चाहिए।

इनडोर यूनिटों के प्रकार : - प्रस्तावित इनडोर यूनिटों के प्रकार निम्नलिखित हैं:

• छत पर लगाने योग्य रेगुलर/कॉम्पैक्ट 4-वे/1-वे कैसेट टाइप

इन इकाइयों को तैयार स्लैब के निचले भाग और फॉल्स सीलिंग के ऊपरी भाग के बीच स्थापित किया जाएगा।

यूनिट में अंतर्निहित ड्रेन पंप होना चाहिए, जो 600 मिमी की ऊर्ध्वाधर लिफ्ट के लिए उपयुक्त हो या OEM मानक के अनुसार हो। यूनिट का आवरण गैल्वनाइज्ड स्टील प्लेट का होना चाहिए।

यूनिट को धनि अवशोषक तापीय इंसुलेशन सामग्री, पॉलीयूरेथेन फोम से इन्सुलेट किया जाना चाहिए।

यूनिट में बिना किसी विशेष कक्ष के और यूनिट की कुल ऊंचाई बढ़ाए बिना ताजी हवा को जोड़ने का प्रावधान होना चाहिए।

यूनिट को छत के अनुरूप उपयुक्त सजावटी पैनल के साथ आपूर्ति की जाएगी जो आंतरिक सज्जा से मेल खाएगा। यदि आवश्यक हो, तो बैंक द्वारा चयनित उपयुक्त रंग से स्प्रे पेंटिंग की जाएगी जो परिसर की आंतरिक सज्जा से मेल खाएगी। यूनिट को दीवार पर लगे वायरलेस रिमोट कंट्रोलर, डायरेक्ट ड्राइव/बेल्ट ड्राइव, रिमोट से नियंत्रित न्यूनतम 3 (तीन) गति वाले टर्बो फैन और स्वतः बंद होने वाले 4 मोटर चालित वैन के साथ आपूर्ति की जाएगी। इसमें ऑन/ऑफ इंडिकेटर होगा, रिमोट पर स्टेट्स और तापमान डिस्प्ले उपलब्ध होगा और आईडीयू को रिमोट से संचालित किया जा सकेगा।

इस यूनिट के साथ रेजिन नेट फिल्टर दिया जाएगा। फिल्टर को निकालना, साफ करना और दोबारा लगाना आसान होगा।

यह यूनिट उपयुक्त आउटडोर यूनिट के साथ सीरीज में कनेक्ट की जाएगी और इसे बिल ऑफ कांटीटीज में निर्दिष्ट कॉर्डेड/कॉर्डलेस रिमोट के माध्यम से स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा सकेगा। यूनिट को थर्ड पार्टी इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) से भी कनेक्ट किया जा सकेगा और इसे बीएमएस सिस्टम के

माध्यम से संचालित किया जा सकेगा।

कारखाने से यूनिट के साथ निम्नलिखित चीजें आपूर्ति की जाएंगी:- स्थापना के लिए पेपर पैटर्न, ड्रेन होज़/ क्लैंप मेटल/ वॉशर फिक्सिंग प्लेट/ सीलिंग पैड/ क्लैंप/ स्क्रू/ हैंगिंग ब्रैकेट के लिए वॉशर/ फिटिंग के लिए इंसुलेशन।

9.9 वीआरएफ/वीआरवी प्रणाली के लिए नियंत्रण प्रणाली की विशिष्टताएँ

ए. इनडोर यूनिट के लिए वायरलेस रिमोट कंट्रोलर

वायरलेस रिमोट कंट्रोलर की आपूर्ति "मात्रा बिल" में निर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।

कंट्रोलर में OEM मानक के अनुसार एक बड़ी क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन होनी चाहिए, जो संपूर्ण परिचालन स्थिति प्रदर्शित करें। डिजिटल डिस्प्ले में तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर सेट करने की सुविधा होनी चाहिए।

रिमोट कंट्रोल टाइमर द्वारा 1 सप्ताह की अवधि के लिए या OEM मानक के अनुसार संचालन शुरू और बंद करने के समय को व्यक्तिगत रूप से प्रोग्राम करने में सक्षम होगा।

रिमोट में 24 घंटे की घड़ी का फंक्शन होना चाहिए या OEM मानक के अनुसार होना चाहिए।

प्रोग्रामिंग को चालू या बंद किया जा सकता है। स्टार्ट/स्टॉप और तापमान सीमा का शेड्यूल तय करें या OEM मानक के अनुसार सेट करें।

रिमोट कंट्रोलर में थर्मोस्टेट सेंसर लगा होना आवश्यक है, जिससे कमरे के तापमान को अधिक आराम से नियंत्रित किया जा सकेगा।

यह रिमोट माइक्रो कंप्यूटर के माध्यम से कमरे के तापमान और पूर्व निर्धारित तापमान की निगरानी करने में सक्षम होगा और स्वचालित रूप से कूलिंग/हीटिंग ऑपरेशन मोड का चयन कर सकता है।

रिमोट को सिस्टम में होने वाली खराबी की लगातार निगरानी करनी चाहिए और इसमें एक स्व-निदान फ़ंक्शन होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर वार्ड रिमोट के लिए खराबी होने पर तुरंत एक संदेश के माध्यम से सूचित करे।

9.10 अनुमोदित ब्रांडों या समकक्षों की सूची

क्र.सं	अवयव	अनुमोदित ब्रांड या समकक्ष
1	वीआरएफ/वीआरवी प्रणाली	डाइकिन/ मित्युबिशी इलेक्ट्रिक/ मित्युबिशी हेवी ड्यूटी / ओ जेनरल / कैरियर, हिताची या इनके समकक्ष कंपनियों के विनिर्देश और कीमत समान हों।
2	बिजली केबल	पॉलीकैब, फिनोलेक्स, आरआर केबल
3	थर्मल संलग्नक	आर्मफिलेक्स/ एयरोफोम/ के-फ्लेक्स या समकक्ष
4	पीवीसी ड्रेनपाइप	आईएसआई चिह्न और एस्ट्रल/सुप्रीम/प्रिंस/आशीर्वाद/एकेजी या समकक्ष
6	पूर्व फिल्टर	ओईएम के अनुसार

7	ग्रिल्स/ डिफ्यूजर/ डिस्क वाल्व	ओईएम के अनुसार
8	रेफ्रिजरेंट कॉपर पाइपिंग	राजको / मंडेव / मैक्सफ्लो / जोबू / या ओईएम द्वारा अनुमोदित
9	एफआरएलएस पीवीसी पाइप	प्रिसिजन/पॉलीकैब/एकेजी/कलिंगा या समकक्ष
10	जीआई शीट स्टील (120 जीएसएम)	टाटा/ जिंदल/ एसएआईएल/ एस्सार या समकक्ष

अगले पृष्ठ पर संभावित बोलीदाताओं के संदर्भ के लिए इनडोर यूनिटों की स्थिति और रेफ्रिजरेंट सर्किट के मार्गों का साकेतिक लेआउट संलग्न किया गया है। हालांकि, यह अंतिम लेआउट नहीं है और इसमें बदलाव हो सकते हैं। अंतिम लेआउट OEM द्वारा डिजाइन किया जाएगा और कार्य प्रारंभ होने से पहले बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसके अलावा, संभावित बोलीदाताओं को कार्य के लिए अपनी दरें उद्धृत करने से पहले साइट का दौरा करने की सलाह दी जाती है।

निविदाकार की मुहर एवं हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

खंड X: तकनीकी जानकारी की अनुसूची
 (बोलीदाता द्वारा निविदा के साथ अपलोड किया जाए)

प्रस्तावित वीआरएफ/वीआरवी सिस्टम का ब्रांड:

आउटडोर इकाइयाँ

	40 एचपी (2x20 एचपी)
मॉडल	
रेटेड क्षमता	
मॉड्यूल की संख्या	
प्रत्येक मॉड्यूल की रेटेड क्षमता	
कंप्रेसर का प्रकार	
कंप्रेसर/मॉड्यूल की संख्या	
कंप्रेसर की रेटिंग	
ओडीयू की रेटेड धारा	
प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट	
समर्थित पाइपिंग की अधिकतम लंबाई	
क्षमता में कमी (प्रतिशत में)	
A. ए. स्थल पर परिवेशीय परिस्थितियों के कारण (छत का तल)	
B. बी. रेफ्रिजरेंट सर्किट की अत्यधिक लंबाई के कारण	
मानक परिस्थितियों में रेटेड CoP	
परिवेशीय परिस्थितियों में और मौजूदा पाइप की लंबाई के साथ CoP	
a. ए. 100% लोड पर	
b. बी. 75% भार पर	
c. सी. 50% भार पर	
d. डी. 25% भार पर	

इनडोर इकाइयाँ

	रेगुलर 4-वे कैसेट
3.2 या 3.3 टीआर	
मॉडल	
प्रस्तावित वास्तविक टन भार	
वायु प्रवाह (सीएफएम)	
गहराई (एसी कैसेट के लिए)	
ड्रेन पंप की अधिकतम उठाने की क्षमता (मिमी)	
सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए	
क्या ताजी हवा की व्यवस्था की गई है?	

दिनांक:

स्थान:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

खंड XI: तकनीकी विचलनों की अनुसूची

इस निविदा में किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं है। बोलीदाताओं को निर्धारित पूर्व-बोली बैठक में भाग लेने और कार्यक्षेत्र को समझने के लिए स्थल का दौरा करने की सलाह दी जाती है।

मात्रा का मूल्यरहित बिल
(कोट नहीं किया जाना चाहिए, केवल मूल्य
बोली प्रारूप के बारे में संदर्भ के लिए)

कार्य का नाम: - भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ/वीआरवी) तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)

Sr. No.	विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	<p>निविदा के "खंड IX: तकनीकी विनिर्देश" के अनुसार बाहरी इकाइयाँ (ओडीयू) (आपूर्ति):</p> <p>इस निविदा के "खंड IX: तकनीकी विनिर्देश" में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, केवल शीतलन के लिए परिवर्तनीय रेफ्रिजरेंट प्रवाह/परिवर्तनीय रेफ्रिजरेंट आयतन (VRF/VRV) प्रकार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम की अनुमोदित निर्माता मॉड्यूलर प्रकार की एयर कूल्ड आउटडोर यूनिट (ODU) की आपूर्ति की जानी है। इसमें निम्नलिखित क्षमताएं, माइक्रोप्रोसेसर आधारित नियंत्रक, टॉप डिस्चार्ज प्रकार की कंडेंसिंग यूनिट, इन्वर्टर आधारित वेरिएबल फ्रीकेंसी ड्राइव और हर्मेटिकली सील्ड स्कॉल कंप्रेसर, 410A या बेहतर रेफ्रिजरेंट के साथ काम करने वाले वाइब्रेशन आइसोलेटर, उपयुक्त नींव (बैंक द्वारा OEM द्वारा दिए गए विवरण और आयामों के अनुसार सिविल नींव का निर्माण किया जाएगा) आदि शामिल हैं। बेहतर प्रदर्शन के लिए रेफ्रिजरेंट-कूल्ड यूनिट की आपूर्ति की जानी है। यूनिट को AHRI स्थितियों में निर्धारित क्षमता प्रदान करनी चाहिए और 49°C परिवेश तापमान पर भी बिना ट्रिप किए काम करना चाहिए। यूनिट में रेफ्रिजरेंट का पहला चार्ज भरा होना चाहिए और आवश्यकतानुसार उपयोग के लिए तैयार होना चाहिए। ODU में कम शोर वाले कंडेंसर पंखे होने चाहिए और गर्म हवा के पुनर्संचरण से बचने के लिए आउटडोर यूनिट का पर्याप्त बाहरी स्थैतिक दबाव होना चाहिए। कंप्रेसर और VRV/VRF आउटडोर यूनिट एक ही कंपनी के होने चाहिए और कंप्रेसर मोटर OEM के अनुरूप होनी चाहिए। बेहतर आराम और ऊर्जा दक्षता के लिए यूनिट में लोड के अनुसार वाष्पीकरण तापमान को स्वचालित रूप से समायोजित करने की सुविधा भी होनी चाहिए। यूनिट में फ्री फेज तकनीक होनी चाहिए ताकि फेज रिवर्सल होने पर भी यूनिट बंद हुए बिना काम कर सके।</p> <p>यह सिस्टम 3 फेज, 400 वोल्ट ($\pm 10\%$ भिन्नता के साथ), 50 हर्ट्ज ($\pm 3\%$ भिन्नता के साथ) एसी पावर सप्लाई पर चलने के लिए उपयुक्त होना चाहिए और इसमें मोटर के साथ एयर कूल्ड एक्सियल फ्लो कंडेंसर फैन (ऊपर की ओर थ्रो वाला), एल्युमिनियम फिन्स वाली कंडेंसर कॉइल, माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल पैनल, सभी स्कॉल कंप्रेसर और कंडेंसर फैन मोटर्स के लिए स्टार्टर/ड्राइव कंट्रोल, आंतरिक कंट्रोल और पावर वायरिंग, कूलिंग कॉइल जिसमें विभिन्न क्षमता वाले मॉड्यूल को वांछित एचपी रेटिंग (यदि आवश्यक हो) तक जोड़ने के लिए आंतरिक रूप से जुड़े रेफ्रिजरेंट पाइप हों, चार्जिंग पोर्ट और अन्य सभी आवश्यक एक्सेसरीज़ और हार्डवेयर शामिल होने चाहिए। यूनिट में कंप्रेसर सुरक्षा के लिए इन-बिल्ट इंटरनल थर्मल प्रोटेक्टर, इंटरनल प्रेशर रिलीफ वाल्व, हाई प्रेशर कट-आउट, लो प्रेशर कट-आउट आदि भी होने चाहिए। यूनिट को स्वीकार्य स्तर (400 वोल्ट $\pm 10\%$) से अधिक पावर सप्लाई में किसी भी प्रकार की भिन्नता (ओवर/अंडर वोल्टेज, फेज रिवर्सल, सिंगल फेजिंग आदि) से भी सुरक्षित किया जाना चाहिए। पूरी यूनिट पर मौसम प्रतिरोधी पाउडर कोटिंग पेंट किया जाएगा ताकि यह निरंतर बाहरी संचालन के दौरान सभी प्रकार की</p>				

परिस्थितियों का सामना कर सके। यह यूनिट हैदराबाद की परिवेशीय परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम होनी चाहिए।

1A	20 एचपी आउटडोर यूनिट (जीएसटी सहित)	2	Nos.		
----	------------------------------------	---	------	--	--

Indoor units (IDUs) (as per "Section IX: Technical Specifications" of the tender, supply:

2	कैसेट प्रकार की इनडोर इकाइयाँ				
	निम्नलिखित न्यूनतम क्षमता वाले एयर कूल्ड प्रकार के चार दिशाओं वाले (4-वे/राउंड फ्लो) वीआरवी/वीआरएफ कैसेट प्रकार के इनडोर एयर कंडीशनिंग यूनिट (अनुभाग IX: तकनीकी विनिर्देश) की आपूर्ति की जानी चाहिए, जो कॉर्डलेस रिमोट, सिंथेटिक वॉशेबल मीडिया प्री-फिल्टर, कम शोर वाले पंखे/डायनेमिकली बैलेंस्ड ब्लोअर वाला फैन सेक्षन, मल्टीस्पीड मोटर, डीएक्स कॉपर कॉइल वाला कॉइल सेक्षन, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, बाहरी कैबिनेट, ड्रेन पैन, बिल्ट-इन ड्रेन पंप, कैसेट ग्रिल, इंसुलेशन, आवश्यक सपोर्ट, वाइब्रेशन आइसोलेशन आदि से सुसज्जित हों और $230 \text{ वोल्ट } \pm 10\%$, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सप्लाई पर चलने के लिए उपयुक्त हों। यूनिट में आग लगने की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद होने का प्रावधान होना चाहिए। सभी इनडोर यूनिट में फायर अलार्म एडाएर से कनेक्ट करने के लिए फोर्स शट का विकल्प होना चाहिए, ताकि आग लगने की स्थिति में यूनिट स्वचालित रूप से बंद हो जाए। यह यूनिट फॉल्स सीलिंग के अंदर लगाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए, जिसमें कूलिंग कॉइल, मल्टी-स्पीड मोटर वाला ब्लोअर, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, सप्लाई और रिटर्न एयर ग्रिल्स, फिल्टर, रेफ्रिजरेंट सर्किट का इंसुलेटेड कनेक्षन, इलेक्ट्रॉनिक लेवल सेंसर वाला कंडेनसेट वॉटर ड्रेन पंप, वायरलेस रिमोट कंट्रोलर आदि शामिल हों। सभी इनडोर यूनिट एक ही कंपनी की होनी चाहिए और VRV/VRF प्रकार की कंडेनसिंग यूनिट के साथ काम करने के लिए संगत होनी चाहिए। इनमें माउंटिंग ब्रैकेट, सपोर्ट और कॉर्डलेस रिमोट शामिल होने चाहिए। यूनिट को स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी हार्डवेयर, जिनमें एंकर फास्टनर और थ्रेडेड बोल्ट, इनडोर और आउटडोर सभी प्रकार के इंसुलेटेड जॉइंट आदि शामिल हैं, ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए जाएंगे, जिसमें स्थापना के लिए आवश्यक छोटे-मोटे सिविल कार्य भी शामिल हैं।				
2A	3.2 ट्रिलियन लीटर क्षमता वाले 4-वे रेगुलर कैसेट एसी इंडोर यूनिट, फिल्टर सहित, जीएसटी सहित।	09	Nos.		
2B	1-वे रेगुलर कैसेट एसी इंडोर यूनिट 2 टीआर, जीएसटी सहित, जैसा कि ऊपर आइटम नंबर 2ए में आपूर्ति की गई है।	03	Nos		
3	आईडीयू और ओडीयू के साथ तांबे की पाइपिंग को आपस में जोड़ना निविदा के खंड IX: तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार) वीआरएफ/वीआरवी प्रणाली के सभी ओडीयू को संबंधित आईडीयू (ऊपर मद संख्या 1, 2 में उल्लिखित) से जोड़ने के लिए भारी गेज इन्सुलेटेड रेफ्रिजरेंट पाइपिंग की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, ओईएम द्वारा प्रस्तुत और बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों और लेआउट के अनुसार की जाएगी। इन्सुलेशन उचित मोटाई का होगा (जैसा कि ओईएम द्वारा अनुशंसित और बैंक द्वारा अनुमोदित है)। रेफ्रिजरेंट पाइपिंग की पूरी लंबाई में गैस और तरल दोनों तरफ नाइट्रोइल रबर फोम स्लीव के रूप में लगाया जाएगा। छत पर चलने वाली पाइपिंग (और केबल) को हॉट डिप गैल्वनाइज्ड छिद्रित केबल ट्रे (न्यूनतम 1.6 मिमी मोटी) पर एक पंक्ति में लगाया जाएगा, जो जीआई शीट (न्यूनतम 1 मिमी मोटी) से ढकी होगी,	90	Rmt		

	जबकि छत और दीवारों पर चलने वाली पाइपिंग को एंकर फास्टनर और जीआईथ्रेड रॉड के माध्यम से दीवार/छत पर लगे स्लॉटेड जीआईचैनलों पर बोल्टेड क्लैप द्वारा सहारा दिया जाएगा। मापन केवल तांबे के पाइपों की लंबाई तक ही सीमित है; केबल ट्रै, सपोर्ट, रेफ्रिजरेंट, ब्रेजिंग, इंसुलेशन या किसी अन्य रेफ्रिजरेंट लाइन एक्सेसरी आदि जैसे अन्य सहायक उपकरण कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। एडी करंट मुक्त तांबे के पाइपों और एल्बो, कपलर, टी-जॉइंट, पीतल फिटिंग, "यू" लूप, एक्सपेंशन लूप सेट जैसे फिटिंग का उपयोग करके रेफ्रिजरेंट गैस पाइपिंग की जाएगी। सपोर्ट में जीआईबॉक्स/''सी'' सेक्शन और पूरी तरह से थ्रेडेड जीआईरॉड के साथ फीमेल एंकर फास्टनर शामिल होंगे। सक्षण/लिकिड पाइपों का इंसुलेशन विनिर्देशों के अनुसार अग्निरोधी गुणों वाले क्लोज्ड सेल नाइट्राइल रबर इंसुलेशन सामग्री से किया जाएगा। सपोर्ट पर इंसुलेशन की सुरक्षा के लिए क्लैप के नीचे हार्ड पीवीसी पाइप स्लीव के साथ स्ट्रक्चरल क्लैप का उपयोग किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा तैयार और बैंक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित शॉप ड्राइंग के अनुसार संबंधित इकाइयों से कनेक्टिविटी का पता लगाने के लिए टैगिंग की जाएगी। अनुमोदित प्रारूप में परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना इस मद के कार्यक्षेत्र का एक भाग है। इसमें जीएसटी शामिल है।			
4	रेफ्रिजरेंट गैस चार्जिंग निविदा के "खंड IX: तकनीकी विनिर्देश" के अनुसार रिसाव रोधक पाइपिंग सुनिश्चित करने के लिए, संपूर्ण रेफ्रिजरेंट सर्किट का कार्यकारी दबाव से दोगुने दबाव पर कम से कम 24 घंटे तक दबाव परीक्षण करने के बाद, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त रेफ्रिजरेंट गैस से भरना। रेफ्रिजरेंट भरने और चालू करने के कार्य के बाद रेफ्रिजरेंट लाइन में दबाव की निगरानी की जाएगी। (जीएसटी सहित)	1	Job	
5	IDU और ODU के बीच कंट्रोल केबलिंग निविदा के "खंड IX: तकनीकी विनिर्देश" के अनुसार ओडीयू और संबंधित आईडीयू इकाइयों तथा रिमोट कंट्रोल इकाइयों (यदि आवश्यक हो) के बीच चलने वाले शील्डेड कंट्रोल केबल (ओईएम द्वारा अनुशंसित और बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित) की आपूर्ति और बिछाना (सभी टर्मिनेशन शुल्क सहित)। यह केबल अनुमोदित ब्रांड के रिजिड एमएमएस एफआरएलएस आईएसआई पीवीसी कंड्यूट (सभी सहायक उपकरण जैसे बेंड/कपलर/टी आदि सहित) में, मौजूदा केबल ट्रै/स्लॉटेड चैनल या दीवारों/छत पर उपयुक्त आकार के सैडल और बेस का उपयोग करके बिछाया जाएगा। प्रत्येक सर्किट के दोनों सिरों पर शील्ड को ग्राउंड किया जाएगा। (जीएसटी सहित)	120	Rmt	
6	ड्रेन पाइपिंग	70	RM	

	निविदा के खंड IX: तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार) सभी इनडोर इकाइयों के ड्रेन आउटलेट्स को पास के ड्रेन पॉइंट्स से जोड़ने के लिए 9 मिमी मोटी काली नाइट्राइल इंसुलेशन स्लीव और नाइट्राइल रबर टेप से युक्त रिजिड पीवीसी ड्रेन पाइपिंग (टी, बेंड, कपलर आदि जैसे सभी सहायक उपकरणों सहित) की आपूर्ति और बिछाना (25 मिमी/32 मिमी ब्रांच लाइन का उपयोग करके) जो 40 मिमी/50 मिमी हेडर लाइन के माध्यम से हो। इसे उचित सपोर्ट का उपयोग करके छत से लटकाया जाएगा और फॉल्स सीलिंग के ऊपर से गुजरेगा। (आवश्यक एंड कैप आदि लगाकर ड्रेन लाइन का कम से कम 6 घंटे तक पानी से परीक्षण किया जाएगा)। 25/32/40/50 मिमी रिजिड पीवीसी ब्रांच लाइन में जीएसटी शामिल है।			
7	निम्नलिखित प्रकार और क्षमता के वीआरवी/वीआरएफ इंडोर यूनिटों की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, जिसमें एंकर फास्टनर, थ्रेडेड रॉड, जीआई नट और बोल्ट आदि शामिल हैं, साथ ही सिविल संरचना में संशोधन करने के शुल्क भी शामिल हैं, जिनमें छेद ड्रिलिंग/कटिंग, कोर कटिंग, चेज़ कटिंग और बैकफिलिंग आदि शामिल हैं, और वीआरएफ/वीआरवी सिस्टम की स्थापना में हुई सभी क्षतियों की मरम्मत भी शामिल है।			
7A	ऊपर आइटम नंबर 2ए में आपूर्ति की गई 4-वे रेगुलर कैसेट एसी इंडोर यूनिट 3.2 टीआर, जीएसटी सहित।	09	Nos.	
7B	1-वे रेगुलर कैसेट एसी इंडोर यूनिट 2 टीआर, जीएसटी सहित, जैसा कि ऊपर आइटम नंबर 2बी में आपूर्ति की गई है।	03	Nos.	
8	निम्नलिखित प्रकार और क्षमता की 20 एचपी वीआरवी/वीआरएफ आउटडोर इकाइयों की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, जिसमें एंकर फास्टनर, थ्रेडेड रॉड, रबर पैड, जीआई नट और बोल्ट आदि शामिल हैं, साथ ही सिविल संरचना में संशोधन करने का शुल्क भी शामिल है, जिसमें छेद ड्रिलिंग/कटिंग, कोर कटिंग, चेज़ कटिंग और बैकफिलिंग आदि शामिल हैं (ओडीयू और जीआई ट्रे के लिए सिविल फाउंडेशन बैंक द्वारा निर्मित किया जाएगा), और वीआरएफ/वीआरवी सिस्टम की स्थापना में हुई सभी क्षतियों की भरपाई, जिसमें उपरोक्त मद संख्या 1 में उल्लिखित जीएसटी भी शामिल है।	02	Nos	
A	कुल पूँजी लागत (1 से 8 तक)			
B	नए सिस्टम के चालू होने के बाद और बैंक के इंजीनियरों के निर्देशानुसार, पुराने 8.5TR पैकेज एसी यूनिटों में से 2 को यथास्थिति के आधार पर वापस लेने के लिए बायबैक (जीएसटी सहित और टीसीएस को छोड़कर): नोट: कार्य पूर्ण होने और उपकरण सौंपे जाने पर, फर्म को बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले चालान के माध्यम से अंतिम बिल जारी करने से पहले उद्धृत बायबैक मूल्य (जीएसटी सहित, टीसीएस को छोड़कर)	1	Job	

	जमा करना होगा।			
C	पहले वर्ष के व्यापक वार्षिक रखरखाव शुल्क (1 वर्ष की दोष दायित्व अवधि के बाद) के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क, "धारा III: निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें" के खंड 3.18 के अंतर्गत दिए गए दायरे के अनुसार होगा। यह शुल्क पूरे सिस्टम के लिए प्रति वर्ष की दर है, जिसमें जीएसटी शामिल है।	1	year	
D	स्वामित्व की कुल लागत = (A - B) + (7.03 x C)			

अनुलग्नक-“ए”

उत्पाद एवं रखरखाव सहायता के लिए कार्य करने का प्रारूप

(निविदाकार द्वारा अपलोड किया जाना है)

कार्य का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (VRF/VRV) तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (DSITC)। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपरोक्त कार्य या उसके भाग के लिए निविदा दस्तावेज में निहित संपूर्ण कार्यक्षेत्र के लिए दिए गए अनुबंध के अनुसार , हम..... (कंपनी का पूरा नाम) पता (Firm) एतद्वारा हमारे द्वारा आपूर्ति और स्थापित किए गए उपकरण के संपूर्ण डिज़ाइन किए गए जीवनकाल के लिए पूर्ण उत्पाद समर्थन और रखरखाव समर्थन प्रदान करने की पूर्ण जिम्मेदारी लेता है, वह भी शीघ्रता और तेजी से।

इसके अलावा, यदि इस प्रणाली में उपयोग किए गए किसी भी घटक, सामग्री या पुर्जे का उत्पादन बंद हो जाता है, तो हम आरबीआई को आवश्यकतानुसार, उपकरण के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक होने पर, स्पेयर पार्ट्स के ब्लूप्रिंट, ड्राइंग और सामग्री के विनिर्देश निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे।

धन्यवाद

भवदीय,

(ठेकेदार/फर्म के हस्ताक्षर और कंपनी की मुहर)

अनुलग्नक-“बी”

ग्राहक का प्रमाण पत्र और ठेकेदार का प्रदर्शन (निविदाकार द्वारा अपलोड किया जाना है)

ग्राहक का नाम और पता

श्री/मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

- 1 कार्य का नाम और सांकेतिक विवरण
- 2 अनुबंध संख्या और तिथि
- 3 समझौते की राशि
- 4 कार्य शुरू करने की तारीख
- 5 निर्धारित पूर्णता तिथि
- 6 कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि
- 7 विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (संकेतित करें)
राशि) यदि कोई हो
- 8 पूर्ण किए गए कार्य की कुल राशि और भुगतान की गई राशि
- 9 उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसके अधीन
निष्पादित कार्य
- 10 क्या ठेकेदार ने योग्य कर्मचारियों को नियुक्त किया था?
कार्य निष्पादन के दौरान इंजीनियर/पर्यवेक्षक?
- 11 i) कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग दर्शाएँ) उल्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब
- ii) यदि कोई कार्य कम दरों पर किया गया हो, तो उसकी राशि
- 12 i) क्या ठेकेदार ने मध्यस्थता का सहारा लिया?
- ii) यदि हाँ, तो दावे की कुल राशि
- iii) कुल प्रदान की गई राशि
- 13 ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ
 - a) तकनीकी दक्षता उल्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब
 - b) वित्तीय सुदृढ़ता उल्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब

c) पर्याप्त मात्रा में T&P जुटाना	उल्काएँ/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
d) मानव संसाधन जुटाना	उल्काएँ/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
e) सामान्य व्यवहार	उल्काएँ/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब

नोट: सभी कॉलम सही ढंग से भरे जाने चाहिए।

* प्रतिहस्ताक्षरित

अनुलग्नक-“सी”

बैंकर प्रमाणपत्र का प्रारूप

(निविदा के साथ अपलोड किया जाएगा)

1. फर्म की संरचना (चाहे वह साझेदारी फर्म हो / प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो / प्रोप्राइटरशिप फर्म हो / पब्लिक लिमिटेड फर्म हो)।

2. फर्म के स्वामी/साझेदार/निदेशक का नाम ।

3. पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए फर्म का टर्नओवर (वर्षवार)।

2022-2023

2023-24

2024-2025

4. फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा ।

5. लेन-देन

6. वह अवधि जिसके दौरान फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है।

7. कोई अन्य टिप्पणी।

कृपया यह भी बताएं कि क्या उपर्युक्त फर्म आर्थिक रूप से इतनी सक्षम है कि उसे 22 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाले कार्यों का ठेका सौंपा जा सके।

(हस्ताक्षर)

बैंक के लिए

नोट:

बैंकसे प्रमाणपत्र बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए और आरबीआई को संबोधित एक सीलबंद लिफाफे में होना चाहिए।

साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक में दर्ज सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

अनुलग्नक - "डी"

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पत्र पर)

(निविदा के साथ अपलोड किया जाएगा)

इन दस्तावेजों के माध्यम से सभी को सूचित किया जाता है कि हम (बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) श्री / सुश्री को नियुक्त, अधिकृत और अधिकृत करते हैं।

.....(पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत है और निम्नलिखित पद पर हैं

..... हमारे अटॉर्नी के रूप में, हमारे नाम और हमारी ओर से, भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (VRF/VRV) तकनीक आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम के डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (DSITC) हेतु हमारी बोली से संबंधित या उससे जुड़े सभी कार्य, कृत्य और चीज़ें करने के लिए, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रस्तुत करना, आरबीआई को सूचना/जवाब देना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना और सामान्यतः आरबीआई के साथ सभी मामलों में व्यवहार करना शामिल है।
उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के साथ।

हम एतद्वारा इस पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा विधिवत रूप से किए गए सभी कार्यों, कृत्यों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपरोक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य, कृत्य और चीजें विधिवत रूप से किए गए माने जाएंगे और हमेशा के लिए मान्य माने जाएंगे।

यह हमारे द्वारा किया गया है।

टिप्पणी:

पावर ऑफ अटॉर्नी पर विधिवत स्टाम्प लगा होना चाहिए और उसे नोटरीकृत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई पावर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम

बोलीदाता की मुहर/सील

(नोट: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टांप शुल्क लगेगा, जहां इसे निष्पादित किया गया है, और इस पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके हस्ताक्षर और अधिकार का सत्यापन किया जाएगा।

अनुलग्नक-“ई”

बयाना जमा राशि के बदले बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा

(ईएमडी जमा करने की नियत तारीख से पहले बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है)
(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पत्र पर प्रस्तुत किया जाना है)

यह गारंटी विलेख आज दिनांक _____ दो हजार _____ के दिन

----- (बैंकर का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय ----- (स्थान) में है और जिसका स्थानीय कार्यालय ----- (इसके बाद जमानतदार के रूप में संदर्भित) में है, और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा गठित एक इकाई, जिसका केंद्रीय कार्यालय केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400 001 भारत में है (इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित) के बीच निष्पादित किया गया।

जबकि (निविदाकार का नाम इसके बाद 'निविदाकार' के रूप में संदर्भित) एक कंपनी जो पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय है, भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन में सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ / वीआरवी) प्रौद्योगिकी आधारित एयर कंडीशनिंग प्रणाली के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी) के संबंध में बयाना राशि के रूप में बैंक के पास 44,000/- रुपये (चौवालीस हजार केवल) जमा करने के लिए बाध्य है। और उसमें दिए गए स्पेसिफिकेशन्स और नियम और शर्तें।

जबकि टेंडर देने वाले ने ई-टेंडर के लिए इंस्ट्रक्शन्स के सेक्षण III के क्लॉज़ नंबर 3.12 और खास शर्तों के मुताबिक, कैश में बयाना जमा करने के बजाय, 10 दिन तक की वैलिड बैंक गारंटी देने पर सहमति जताई है।

अब यह गवाह है:

1. निविदाकार द्वारा बैंक को किए गए उपरोक्त निविदा के प्रतिफल में, ज़मानतदार एतद्वारा यह वचन देता है कि वह बैंक द्वारा मांग किए जाने पर बिना किसी आपत्ति के उक्त राशि रु 44,000/- (केवल चौवालीस हजार रुपये) का भुगतान बैंक को इस गारंटी विलेख को प्रस्तुत करने पर मांग प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर कर देगा, जिसे निविदाकार अपनी निविदा के संबंध में बयाना राशि के रूप में बैंक में जमा करने के लिए बाध्य है।
2. निविदाकार की ओर से किसी भी प्रकार की खामी या अनियमितता, या बैंक, निविदाकार या ज़मानतदार के विघटन या संरचना में किसी भी परिवर्तन से यह गारंटी प्रभावित नहीं होगी।
3. यदि ई-निविदाकार अपनी निविदा जमा करने के बाद अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता है या उसकी शर्तों और नियमों में इस प्रकार संशोधन करता है जो बैंक को स्वीकार्य नहीं है, या बैंक द्वारा हैदराबाद स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ/वीआरवी) प्रौद्योगिकी आधारित एयर कनडिंशनिंग प्रणाली के डिजाइन, आपूर्ति,

स्थापना, परीक्षण और चालू करने (डीएसआईटीसी) का आदेश देने का निर्णय लेने के बाद आदेश स्वीकार करने से इनकार करता है, तो बैंक इस गारंटी के तहत कोई भी दावा करने का पात्र होगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4. ज़मानतदार लिखित रूप में बैंक की पूर्व सहमति के बिना अपनी मुद्रा के दौरान इस गारंटी को रद्द नहीं करेगा और न ही कर सकता है।
5. उपरोक्त में निहित किसी भी बात के बावजूद, गारंटी के तहत ज़मानतदार की देयता रु 44,000 (केवल चौवालीस हजार रुपये) तक सीमित है।
6. यह गारंटी _____ अवधि तक लागू और प्रभावी रहेगी। बैंक द्वारा गारंटर को इसकी सूचना दिए जाने पर यह गारंटी समाप्त हो जाएगी और अप्रभावी हो जाएगी, ऐसी स्थिति में यह गारंटी निरस्त हो जाएगी।
7. ई-निविदाकार और बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी भी विवाद के बावजूद, ज़मानतदार बैंक द्वारा जारी मांग नोटिस के अनुसार भुगतान करेगा।
8. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की छिलाई, कार्य या चूक, या निविदाकार के प्रति बैंक द्वारा दिखाई गई किसी भी प्रकार की उदारता, ज़मानतदार को किसी भी तरह से दायित्व से मुक्त नहीं करेगी और इस गारंटी के तहत ज़मानतदार के दायित्व तभी समाप्त होंगे जब बैंक द्वारा इसकी सूचना ज़मानतदार को दी जाएगी।
9. यहां ऊपर निहित किसी भी बात के बावजूद, जब तक कि इस गारंटी के तहत कोई मांग या दावा लिखित रूप में या _____, से पहले ज़मानतदार पर नहीं किया जाता है, ज़मानतदार को उसके बाद गारंटी के तहत सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।
10. ज़मानतदार को अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत यह गारंटी जारी करने का अधिकार है और जो व्यक्ति इस विलेख पर हस्ताक्षर कर रहा है, उसे ज़मानतदार द्वारा प्रदत्त पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत ऐसा करने के लिए आवश्यक शक्तियां प्राप्त हैं।

हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

कृते और इनकी ओर से

उपर्युक्त बैंक की ओर से और उनके लिए

(बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

अनुलग्नक - "एफ"

सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र

(केवल सफल बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराया जाना है)

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पत्र पर प्रस्तुत किया जाए)

सं. _____

दिनांक:

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग, हैदराबाद

प्रिय महोदय,

आपके द्वारा INR (INR) की सुरक्षा जमा राशि स्वीकार करने की सहमति के बदले में _____
केवल) जो आपको मेसर्स (इसके बाद "द" के रूप में संदर्भित) द्वारा उपलब्ध कराए जा सकते हैं _____

ठेकेदार को आपके साथ हुए अनुबंध के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफिजरेंट फ्लो (वीआरएफ/वीआरवी) प्रौद्योगिकी आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)

उनकी निविदा तिथि और आपकी अनुबंध की विशेष शर्तों और उससे संबंधित अन्य ई-निविदा दस्तावेजों के अनुसार, आपसी सहमति से तय की गई शर्तों और परिवर्तनों के अधीन।
दिनांकित आपके अनुबंध में उल्लिखित या संदर्भित शर्तों पर सहमति व्यक्त की गई है, जो इस प्रकार है : _____

इसके बाद उल्लिखित तरीके से हमारी ओर से गारंटी प्रदान करने के संबंध में,

हम _____ (बैंक का नाम) आपसे निम्नलिखित रूप से वचनबद्ध और सहमत होते हैं:

1. हम आपको समय-समय पर INR (केवल INR) तक की क्षतिपूर्ति देने और क्षतिपूर्ति करते रहने का वचन देते हैं, यदि ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध में निहित किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के कारण आपको कोई हानि या क्षति होती है या हो सकती है, और यदि ठेकेदार उक्त अनुबंध के अंतर्गत किसी भी कार्य को निष्पादित करने में या उससे संबंधित किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में चूक करता है, तो हम मांग पर तुरंत आपको उक्त INR (केवल INR) से अधिक की राशि का भुगतान करेंगे, जो ठेकेदार की चूक के कारण आपके द्वारा दावा की गई हानि और/या क्षति, लागत, शुल्क या व्यय के रूप में हो।
2. इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, ठेकेदार द्वारा ऐसी कोई चूक की गई है या नहीं और इसके कारण आप जिस राशि या राशियों के हकदार हैं, इस संबंध में आपका निर्णय हम पर बाध्यकारी होगा और हमें इस गारंटी के तहत आपके दावे या दावों को साबित करने के लिए कहने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि हम बिना किसी विरोध या आपत्ति के आपकी मांग

पर तुरंत उसका भुगतान कर देंगे।

3. यह गारंटी उक्त अनुबंध की संबंधित गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद और ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध के तहत अपने सभी दायित्वों को पूरा करने और उक्त अनुबंध के तहत कार्य के विधिवत पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा "कोई मांग नहीं प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के बाद, ठेकेदार के आवेदन पर आपके द्वारा इसे रद्द किए जाने तक जारी रहेगी और मान्य रहेगी, बशर्ते
यह गारंटी किसी भी स्थिति में उक्त तिथि के बाद लागू नहीं रहेगी, बशर्ते कि उक्त तिथि से छह महीने की समाप्ति से पहले लिखित रूप में हमसे किए गए या हमें सूचित किए गए आपके किसी भी दावे या दावों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, जो उक्त तिथि के बाद लागू होने के बावजूद हमारे विरुद्ध लागू करने योग्य होंगे।
4. यदि किसी भी कारण से इस गारंटी की अवधि बढ़ाना आवश्यक हो जाता है, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि को आपकी आवश्यकतानुसार बढ़ाने का वचन देते हैं। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगा।
5. आपको इस गारंटी को प्रभावित किए बिना समय-समय पर उक्त अनुबंध की किसी भी शर्त और नियम में परिवर्तन करने, ठेकेदार के निष्पादन की अवधि बढ़ाने, ठेकेदार के विरुद्ध अपने किसी भी अधिकार या शक्ति को किसी भी समय के लिए स्थगित करने, और उक्त अनुबंध की किसी भी शर्त और नियम को लागू करने या लागू न करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। आपके द्वारा उपरोक्त मामलों के संबंध में अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने, ठेकेदार को समय दिए जाने, आपकी ओर से किसी अन्य छूट, कार्य या चूक, या ठेकेदार को दी गई किसी भी प्रकार की रियायत, उक्त अनुबंध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या संशोधन, या किसी अन्य कार्य, मामले या वस्तु के कारण, जो जमानत से संबंधित कानून के तहत, इस अनुबंध के प्रावधानों के अभाव में, हमें इस अनुबंध के तहत हमारी देयता से मुक्त कर देता, हम इस गारंटी के तहत अपनी देयता से मुक्त नहीं होंगे। बशर्ते कि इसमें निहित कोई भी बात हमारी देयता को उपर्युक्त INR _____ (केवल INR) की सीमा से अधिक नहीं बढ़ाएगी।
6. ठेकेदार या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से कोई प्रतिभूति लेने, बदलने या छोड़ने से, या ठेकेदार के परिसमाप्त, विघटन, दिवालियापन या मृत्यु से, जैसा भी मामला हो, यह गारंटी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी।
7. इसमें निहित गारंटी को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए, आप ठेकेदार के विरुद्ध अपने सभी दावों के संबंध में हमें अपना मुख्य देनदार मानकर कार्य करने के हकदार होंगे, जैसा कि हमने ऊपर गारंटी दी है, और हम एतद्वारा अपने सभी जमानती अधिकारों और अन्य अधिकारों, यदि कोई हो, जो इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ किसी भी तरह से असंगत हैं, को स्पष्ट रूप से त्याग देते हैं।
8. उपर्युक्त हमारी देयता की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, यह गारंटी उक्त अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध आपके सभी दावों को कवर करेगी, जिनके संबंध में आपका लिखित दावा इस गारंटी की समाप्ति तिथि से छह महीने की समाप्ति से पहले हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया हो।

9. इस अनुबंध के अंतर्गत मांग या अन्य किसी भी प्रकार की सूचना विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे उपरोक्त स्थानीय पते पर भेजी जा सकती हैं और यदि डाक द्वारा भेजी जाती है, तो उसे डाक द्वारा भेजे जाने पर ही प्राप्त माना जाएगा ।
10. यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां एवं प्रावधान, हमारे द्वारा आपको पहले दी गई किसी अन्य गारंटी या गारंटियों (चाहे दूसरों के साथ संयुक्त रूप से या अकेले) के अतिरिक्त हैं, न कि उनकी सीमा या प्रतिस्थापन के रूप में, जो अब तक रद्द नहीं की गई हैं, और यह गारंटी ऐसी गारंटी या गारंटियों को रद्द करने या सीमित करने के लिए अभिप्रेत नहीं है और न ही ऐसा करेगी।
11. यह गारंटी ठेकेदार या हमारे संगठन के गठन में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी, न ही आपके संगठन के गठन में किसी परिवर्तन से, न ही इसके किसी विलय या अधिग्रहण से प्रभावित होगी, बल्कि यह अधिग्रहण करने वाली या विलयित कंपनी या संस्था के लाभ के लिए होगी और उसके द्वारा उपलब्ध और लागू करने योग्य होगी।
12. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की ढिलाई, कार्य या चूक, या निविदाकार के प्रति बैंक द्वारा दिखाई गई किसी भी प्रकार की उदारता, किसी भी तरह से जमानतदार को दायित्व से मुक्त नहीं करेगी और इस गारंटी के तहत जमानतदार के दायित्व तभी समाप्त होंगे जब बैंक द्वारा इसकी सूचना जमानतदार को दी जाएगी।
13. यह गारंटी इसकी वैधता अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय है और आपकी पूर्व लिखित सहमति के बिना इसे रद्द नहीं किया जाएगा।
14. हम आगे सहमत होते हैं और वचन देते हैं कि आपके और ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी भी मतभेद, विवाद या मतभेद के बावजूद, हम आपको लिखित में मांगी गई राशि का भुगतान बिना किसी आपत्ति के करेंगे।
15. उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता केवल INR (केवल INR) तक सीमित है। यदि इस गारंटी की समाप्ति तिथि से छह महीने के भीतर (यदि कोई विस्तार हो तो सहित) इस गारंटी के तहत भुगतान हेतु लिखित दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो गारंटी के अंतर्गत आपके सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हम इससे संबंधित सभी दायित्वों से मुक्त माने जाएंगे, चाहे मूल गारंटी हमें वापस की गई हो या नहीं।
16. हमारे बैंक के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने का अधिकार हमारे पास है और बैंक द्वारा मुझे दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास है।

की ओर से और उसके लिए

हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द (बैंक प्रबंधक का नाम एवं मुहर) (उपरोक्त नामित बैंक की ओर से)
शाखा प्रबंधक

पता -----

(बैंकर की सील)

अनुलग्नक- “जी”

ओईएम से प्राधिकरण पत्र और रखरखाव वचन पत्र प्राप्त करने का प्रोफार्मा

(वीआरएफ/वीआरवी सिस्टम के निर्माताओं द्वारा अपने पत्रशीर्ष पर अलग से जारी किया जाना है)

दिनांक:

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
हैदराबाद

विषय: भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (VRF/VRV) तकनीक पर आधारित वातानुकूलन प्रणाली का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना (DSITC)। - प्राधिकरण पत्र और रखरखाव वचन पत्र।

महोदय,

हम _____ (निर्माता का नाम और पता), जो _____ के निर्माता हैं और जिनके कारखाने _____ (निर्माण/विकास स्थलों के पते) पर स्थित हैं, एतद्वारा मेसर्स (निविदाकार का नाम और पता) को उपरोक्त उपकरण के लिए आपके साथ बोली लगाने, बातचीत करने और अनुबंध संपत्र करने के लिए अधिकृत करते हैं।

यदि अप्रत्याशित रूप से मेसर्स _____ (निविदाकार) हमारे अधिकृत डीलर नहीं रहते हैं, तो हम, मूल उपकरण निर्माता, उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत हमारे द्वारा निर्मित और प्रदान किए गए उत्पादों के लिए निविदा और निविदा की शर्तों में सहमत दर पर, सीधे या बैंक द्वारा उपरोक्त सिस्टम के रखरखाव के लिए नियुक्त किसी भी डीलर के माध्यम से, स्पेयर पार्ट्स/अपडेट/तकनीकी जनशक्ति आदि प्रदान करना जारी रखेंगे, अर्थात् उपरोक्त कार्य के आभासी रूप से पूर्ण होने की तिथि से कम से कम 10 वर्षों तक आपकी संतुष्टि के लिए सर्वांगीण सेवा प्रदान करेंगे।

भवदीय,

मेसर्स _____ (निर्माता का नाम) की ओर से और उनकी ओर से मुहर और हस्ताक्षर:

नाम:

पद का नाम:

पता:

अनुलग्नक - एच

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाण पत्र के लिए प्रपत्र

(बोलीदाताओं द्वारा अपने पत्रशीर्ष पर विधिवत मुहरबंद और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है)

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
हैदराबाद

कार्य का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ/वीआरवी) तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डीएसआईटीसी।

प्रिय महोदय,

मैं/हम (बोलीदाता का नाम) ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लोक खरीद प्रभाग द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2020 को जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी और उसके बाद के आदेशों/संशोधनों को पढ़ और समझ लिया है, जिसमें भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में जानकारी दी गई है।

2. उपर्युक्त आदेश और उसके बाद के संशोधनों में उल्लिखित परिभाषाओं के आधार पर, मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम)

- i. वह ऐसे देश से नहीं है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता हो, या
- ii. वह किसी ऐसे देश से है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है और सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या
- iii. वह देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता हो और जहाँ भारत सरकार ने ऋण प्रदान किया हो, या
- iv. वह देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता हो और जहाँ भारत सरकार विकासात्मक परियोजनाओं में लगी हो। (उपर्युक्त में से जो भी लागू न हो, उसे काट दें)।

3. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता/करते हूँ/हैं कि (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता/करती है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और उसके बाद के आदेशों/संशोधनों के प्रावधानों के अंतर्गत विचार किए जाने के योग्य है/हैं। मैं/हम यह भी वचन देता/देते हूँ/हैं कि मैं/हम (बोलीदाता का नाम) किसी भी कार्य को ऐसे देश/देशों के ठेकेदार को तब तक उप-अनुबंधित

नहीं करेंगे/करेंगे जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश के अंतर्गत सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लेता/देती।

4. मुझे यह समझ आ गया है कि यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचनपत्र/घोषणा/प्रमाणपत्र झूठा पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा/कार्य आदेश को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना राशि/प्रदर्शन बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा राशि की ज़ब्ती और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से हमें प्रतिबंधित करना शामिल है।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम के साथ रबर की मुहर

दिनांक:

स्थान:



भारतीय रिजर्व बैंक हैदराबाद

भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ/वीआरवी) तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी) के लिए निविदा

भाग ॥

(मूल्य बोली)

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/30/25-26/ईटी/832

निविदाकार का नाम: _____

पता: _____

निविदा आमंत्रण की सूचना की तिथि	: 14 जनवरी, 2026
निविदा जमा करने की प्रारंभ तिथि	: 14 जनवरी, 2026, शाम 6:00 बजे से
बोली-पूर्व बैठक की तिथि	: 21 जनवरी, 2026 को 11:00 बजे।
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	: 28 जनवरी, 2026 दोपहर 1 बजे तक
निविदा के भाग I के खुलने की तिथि एवं समय	: 28 जनवरी, 2026 को दोपहर 2 बजे
निविदा के भाग II को खोलने की तिथि और समय	: भाग I की जांच के बाद तय किया जाएगा।

टिप्पणी:

- i) किसी भी प्रकार के अनुलग्नकों की अनुमति नहीं है
- ii) सशर्त छूट पर विचार नहीं किया जाएगा
- iii) किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं है।
- iv) दरें/राशियाँ केवल एमएसटीसी पोर्टल पर ई-निविदा के माध्यम से भरी जानी चाहिए और इसमें जीएसटी शामिल होना चाहिए।



संपदा विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक,
हैदराबाद, तेलंगाना
भाग-II (मात्राओं का बिल)

कार्य का नाम: - भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के मुख्य कार्यालय भवन में स्थित सभागार के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ/वीआरवी) तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)

क्र	विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	<p>निविदा के "खंड IX: तकनीकी विनिर्देश" के अनुसार बाहरी इकाइयाँ (ओडीयू) (आपूर्ति): इस निविदा के "खंड IX: तकनीकी विनिर्देश" में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, केवल शीतलन के लिए परिवर्तनीय रेफ्रिजरेंट प्रवाह/परिवर्तनीय रेफ्रिजरेंट आयतन (VRF/VRV) प्रकार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम की अनुमोदित निर्माता मॉड्यूलर प्रकार की एयर कूल्ड आउटडोर यूनिट (ODU) की आपूर्ति की जानी है। इसमें निम्नलिखित क्षमताएं, माइक्रोप्रोसेसर आधारित नियंत्रक, टॉप डिस्चार्ज प्रकार की कंडेसिंग यूनिट, इन्वर्टर आधारित वेरिएबल फ्रीकेंसी ड्राइव और हर्मेटिकली सील्ड स्क्रॉल कंप्रेसर, 410A या बेहतर रेफ्रिजरेंट के साथ काम करने वाले वाइब्रेशन आइसोलेटर, उपयुक्त नींव (बैंक द्वारा OEM द्वारा दिए गए विवरण और आयामों के अनुसार सिविल नींव का निर्माण किया जाएगा) आदि शामिल हैं। बेहतर प्रदर्शन के लिए रेफ्रिजरेंट-कूल्ड यूनिट की आपूर्ति की जानी है। यूनिट को AHRI स्थितियों में निर्धारित क्षमता प्रदान करनी चाहिए और 49°C परिवेश तापमान पर भी बिना टिप किए काम करना चाहिए। यूनिट में रेफ्रिजरेंट का पहला चार्ज भरा होना चाहिए और आवश्यकतानुसार उपयोग के लिए तैयार होना चाहिए। ODU में कम शोर वाले कंडेंसर पंखे होने चाहिए और गर्म हवा के पुनर्संचरण से बचने के लिए आउटडोर यूनिट का पर्याप्त बाहरी स्पैतिक दबाव होना चाहिए। कंप्रेसर और VRV/VRF आउटडोर यूनिट एक ही कंपनी के होने चाहिए और कंप्रेसर मोटर OEM के अनुरूप होनी चाहिए। बेहतर आराम और ऊर्जा दक्षता के लिए यूनिट में लोड के अनुसार वाष्पीकरण तापमान को स्वचालित रूप से समायोजित करने की सुविधा भी होनी चाहिए। यूनिट में फ्री फेज तकनीक होनी चाहिए ताकि फेज रिवर्सल होने पर भी यूनिट बंद हुए बिना काम कर सके। यह सिस्टम 3 फेज, 400 वोल्ट ($\pm 10\%$ भिन्नता के साथ), 50 हर्ट्ज ($\pm 3\%$ भिन्नता के साथ) एसी पावर सप्लाई पर चलने के लिए उपयुक्त होना चाहिए और इसमें मोटर के साथ एयर कूल्ड एक्सियल फ्लो कंडेंसर फैन (ऊपर की ओर थो वाला), एल्युमिनियम फिन्स वाली कंडेंसर कॉइल, माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल पैनल, सभी स्क्रॉल कंप्रेसर और कंडेंसर फैन मोटर्स के लिए स्टार्टर/ड्राइव कंट्रोल, आंतरिक कंट्रोल और पावर वायरिंग, कूलिंग कॉइल जिसमें विभिन्न क्षमता वाले मॉड्यूल को वांछित एचपी रेटिंग (यदि आवश्यक हो) तक जोड़ने के लिए आंतरिक रूप से जुड़े रेफ्रिजरेंट पाइप हों, चार्जिंग पोर्ट और अन्य सभी आवश्यक एक्सेसरीज़ और हार्डवेयर शामिल होने चाहिए। यूनिट में कंप्रेसर सुरक्षा के लिए इन-बिल्ट इंटरनल थर्मल प्रोटेक्टर, इंटरनल प्रेशर रिलीफ वाल्व, हाई प्रेशर कट-आउट, लो प्रेशर कट-आउट आदि भी होने चाहिए। यूनिट को स्वीकार्य स्तर (400 वोल्ट $\pm 10\%$) से अधिक पावर सप्लाई में किसी भी प्रकार की भिन्नता (ओवर/अंडर वोल्टेज, फेज रिवर्सल, सिंगल फेजिंग आदि) से भी सुरक्षित किया जाना चाहिए। पूरी यूनिट पर मौसम प्रतिरोधी पाउडर कोटिंग पेंट किया जाएगा ताकि यह निरंतर बाहरी संचालन के दौरान सभी प्रकार की</p>				

परिस्थितियों का सम्मान कर सके। यह यूनिट हैदराबाद की परिवेशीय परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम होनी चाहिए।

1A	20 एचपी आउटडोर यूनिट (जीएसटी सहित)	2	Nos.		
----	------------------------------------	---	------	--	--

Indoor units (IDUs) (as per "Section IX: Technical Specifications" of the tender, supply:

2	कैसेट प्रकार की इनडोर इकाइयाँ निम्नलिखित न्यूनतम क्षमता वाले एयर कूल्ड प्रकार के चार दिशाओं वाले (4-वे/राउंड फ्लो) वीआरवी/वीआरएफ कैसेट प्रकार के इनडोर एयर कंडीशनिंग यूनिट (अनुभाग IX: तकनीकी विनिर्देश) की आपूर्ति की जानी चाहिए, जो कॉर्डलेस रिमोट, सिंथेटिक वॉशेबल मीडिया प्री-फिल्टर, कम शोर वाले पंखे/डायनेमिकली बैलेंस्ड ब्लॉअर वाला फैन सेक्षन, मल्टीस्पीड मोटर, डीएक्स कॉपर कॉइल वाला कॉइल सेक्षन, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, बाहरी कैबिनेट, ड्रेन पैन, बिल्ट-इन ड्रेन पंप, कैसेट ग्रिल, इंसुलेशन, आवश्यक सपोर्ट, वाइब्रेशन आइसोलेशन आदि से सुसज्जित हों और $230 \text{ वोल्ट } \pm 10\%$, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सप्लाई पर चलने के लिए उपयुक्त हों। यूनिट में आग लगने की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद होने का प्रावधान होना चाहिए। सभी इनडोर यूनिट में फायर अलार्म एडाएर से कनेक्ट करने के लिए फोर्स शट का विकल्प होना चाहिए, ताकि आग लगने की स्थिति में यूनिट स्वचालित रूप से बंद हो जाए। यह यूनिट फॉल्स सीलिंग के अंदर लगाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए, जिसमें कूलिंग कॉइल, मल्टी-स्पीड मोटर वाला ब्लॉअर, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, सप्लाई और रिटर्न एयर ग्रिल्स, फिल्टर, रेफ्रिजरेंट सर्किट का इंसुलेटेड कनेक्षन, इलेक्ट्रॉनिक लेवल सेसर वाला कंडेनसेट वॉटर ड्रेन पंप, वायरलेस रिमोट कंट्रोलर आदि शामिल हों। सभी इनडोर यूनिट एक ही कंपनी की होनी चाहिए और VRV/VRF प्रकार की कंडेनसिंग यूनिट के साथ काम करने के लिए संगत होनी चाहिए। इनमें माउंटिंग ब्रैकेट, सपोर्ट और कॉर्डलेस रिमोट शामिल होने चाहिए। यूनिट को स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी हार्डवेयर, जिनमें एंकर फास्टनर और थ्रेडेड बोल्ट, इनडोर और आउटडोर सभी प्रकार के इंसुलेटेड जॉइंट आदि शामिल हैं, ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए जाएंगे, जिसमें स्थापना के लिए आवश्यक छोटे-मोटे सिविल कार्य भी शामिल हैं।	90	Nos.		
2A	3.2 ट्रिलियन लीटर क्षमता वाले 4-वे रेगुलर कैसेट एसी इंडोर यूनिट, फिल्टर सहित, जीएसटी सहित।	09	Rmt		
2B	1-वे रेगुलर कैसेट एसी इंडोर यूनिट 2 टीआर, जीएसटी सहित, जैसा कि ऊपर आइटम नंबर 2ए में आपूर्ति की गई है।	03	Nos		
3	आईडीयू और ओडीयू के साथ तांबे की पाइपिंग को आपस में जोड़ना निविदा के खंड IX: तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार) वीआरएफ/वीआरवी प्रणाली के सभी ओडीयू को संबंधित आईडीयू (ऊपर मद संख्या 1, 2 में उल्लिखित) से जोड़ने के लिए भारी गेज इंसुलेटेड रेफ्रिजरेंट पाइपिंग की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, ओईएम द्वारा प्रस्तुत और बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों और लेआउट के अनुसार की जाएगी। इंसुलेशन उचित मोटाई का होगा (जैसा कि ओईएम द्वारा अनुशांसित और बैंक द्वारा अनुमोदित है)। रेफ्रिजरेंट पाइपिंग की पूरी लंबाई में गैस और तरल दोनों तरफ नाइट्राइल रबर फोम स्लीव के रूप में लगाया जाएगा। छत पर चलने वाली पाइपिंग (और केबल) को हॉट डिप गैल्वनाइज्ड छिद्रित केबल ट्रे (न्यूनतम 1.6 मिमी मोटी) पर एक पंक्ति में लगाया जाएगा, जो जीआई शीट (न्यूनतम 1 मिमी मोटी) से ढकी होगी, जबकि छत और दीवारों पर चलने वाली पाइपिंग को एंकर फास्टनर और जीआई थ्रेडेड रॉड के माध्यम से दीवार/छत पर लगे स्लॉटेड जीआई चैनलों पर बोल्टेड क्लैप द्वारा सहारा दिया जाएगा। मापन केवल तांबे के पाइपों की लंबाई तक ही सीमित है; केबल ट्रे, सपोर्ट, रेफ्रिजरेंट, ब्रेजिंग, इंसुलेशन या	90	Rmt		

	किसी अन्य रेफ्रिजरेंट लाइन एक्सेसरी आदि जैसे अन्य सहायक उपकरण कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। एडी करंट मुक्त तांबे के पाइपों और एल्बो, कपलर, टी-जॉइंट, पीतल फिटिंग, "यू" लूप, एक्सपेंशन लूप सेट जैसे फिटिंग का उपयोग करके रेफ्रिजरेंट गैस पाइपिंग की जाएगी। सपोर्ट में जीआई बॉक्स/"सी" सेक्शन और पूरी तरह से थ्रेडेड जीआई रॉड के साथ फीमेल एंकर फास्टनर शामिल होंगे। सक्षण/लिकिड पाइपों का इंसुलेशन विनिर्देशों के अनुसार अग्निरोधी गुणों वाले क्लोज्ड सेल नाइट्राइल रबर इंसुलेशन सामग्री से किया जाएगा। सपोर्ट पर इंसुलेशन की सुरक्षा के लिए क्लैंप के नीचे हार्ड पीवीसी पाइप स्लीव के साथ स्ट्रक्चरल क्लैंप का उपयोग किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा तैयार और बैंक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित शॉप ड्राइंग के अनुसार संबंधित इकाइयों से कनेक्टिविटी का पता लगाने के लिए टैगिंग की जाएगी। अनुमोदित प्रारूप में परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना इस मद के कार्यक्षेत्र का एक भाग है। इसमें जीएसटी शामिल है।			
4	रेफ्रिजरेंट गैस चार्जिंग निविदा के "खंड IX: तकनीकी विनिर्देश" के अनुसार रिसाव रोधक पाइपिंग सुनिश्चित करने के लिए, संपूर्ण रेफ्रिजरेंट सर्किट का कार्यकारी दबाव से दोगुने दबाव पर कम से कम 24 घंटे तक दबाव परीक्षण करने के बाद, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त रेफ्रिजरेंट गैस से भरना। रेफ्रिजरेंट भरने और चालू करने के कार्य के बाद रेफ्रिजरेंट लाइन में दबाव की निगरानी की जाएगी। (जीएसटी सहित)	1	Job	
5	IDU और ODU के बीच कंट्रोल केबलिंग निविदा के "खंड IX: तकनीकी विनिर्देश" के अनुसार ओडीयू और संबंधित आईडीयू इकाइयों तथा रिमोट कंट्रोल इकाइयों (यदि आवश्यक हो) के बीच चलने वाले शील्डेड कंट्रोल केबल (ओईएम द्वारा अनुशासित और बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित) की आपूर्ति और बिछाना (सभी टर्मिनेशन शुल्क सहित)। यह केबल अनुमोदित ब्रांड के रिजिड एमएमएस एफआरएलएस आईएसआई पीवीसी कंड्यूट (सभी सहायक उपकरण जैसे बैंड/कपलर/टी आदि सहित) में, मौजूदा केबल ट्रै/स्लॉटेड चैनल या दीवारों/छत पर उपयुक्त आकार के सैडल और बेस का उपयोग करके बिछाया जाएगा। प्रत्येक सर्किट के दोनों सिरों पर शील्ड को ग्राउंड किया जाएगा। (जीएसटी सहित)	120	Rmt	
6	ड्रेन पाइपिंग निविदा के खंड IX: तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार सभी इनडोर इकाइयों के ड्रेन आउटलेट्स को पास के ड्रेन पॉइंट्स से जोड़ने के लिए 9 मिमी मोटी काली नाइट्राइल इंसुलेशन स्लीव और नाइट्राइल रबर टेप से युक्त रिजिड पीवीसी ड्रेन पाइपिंग (टी, बैंड, कपलर आदि जैसे सभी सहायक उपकरणों सहित) की आपूर्ति और बिछाना (25 मिमी/32 मिमी ब्रांच लाइन का उपयोग करके) जो 40 मिमी/50 मिमी हेडर लाइन के माध्यम से हो। इसे उचित सपोर्ट का उपयोग करके छत से लटकाया जाएगा और फॉल्स सीलिंग के ऊपर से गुजरेगा। (आवश्यक एंड कैप आदि लगाकर ड्रेन लाइन का कम से कम 6 घंटे	70	RM	

	तक पानी से परीक्षण किया जाएगा। 25/32/40/50 मिमी रिजिड पीवीसी ब्रांच लाइन में जीएसटी शामिल है।			
7	निम्नलिखित प्रकार और क्षमता के वीआरवी/वीआरएफ इंडोर यूनिटों की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, जिसमें एंकर फास्टनर, थ्रेडेड रॉड, जीआई नट और बोल्ट आदि शामिल हैं, साथ ही सिविल संरचना में संशोधन करने के शुल्क भी शामिल हैं, जिसमें छेद ड्रिलिंग/कटिंग, कोर कटिंग, चेज़ कटिंग और बैकफिलिंग आदि शामिल हैं, और वीआरएफ/वीआरवी सिस्टम की स्थापना में हुई सभी क्षतियों की मरम्मत भी शामिल है।			
7A	ऊपर आइटम नंबर 2ए में आपूर्ति की गई 4-वे रेगुलर कैसेट एसी इंडोर यूनिट 3.2 टीआर, जीएसटी सहित।	09	Nos.	
7B	1-वे रेगुलर कैसेट एसी इंडोर यूनिट 2 टीआर, जीएसटी सहित, जैसा कि ऊपर आइटम नंबर 2बी में आपूर्ति की गई है।	03	Nos.	
8	निम्नलिखित प्रकार और क्षमता की 20 एचपी वीआरवी/वीआरएफ आउटडोर इकाइयों की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, जिसमें एंकर फास्टनर, थ्रेडेड रॉड, रबर पैड, जीआई नट और बोल्ट आदि शामिल हैं, साथ ही सिविल संरचना में संशोधन करने का शुल्क भी शामिल है, जिसमें छेद ड्रिलिंग/कटिंग, कोर कटिंग, चेज़ कटिंग और बैकफिलिंग आदि शामिल हैं (ओडीयू और जीआई ट्रे के लिए सिविल फाउंडेशन बैंक द्वारा निर्मित किया जाएगा), और वीआरएफ/वीआरवी सिस्टम की स्थापना में हुई सभी क्षतियों की भरपाई, जिसमें उपरोक्त मद संख्या 1 में उल्लिखित जीएसटी भी शामिल है।	02	Nos	
A	Total Capital Cost (1 TO 8)			
B	नए सिस्टम के चालू होने के बाद और बैंक के इंजीनियरों के निर्देशानुसार, पुराने 8.5TR पैकेज एसी यूनिटों में से 2 को यथास्थिति के आधार पर वापस लेने के लिए बायबैक (जीएसटी सहित और टीसीएस को छोड़कर): नोट: कार्य पूर्ण होने और उपकरण सौंपे जाने पर, फर्म को बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले चालान के माध्यम से अंतिम बिल जारी करने से पहले उद्धृत बायबैक मूल्य (जीएसटी सहित, टीसीएस को छोड़कर) जमा करना होगा।	1	Job	
C	पहले वर्ष के व्यापक वार्षिक रखरखाव शुल्क (1 वर्ष की दोष दायित्व अवधि के बाद) के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क, "धारा III: निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें" के खंड 3.18 के अंतर्गत दिए गए दायरे के अनुसार होगा। यह शुल्क पूरे सिस्टम के लिए प्रति वर्ष की दर है, जिसमें जीएसटी शामिल है।	1	year	
D	स्वामित्व की कुल लागत = (A - B) + (7.03 x C)			

दिनांक:

निविदाकार की मुहर और हस्ताक्षर

स्थान :